खण्ड-163, अंक-2
मंगलवार, 29 अग्रहायण, शक संवत् 1877
(20 दिसम्बर, 1955 ई0)

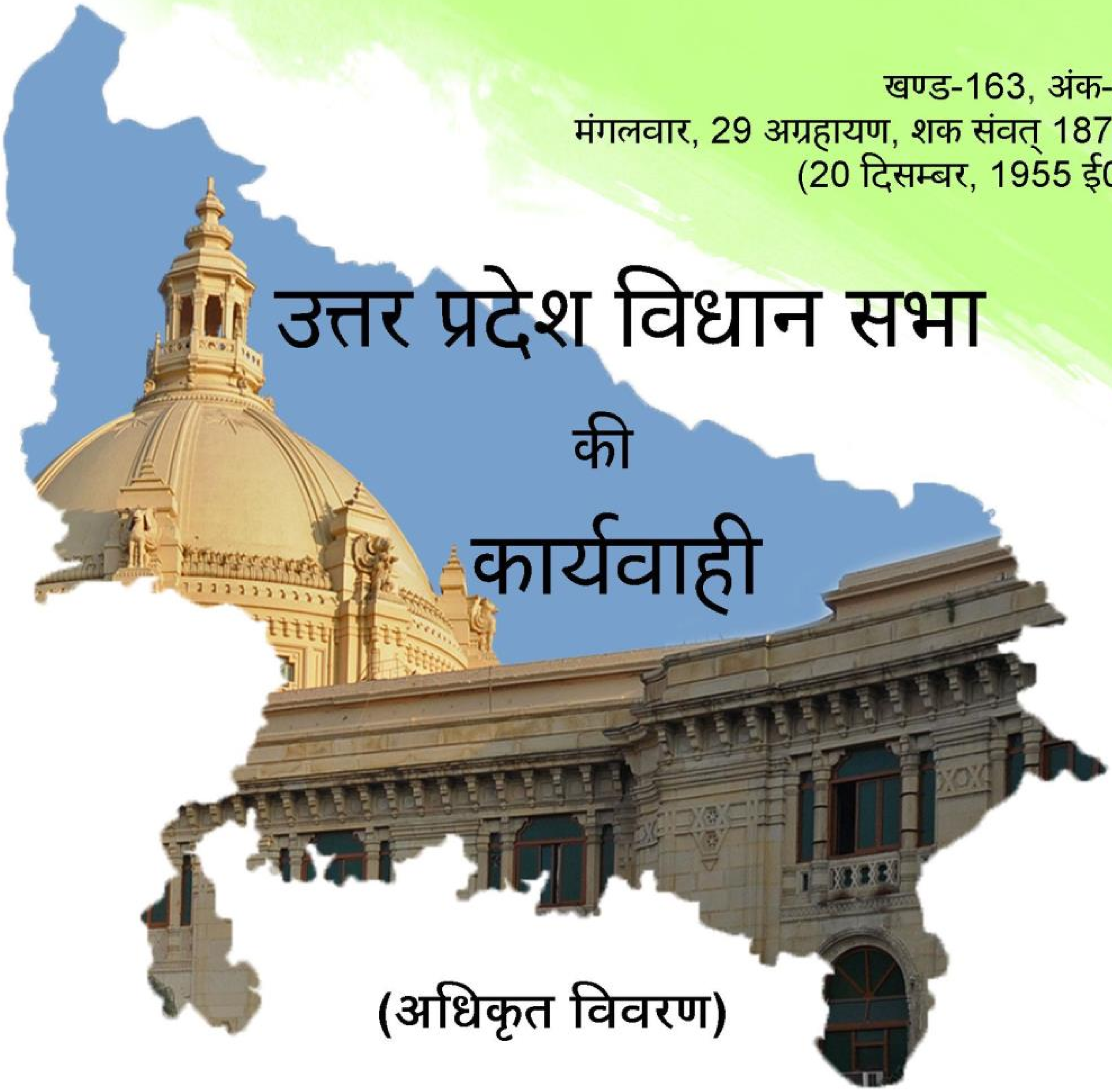

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 163 में 5 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश (भारत)
१९५५

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

LEGISLATURE LIBRARY
12 MAR 1956
UTTAR PRADESH

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, २० दिसम्बर, १९५५

विधान सभा की बैठक सभा मंडप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्यों की सूची (३३१)

अक्षयवरसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनन्तस्वरूपसिंह, श्री
अब्दुल मुईज खां, श्री
अमृतनाथ मिश्र, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधेशचन्द्रसिंह, श्री
अशरफ अली खां, श्री
आर्थर ग्राइस, श्री
आशालता व्यास, श्रीमती
इरतजा हुसैन, श्री
इसराइल हक, श्री
इस्तफा हुसैन, श्री
उदयभानसिंह, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
उम्मेदसिंह, श्री
उल्फत सिंह चौहान निर्भय, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलासिंह, श्री
कमाल अहमद रिजवी, श्री
करनसिंह, श्री
कल्याणचन्द मोहिले उपनाम छुन्नन गुरु, श्री
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण टंडन, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृष्णचन्द्र गुप्त, श्री
कृष्णशरण आर्य, श्री
केवलसिंह, श्री
केशभान राय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशव पांडेय, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद जायसवाल, श्री
गणेश प्रसाद पांडेय, श्री
गिरजारमण शुक्ल, श्री
गिरधारीलाल, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुरुप्रसाद पांडेय, श्री
गुरुप्रसादसिंह, श्री
गुलजार, श्री
गेंदासिंह, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोवर्धन तिवारी, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्द्रवती, श्रीमती
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास, श्री

चित्तरसिंह निरंजन, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चिरंजीलाल पालीवाल, श्री
छेदालाल, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगतनारायण, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगदीशसरन, श्री
जगदीशसरन रस्तोगी, श्री
जगन्नाथबख्शदास, श्री
जगन्नाथ मल्ल, श्री
जगपतिसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जटाशंकर शुक्ल, श्री
जयपालसिंह, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जयेंद्रसिंह विष्ट, श्री
जवाहरलाल, श्री
जोरावर वर्मा, श्री
टीकाराम, श्री
डल्लाराम, श्री
डालचन्द, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तुलाराम, श्री
तुलाराम रावत, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकीनाथ कौल, श्री
दयालदास भगत, श्री
दर्शनराम, श्री
दलबहादुरसिंह, श्री
दाताराम, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
देवदत्त शर्मा, श्री
देवनन्दन शुक्ल, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्रप्रतापनारायण सिंह, श्री
द्वारकाप्रसाद मित्तल, श्री
द्वारकाप्रसाद मौर्य, श्री
द्वारिकाप्रसाद पांडेय, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मसिंह, श्री
धर्मदत्तवैद्य, श्री
नत्थूसिंह, श्री
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरदेव शास्त्री, श्री
नरेंन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वर द्विवेदी, श्री
नाजिम अली, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायण दास, श्री
नारायणदीन वाल्मीकि, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नेत्रपालसिंह, श्री
नौरंगलाल, श्री
पद्मनाथसिंह, श्री
परमानन्द सिन्हा, श्री
परमेश्वरीदयाल, श्री
पातीराम, श्री
पुत्तूलाल, श्री
पुद्दनराम, श्री
पुलिनविहारी बनर्जी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतिपालसिंह, श्री
प्रभुदयाल, श्री
फजलुल हक, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
फूलसिंह, श्री
बलदेवसिंह, श्री (बनारस)
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलभद्रप्रसाद शुक्ल, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बाबूनन्दन, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बालेंदुशाह, महाराजकुमार
बिशम्बरसिंह, श्री
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीसिंह, श्री
बैजनाथप्रसादसिंह, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवानदीन वाल्मीकि, श्री
भगवान सहाय, श्री
भीमसेन, श्री
भुवरजी, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री

भोलासिंह, यादव, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मथुराप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मथुराप्रसाद पांडेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदनमोहन उपाध्याय, श्री
मन्नीलाल गुरुदेव, श्री
मलखानसिंह, श्री
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महाराजसिंह, श्री
महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महीलाल, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मिजाजीलाल, श्री
मिहरबानसिंह, श्री
मुनीन्द्रपालसिंह, श्री
मुन्नूलाल, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुश्ताक अली खां, श्री
मुहम्मद अदील अब्बासी, श्री
मुहम्मद अब्दुल लतीफ, श्री
मुहम्मद तकी हादी, श्री
मुहम्मद नबी, श्री
मुहम्मद नसीर, श्री
मुहम्मद मंजूरुल नबी, श्री
मुहम्मद रऊफ जाफरी, श्री
मुहम्मद शाहिद फाखरी, श्री
मुहम्मद सुलेमान अधमी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनसिंह, श्री
मोहनसिंह शाक्य, श्री
यमुनासिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुवीरसिंह, श्री
रणंजयसिंह, श्री
रतनलाल जैन, श्री
रमानाथ खैरा, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
रमेश वर्मा, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजवंशी, श्री
राजाराम, श्री
राजाराम किसान, श्री
राजाराम मिश्र, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेंद्रदत्त, श्री
राधाकृष्ण अग्रवाल, श्री
राधामोहनसिंह, श्री
रामअधार तिवारी, श्री
रामअधीनसिंह यादव, श्री
रामअनन्त पांडेय, श्री
रामअवधसिंह, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामगुलामसिंह, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचरणलाल गंगवार, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदास रविदास, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामप्रसादसिंह, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामरतनप्रसाद, श्री
रामलखन, श्री
रामलखन मिश्र, श्री
रामलाल, श्री
रामशंकर द्विवेदी, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसहाय शर्मा, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दर राम, श्री
रामसुभग वर्मा, श्री
रामसुमेर, श्री
रामस्वरूप, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामस्वरूप मिश्र विशारद, श्री
रामहरख यादव, श्री
रामहेतसिंह, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
रामेश्वरलाल, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री

लक्ष्मीदेवी, श्रीमती
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री
लालबहादुरसिंह कश्यप, श्री
लीलाधर अष्ठाना, श्री
लुत्फ अली खां, श्री
लेखर जसिंह, श्री
वंशनारायणसिंह, श्री
वंशीदास धनगर, श्री
वंशीधर मिश्र, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
वासुदेवप्रसाद मिश्र, श्री
विजयशंकरप्रसाद, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विश्रामराय, श्री
विष्णुदयाल वर्मा, श्री
विष्णुशरण दुब्लिश, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेंद्रशाह, राजा
व्रजभूषण मिश्र, श्री
व्रजरानी मिश्र, श्रीमती
व्रजवासीलाल, श्री
व्रजविहारी मिश्र, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शम्भूनाथ चतुर्वेदी, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवकुमार मिश्र, श्री
शिवकुमार शर्मा, श्री
शिववानसिंह, श्री
शिवनाथ काटजू, श्री
शिवनारायण, श्री
शिवपूजन राय, श्री
शिवमंगलसिंह, श्री
शिवमंगलसिंह कपूर, श्री
शिवराजबलीसिंह, श्री
शिवराजसिंह यादव, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवराम राय, श्री
शिववक्षसिंह राठौर, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शिवस्वरूपसिंह, श्री
शुकदेवप्रसाद, श्री
शुगनचन्द, श्री
श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्रीचन्द्र, श्री
श्रीनाथ भार्गव, श्री
श्रीनाथराम, श्री
श्रीनिवास, श्री
श्रीपति सहाय, श्री
सईद जहां मखफी शेरवानी, श्रीमती
संग्रामसिंह, श्री
सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती
सत्यनारायणदत्त, श्री
सत्यसिंह राणा, श्री
सफिया अब्दुल वाजिद, श्रीमती
सहदेवसिंह, श्री
सावित्रीदेवी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, श्री
सियाराम चौधरी, श्री
सीताराम शुक्ल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुन्दरदास, श्री दीवान
सुन्दरलाल, श्री
सुरुजूराम, श्री
सुरेंद्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेशप्रकाशसिंह, श्री
सूर्यप्रसाद अवस्थी, श्री
सेवाराम, श्री
हबीबुर्रहमान अंसारी, श्री
हबीबुर्रहमान आजमी, श्री
हबीबुर्रमान खां हकीम, श्री
हमीद खां, श्री
हरखयालसिंह, श्री
हरगोविन्द पंत, श्री
हरगोविन्दसिंह, श्री
हरदयालसिंह पिपल, श्री
हरदेवसिंह, श्री
हरसहाय गुप्त, श्री
हरिप्रसाद, श्री
हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री
हरिसिंह, श्री
होतीलालदास, श्री

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

प्रश्नोत्तर

मंगलवार, २० दिसम्बर, १९५५

तारांकित प्रश्न

*१-२—श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी (जिला हमीरपुर)—[हटा दिये गये।]

*३-४—श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—[स्थगित किये गये।]

बुलन्दशहर जिले की नगरपालिकाओं को सहायता

*५—श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि बुलन्दशहर जिले में किस किस नगरपालिका को ५३-५४ व ५४-५५ में कितनी-कितनी सरकारी सहायता दी गई और किस-किस कार्य के लिये ?

स्वशासन उपमंत्री (श्री कैलाशप्रकाश)—ऐसे अनुदानों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(देखिये नत्थी "क" आगे पृष्ठ १५४-१५५ पर)

श्री रामचन्द्र विकल—क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके बतायेंगे कि बुलन्दशहर, सिकन्दराबाद और खुरजा म्युनिसिपल बोर्ड में हरिजनों और पिछड़ी जाति के विद्यार्थियों को जो रकम वजीफे के लिये दी गई है वह कम है और उसको बढ़ाने पर सरकार विचार करेगी ?

श्री कैलाशप्रकाश—वजीफे के विषय में जो रकम दी गई है वह वहां से नियमानुसार जितनी मांग आती है उसी के अनुसार नियत कर के दी जाती है

श्री श्रीचन्द्र (जिला मुजफ्फरनगर)—क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके बतायेंगे कि सैनिकों के लड़कों के लिये जो १४ रुपये की सहायता दी गई है वह कितने लड़कों के लिये और कितने समय के लिये है।

श्री कैलाशप्रकाश—इसके लिये सूचना की आवश्यकता है।

श्री रामचन्द्र विकल—क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके बतायेंगे कि जो अनुदान सरकार द्वारा म्युनिसिपल बोर्डों को दिया जाता है, उसकी कोई जांच भी कराई जाती है कि वह धन वहां ठीक से व्यय हुआ या नहीं ?

न्याय मंत्री (श्री सैयद अली जहीर)—जी हां, उस की जांच कराई जाती है।

श्री रामचन्द्र विकल—क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके बतायेंगे कि अनूपशहर और डिबाई म्युनिसिपल बोर्ड में हरिजन छात्रों के लिये जो रुपया वजीफे के तौर पर किताबों के लिये दिया जाता है वह क्यों नहीं दिया गया ?

श्री सैयद अली जहीर—यह इस वक्त नहीं बताया जा सकता क्योंकि यह सूची हमारे पास नहीं है, दूसरे यह काम ज्यादातर शिक्षा विभाग से होता है और उसकी सूची भी वहीं होगी।

श्री रामचन्द्र विकल—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि डिबाई म्युनिसिपल बोर्ड को कोई भी सहायता क्यों नहीं दी गई जब कि उन की मांग थी ?

श्री सैयद अली जहीर—इस के बहुत से कारण हुआ करते हैं, इस वक्त कोई इसका कारण हमारे पास नहीं है जो बताया जा सके।

*६-८—श्री उमाशंकर (जिला आजमगढ़)—[स्थगित किये गये।]

*९-११—श्री राधामोहनसिंह (जिला बलिया)—[स्थगित किये गये।]

बस्ती जिले के कुछ कस्बों में टाउन एरिया स्थापित करने की मांग

*१२—श्री राजाराम शर्मा (जिला बस्ती)—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि बस्ती जिला में बखिरा, खलीलाबाद, हरिहरपुर, बांसी-डुमरियागंज, उस्काबाजार, शोहरतगढ़, बढ़नी तथा बभनान आदि प्रमुख कस्बों में टाउन एरिया स्थापित करने के लिये वहां के विधायकों ने सरकार के पास कोई आवेदन-पत्र भेजा था? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई और क्या निश्चय हुआ?

श्री कैलाशप्रकाश—जी नहीं।

श्री राजाराम शर्मा—सफाई और स्वास्थ्य की दृष्टि से क्या सरकार इन बड़े कस्बों में टाउन एरिया खोलने पर विचार करेगी?

श्री सैयद अली जहीर—टाउन एरिया खोलने की बात कई जगह के लिये विचाराधीन है, अभी उस पर कोई फैसला नहीं हुआ है, उसी के साथ इन पर भी गौर किया जायगा।

श्री रामदुलारे मिश्र (जिला कानपुर)—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह मामला जो विचाराधीन है कब तक कार्यरूप में परिणत हो जावेगा?

श्री सैयद अली जहीर—इसके लिये कोई समय तो निश्चित रूप से नहीं दिया जा सकता।

*१३-१४—श्री जगदीशसरन (जिला बरेली)—[प्रश्न २७-२८ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

*१५-१६—श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)—[स्थगित किये गये।]

*१७-१८—श्री कृष्णशरण आर्य (जिला रामपुर)—[स्थगित किये गये।]

*१९-२१—श्री बेचनराम गुप्त (जिला बनारस)—[स्थगित किये गये।]

*२२-२४—श्री जगपतिसिंह (जिला बांदा)—[स्थगित किये गये।]

*२५—श्री गणेशचन्द्र काछी (जिला मैनपुरी)—[प्रश्न १८ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

घाघरा के कटाव को रोकने के लिए दोहरीघाट टाउन एरिया के अध्यक्ष का प्रार्थना-पत्र

*२६—श्री विश्रामराय (जिला आजमगढ़)—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि आजमगढ़ जिले की दोहरीघाट टाउन एरिया के अध्यक्ष ने कोई पत्र माननीय सिंचाई मंत्री को महुला बांध के कारण दोहरीघाट में घाघरा के कटाव की सम्भावना के संबंध में लिखा है?

सूचना मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)—जी हां।

*२७—श्री विश्राम राय—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि दोहरीघाट के सम्भावित कटाव को रोकने के लिये वह कोई पक्का बांध दोहरीघाट के पश्चिम तक बनाने की व्यवस्था करेगी?

श्री कमलापति त्रिपाठी—घाघरा नदी के किनारों पर स्थित बहुत से स्थानों को जिनके कटाव की संभावना है, सुरक्षित रखने के लिये द्वितीय पंचवर्षीय योजना में १ करोड़ रुपये के व्यय का आयोजन किया गया है, उसके स्वीकार हो जाने के उपरान्त विस्तृत खोज तथा योजनायें बनाने का कार्य प्रारम्भ किया जायगा जिसमें दोहरीघाट नगर भी सम्मिलित होगा।

श्री उमाशंकर—क्या सरकार यह बतायेगी कि अगले बरसात के पहले इस गांव को संभावित कटाव से बचाने का कोई प्रबन्ध हो जायगा?

श्री कमलापति त्रिपाठी—इसका कोई वादा नहीं किया जा सकता।

श्री उमाशंकर—महुला बांध और घाघरा नदी के बीच में जो गांव पड़ते हैं सरकार ने उनके बचाने के लिये क्या कोई प्रबन्ध सोच रखा है?

श्री कमलापति त्रिपाठी—गांवों के बचाने के लिये जो प्रबन्ध होते हैं वह माननीय सदस्य को मालूम होंगे और आशा की जाती है कि उनके और हमारे सौभाग्य से वह गांव नहीं कटेंगे।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या द्वितीय पंचवर्षीय योजना के लागू होने से पूर्व दोहरीघाट टाउन एरिया के जो निवासियों के घर हैं उनके घर अगर नदी काटने लगे, उसके पहले नदी के काटने को रोकने का प्रबन्ध किया जायगा?

श्री कमलापति त्रिपाठी—ऐसी जो विपत्तियां आती हैं उनका मुकाबिला करने के लिये तत्काल प्रबन्ध किया ही जाता है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या सरकार द्वितीय पंचवर्षीय योजना लागू होने से पहले इस बात की जांच करायेगी कि दोहरीघाट टाउन एरिया में बांध बनने के कारण जो पानी का जोर वहां होने वाला है उसको रोकने का प्रबन्ध इंजीनियर्स किस प्रकार से करेंगे?

श्री कमलापति त्रिपाठी—इस प्रकार की सर्वे बराबर हो रही है और हम उस मामले में सजग हैं।

*२८—श्री शिवपूजन राय (जिला गाजीपुर)—[स्थगित किया गया।]

*२९—श्री यमुनासिंह (जिला गाजीपुर)—[स्थगित किया गया।]

*३०-३१—श्री गुप्तारसिंह (जिला रायबरेली)—[स्थगित किये गये।]

*३२-३४—श्री श्रीचन्द्र [स्थगित किये गये।]

लहरपुर टाउन एरिया को सहायता न मिलना

*३५—श्री बशीर अहमद हकीम (जिला सीतापुर) (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि लहरपुर टाउन एरिया को १९५० से १९५५ तक के पांच वर्षों में टाउन की उन्नति के लिये कितनी सहायता प्रदेशीय सरकार ने दी है?

श्री कैलाशप्रकाश—टाउन एरिया लहरपुर को १९५०-५५ तक कोई सहायता नहीं दी गई।

द्वितीय पंच वर्षीय योजना के अधीन लहरपुर-तम्बोर मार्ग निर्माण पर विचार

*३६—श्री बशीर अहमद हकीम (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि लहरपुर टाउन और तम्बोर तथा जहांगीराबाद-तम्बोर और महमूदाबाद-तम्बोर को पक्की सड़कों द्वारा मिलाने की कोई योजना उसके विचाराधीन है या नहीं?

निर्माण उप-मंत्री (श्री लक्ष्मीरमण आचार्य)—लहरपुर-तम्बोर मार्ग के निर्माण का प्रस्ताव द्वितीय पंचवर्षीय योजना के संबंध में सरकार के विचाराधीन है। जहांगीराबाद-तम्बोर और महमूदाबाद-तम्बोर सड़क के निर्माण का कोई प्रस्ताव इस समय सरकार के विचाराधीन नहीं है।

*३७—श्री बशीर अहमद हकीम (अनुपस्थित)—यदि नहीं, तो क्या सरकार को यह जानकारी है कि इस बड़े क्षेत्र में जनता के हेतु १९४७ से अब तक कोई उन्नत कार्य नहीं हुआ है।

नोट—तारांकित प्रश्न ३५-३७-श्री मुन्नूलाल ने पूछे।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---सन् १९४७ से अब तक इस क्षेत्र में ५ कच्ची सड़कों एवं एक सी० सी० ट्रैक का निर्माण सरकार द्वारा स्वीकृत किया गया था। कच्ची सड़कें जिला बोर्ड को वापस कर दी गयी थीं। सी० सी० ट्रैक पर कार्य जारी है।

श्री नारायणदास (जिला फैजाबाद)---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस अविकसित क्षेत्र में अगली पंचवर्षीय योजना में सड़कें और पुल बनाने का सरकार का विचार है?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---विचार अवश्य है।

श्री नारायणदास---कौन सी सड़क और कौन सा पुल बनाने का सरकार का विचार है?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---यह तो इस समय कहना कठिन है लेकिन जो ऐसी होंगी जिनको सुविधापूर्वक लिया लिया जा सकेगा वे अवश्य बनायी जायंगी।

*३८---३९ श्री जगन्नाथप्रसाद (जिला खीरी)---[स्थगित किये गये।]

बुलन्दशहर जिले की टाउन एरियाओं को सहायता न मिलने की शिकायत

*४०---श्री रामचन्द्र विकल---क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि बुलन्दशहर जिले की किस-किस टाउन एरिया को कितनी-कितनी सहायता सरकार द्वारा किस-किस कार्य के लिये सन् ५३-५४ में दी गई?

श्री सैयद अली जहीर---बुलन्दशहर जिले की जहांगीराबाद टाउन एरिया को ४४,००० रुपये का अनुदान ड्रेनेज (drainage) योजना के लिये सन् १९५३-५४ में दिया गया।

श्री रामचन्द्र विकल---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि बुलन्दशहर जिले में टाउन एरियाओं को सहायता देने या न देने के क्या कारण हैं?

श्री कैलाशप्रकाश---टाउन एरियाओं को सहायता नियमानुसार दी जाती है। उन नियमों के अन्तर्गत वे नहीं आये तो नहीं दी गयी।

श्री रामचन्द्र विकल---क्या यह सही है कि बुलन्दशहर जिले के बहुत से टाउन एरियाज ने अपने विकास के लिये सरकार से नियमानुसार मांग की और वह उनको नहीं दी गई?

श्री सैयद अली जहीर---अक्सर यह सवाल उठता है। हमारे यहां कोई ३०० के करीब टाउन एरियाज हैं लेकिन उनको ग्रान्ट तक देने के लिये जो रुपया है वह एक बंधी हुई मिकदार होती है। तो सब टाउन एरियाज के लिये पूरा उनको रुपया मिल सके यह मुमकिन नहीं हो सकता। इस वजह से बहुत से टाउन एरियाज रह जाते हैं हालांकि हम मदद देना चाहते हैं लेकिन दे नहीं पाते।

श्री रामचन्द्र विकल---क्या माननीय मंत्री जी भविष्य में बुलन्दशहर जिले के उन टाउन एरियाज को जो अपने विकास के लिये बहुत काफी रुपया स्वयं खर्च करते हैं उनकी सहायता के लिये विचार करेंगे?

श्री सैयद अली जहीर---यह तो बराबर हमारे विचाराधीन रहता है कि जितनी ज्यादा हम मदद कर सकें वह करें।

श्री मदनमोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)---क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि इस टाउन एरिया को सन् १९५३-५४ में जो रुपया दिया गया था उस रुपये को इस टाउन एरिया ने खर्च कर लिया या नहीं?

श्री सैयद अली जहीर---यह सूचना इस वक्त मेरे पास नहीं है।

*४१—श्री रामचन्द्र विकल—[स्थगित किया गया।]

द्वितीय पंचवर्षीय योजना में बरेली जिले में रामगंगा पर पुल निर्माण का विचार

*४२—श्री नत्थूसिंह (जिला बरेली)—क्या सरकार जिला बरेली में रामगंगा पर पुल दूसरी पंचवर्षीय योजना में बनाने का विचार रखती है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—इस पुल के निर्माण का प्रस्ताव द्वितीय पंचवर्षीय योजना के सम्बन्ध में सरकार के विचाराधीन है।

श्री नत्थूसिंह—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि निर्माण विभाग द्वारा द्वितीय पचवर्षीय योजना बन चुकी है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—योजना तो अवश्य बन चुकी है लेकिन कौन सड़कें और कौन पुल उसमें लिये जायं यह अन्तिम रूप से तै नहीं हो पाया है क्योंकि जो रकम सरकार को पहले मिलने वाली थी केन्द्रीय सरकार से वह कम कर दी गई है। इसलिये जो प्रस्ताव पहले विचारे गये थे अब उनमें भी परिवर्तन करना आवश्यक हो गया।

श्री नत्थूसिंह—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि उन्होंने इस पुल को द्वितीय पंचवर्षीय योजना में बनाने का भी आश्वासन दिया है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—इस पुल के सम्मिलन करने के विचार पर आश्वासन अवश्य दिया है।

श्री मदनमोहन उपाध्याय—क्या यह बात सही है कि प्रान्तीय सरकार ने तमाम जिला प्लानिंग कमेटीज को इस बात की सूचना दे दी है कि अगली पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट के ये ये काम होंगे ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—जी हां, टेन्टेटिव जो कार्य लिये जाने को हैं उनके सम्बन्ध में सूचना दी गई थी लेकिन जैसा निवेदन किया चूंकि केन्द्रीय सरकार की सहायता कम हो गई है इसलिये दोबारा विचार करना आवश्यक होगा।

श्री व्रजभूषण मिश्र (जिला मिर्जापुर)—क्या सरकार बतलायेगी कि अब कुल कितनी लागत आंकी गई है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—६० लाख रुपये।

श्री मदनमोहन उपाध्याय—क्या यह बात सही है कि प्रान्तीय सरकार ने, जिन सड़कों या पुलों को वह सेकेंड फाइव ईयर प्लान में बनाने जा रही है, उनकी एक लिस्ट गवर्नमेंट आफ इंडिया को भेज दी है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—जी नहीं, अभी पूरी लिस्ट नहीं भेजी है।

श्री नत्थूसिंह—क्या सरकार इस पुल को बनाने के लिये प्राथमिकता देगी ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—यह तो अवश्य विचाराधीन है।

कानपुर में गोविंदनगर और दर्शनपुरवा के बीच रेलवे पुल न होने से दुर्घटनायें

*४३---श्री ब्रह्मदत्त दीक्षित (जिला कानपुर)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि कानपुर में गोविन्दनगर और दर्शनपुरवा के बीच रेलवे पुल की व्यवस्था न होने के कारण अक्सर रेलवे लाइन को पार करते समय निकलने वालों की मृत्यु हो जाती है ? यदि हां, तो गत तीन वर्षों में कितने आदमी वहां रेल से कट कर मर गये ?

*४४---क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या प्रदेशीय सरकार ने केन्द्रीय सरकार के रेलवे विभाग को इस सम्बन्ध में लिखा है ? यदि नहीं, तो क्या वे अब लिखेंगे ?

*४५---क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि विकास बोर्ड ने जब गोविन्द नगर में प्लाट बेचे थे, उस समय इस पुल को बनवाने का आश्वासन दिया था ? यदि हां, तो यह कार्य कब तक पूरा हो जायेगा ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---मांगी हुई सूचना एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होने पर दी जायगी।

श्री ब्रह्मदत्त दीक्षित---क्या माननीय मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि इसका उत्तर एकत्रित करने में कितना समय लगेगा ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---उत्तर सभी स्थानों से मांगे गये हैं क्योंकि कई स्थानों से उत्तर आने को हैं। मेरा विचार है कि अगली मर्तबा जब आप सवाल करेंगे तो उत्तर आ जायेंगे।

श्री ब्रह्मदत्त दीक्षित---क्या माननीय मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि मेरा यह सवाल स्टैंड करेगा या सब फिर से लिख कर भेजना पड़ेगा ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---इसकी तो सूचना देनी होगी।

श्री रामचन्द्र विकल---क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि अब तक सूचना को एकत्र करने में कितना समय लग चुका है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---यह प्रश्न २८-१०-५५ को विभाग में आया था। तब से इसके संबंध में कार्य किया जा रहा है।

श्री नत्थूसिंह---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इस सूचना का सम्बन्ध सारे प्रान्त से है या किसी जिले से ?

श्री अध्यक्ष---यह तो आप प्रश्न से देख सकते हैं। प्रश्न तो आपके पास मौजूद है।

*४६---श्री व्रजभूषण मिश्र---[प्रश्न ५१ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

*४७-४९---श्री शिवपूजन राय---[स्थगित किये गये।]

*५०-५२---श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ (जिला अलीगढ़)---[प्रश्न १४-१६ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

*५३---श्री भोलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)---[स्थगित किया गया।]

दिलदारनगर, जिला गाजीपुर, में टाउन एरिया स्थापित करने का विचार

*५४—श्री भोलासिंह यादव—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गाजीपुर तहसील जमानियां में वे दिलदारनगर को टाउन एरिया बनाने के लिये सोच रहे हैं ?

श्री कैलाशप्रकाश—जिला गाजीपुर, तहसील जमनियां, में दिलदारनगर को टाउन एरिया बनाने का जिलाधीश गाजीपुर का प्रस्ताव अभी हाल ही में शासन को प्राप्त हुआ है। उस पर आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

श्री भोलासिंह यादव—माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि दिलदारनगर कस्बे की आबादी क्या है ?

श्री कैलाशप्रकाश—यह तो जब प्रस्ताव जिलाधीश के यहां से आयेगा उसमें सब लिखा हुआ आयेगा। इस समय नहीं है।

श्री भोलासिंह यादव—माननीय मंत्रीजी बताने की कृपा करेंगे कि अगर विचार होगा तो उसके आसपास के गांवों को मिलाने के लिए उस पर विचार करेंगे ?

श्री कैलाशप्रकाश— जो प्रस्ताव वहां से आया है वह दिलदारनगर के लिए आया है। आसपास के लिए प्रस्ताव ही नहीं आया है तो उस पर विचार क्या होगा ?

श्री व्रजभूषण मिश्र—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि टाउन एरिया बनाने के लिए कौन कौन सी बातों की जरूरत होती है ?

श्री अध्यक्ष—यह तो आम सवाल आप पूछ रहे हैं। मैं समझता हूं कि कई दफा जवाब दिया जा चुका है।

*५५–५६—श्री यमुनासिंह—[प्रश्न ३०–३१ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

*५७–५८—श्री लालबहादुरसिंह (जिला जौनपुर)—[प्रश्न २७–२८ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

*५९–६१—श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी (जिला आगरा)— [प्रश्न २२–२४ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

कचहरियों में मैजिस्ट्रेटों के कार्य में अनियमितता की शिकायत

*६२—श्री देवकीनन्दन विभव (जिला आगरा) (अनुपस्थित)—क्या न्याय मंत्री को विदित है कि कचहरियों में मैजिस्ट्रेटों के अनुपस्थित रहने की सूचना जनता को दिन समाप्त होने पर मिलती है जिससे उन्हें बड़ा कष्ट होता है ? क्या सरकार कोई ऐसी व्यवस्था करेगी कि मुकदमे जिस दिन पेश न होने वाले हों तो दोनों पक्षों को उसकी सूचना प्रारम्भ में ही मिल जाय ?

श्री सैयद अली जहीर—इस किस्म की शिकायत कभी कभी सुनने में जरूर आयी है लेकिन सरकार अभी इस बात पर विचार कर रही है कि इसके वास्ते क्या आदेश जारी किये जायं।

श्री रतनलाल जैन (जिला बिजनौर)—क्या माननीय मंत्री जी को यह ज्ञात है कि मैजिस्ट्रेटों के कोर्ट में अक्सर बहुत से मुकदमे लगे रहते हैं और वे शुरू ही में यह जान लेते हैं कि वे कितने ही मुकदमों को नहीं ले सकेंगे मगर पक्ष वालों

नोट—सारांकित प्रश्न ६२ श्री रतनलाल जैन ने पूछा।

को इत्तला नहीं देते हैं और वे शाम तक पड़े रहते हैं, तो क्या ऐसा कोई आदेश सरकार का जारी करने का विचार है कि ऐसे मुकदमों के पक्ष वालों को शुरू में ही इत्तला दे दी जाया करे ?

श्री सैयद अली जहीर—ऐसे आदेश जारी करने में बहुत सी कठिनाइयां हैं। उन सब के ऊपर हम विचार कर रहे हैं। जब हम इस नतीजे पर आ जायंगे कि किस किस्म के आदेश जारी करें तो जरूर जारी कर देंगे।

श्री शिवनाथ काटजू (जिला इलाहाबाद)—क्या सरकार ने कोई वक्त मुकर्रर किया है कि मैजिस्ट्रेट अपनी कचहरी में फलां वक्त आयें और फलां वक्त तक काम करें ?

श्री सैयद अली जहीर— मेरे ख्याल में वक्त तो जरूर मुकर्रर है लेकिन अक्सर दिक्कत यह होती है कि उनको और बहुत से अपने फरायज अन्जाम देने होते हैं जिसकी वजह से वे उस वक्त की पाबन्दी बाज वक्त नहीं कर पाते हैं।

श्री जगदीशप्रसाद (जिला मुरादाबाद)—क्या माननीय मंत्री को पता है कि दोनों पक्षों के बहुत से लोगों को कई-कई पेशियां पर आना पड़ता है जब कि उनके मुकदमों की सुनवाई नहीं होती ?

श्री सैयद अली जहीर—ऐसा होता होगा जरूर।

श्री शिवनाथ काटजू—क्या सरकार को मालूम है कि मजिस्ट्रेट्स कचहरी में ११ बजे के बजाय अक्सर एक या दो बजे तशरीफ लाया करते हैं ?

श्री सैयद अली जहीर—जी हां, मैंने बतला दिया कि और कामों की वजह से मुमकिन है देर हो जाती हो।

श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कौन सा मसला विचाराधीन है ? अध्यक्ष महोदय, प्रश्न यह है कि जिस रोज मजिस्ट्रेट आने वाले न हों उसकी सूचना सुबह या शाम को दे दी जाय तो क्या यही मसला विचाराधीन है ?

श्री सैयद अली जहीर—इसमें तो सूचना यही पूछी गई है कि जिस रोज मुकद्दमे पेश न होने वाले हों तो उसकी इत्तिला फरीकेन को शुरू में ही दे दी जाया करे। इसमें दिक्कत यह है कि बाज वक्त ऐसा हो सकता है कि शुरू में समझा जाय कि मुकदमा पेश हो सकेगा लेकिन बाद में मालूम हो कि नहीं हो सकेगा तो इसकी वजह से तारीख बढ़ानी पड़ती है। इसलिये यह मुमकिन नहीं होता है कि शुरू में ही तय हो जाय कि कौन मुकदमा हो सकेगा और कौन नहीं। इसलिये इस सिलसिले में आदेश जारी करना सहल नहीं है।

श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी—अध्यक्ष महोदय, इसमें अगर मजिस्ट्रेट उपस्थित न हों तो उसकी सूचना दे दी जाय और कोई सवाल नहीं है।

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि आप विवाद कर रहे हैं। आप उत्तर समझ लें और वह आपका प्रश्न समझ लें।

श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी—अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न यह है कि क्या सरकार प्रबन्ध करेगी कि जिस रोज मजिस्ट्रेट न आने वाले हों उसकी सूचना प्रारम्भ में ही दे दी जाय।

श्री सैयद अली जहीर—इस किस्म के आदेश पहले से ही जारी हैं जो मैं अंग्रेजी में पढ़े देता हूं और फिर उसका तर्जुमा कर दूंगा।

"On occasions when the court work has to be postponed owing to unavoidable circumstances telegrams or other urgent intimation should be sent in time in order that the witnesses and person concerned may be informed of the change of the date and saved from unnecessary attendance."

यहां तक जारी है, लेकिन बाज वक्त ऐसा होता है कि मुकद्दमा लगा होता है, फरीकेन आते हैं, लेकिन मुकद्दमा पेश नहीं हो पाता है और फिर उनको वापस जाना पड़ता है। इसके लिये क्या आदेश जारी किये जायं, इस पर गौर किया जा रहा है।

श्री दीनदयालु शर्मा (जिला बुलन्दशहर)—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इन आदेशों का पालन नहीं किया जाता है, ऐसी शिकायतें मंत्री जी के पास आई हैं?

श्री सैयद अली जहीर—इन आदेशों का पालन नहीं किया जाता इसकी शिकायतें नहीं आईं।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या सरकार को यह जानकारी है कि मंत्रिमंडल के माननीय सदस्य, उपमंत्री तथा सभा सचिव वगैरा जब आते हैं तो कचहरियों में काम करने वाले अधिकारी अदालत में न बैठ कर उनके स्वागत तथा अन्य काम में लगे रहते हैं?

श्री सैयद अली जहीर—जी नहीं। इसके मुताल्लिक यह आदेश हैं कि जिन लोगों को ऐसे वक्त पर सरकारी काम करना हो या अदालत में जाना हो तो उनको स्वागत के लिये जाने की जरूरत नहीं है।

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)—क्या सरकार कृपा करके नोटिस इश्यू करेगी कि हर हफ्ते के मुकद्दमों की सूची लगवा दिया करे?

श्री अध्यक्ष—आप कृपा करके उनके पास अपना सुझाव भेज दें, यह आपका प्रश्न नहीं है।

श्री व्रजभूषण मिश्र—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह आदेशपत्र किस तारीख को जारी हुआ था?

श्री सैयद अली जहीर—जो मैंने आदेश पढ़ कर सुनाया यह तो हमारी क्रिमिनल और रेवेन्यू कोर्ट की हैंडबुक की दफा १२ के पैरा ४ में लिखा हुआ है।

झांसी जिले में सगोली तालाब के सम्बन्ध में पूछताछ

*६३—**श्री लक्ष्मणराव कदम** (जिला झांसी)—क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सगोली (तहसील गरौठा) जिला झांसी का तालाब कब से फूटा पड़ा है और उसकी अभी तक मरम्मत न होने का क्या कारण है?

श्री कमलापति त्रिपाठी—सगोली तालाब बिलकुल ठीक है। इसके पानी निकालने वाले फाटक को प्रतिवर्ष वर्षा के पश्चात् आवश्यकतानुसार छोटी-मोटी मरम्मत कर दी जाती है।

*६४—**श्री लक्ष्मणराव कदम**—क्या सरकार को पता है कि तालाब फूट जाने से किसानों की बड़ी हानि हो रही है और उनसे आबपाशी बराबर वसूल की जा रही है?

श्री कमलापति त्रिपाठी--यह प्रश्न नहीं उठता। इस तालाब से कोई सिंचाई नहीं होती है। तालाब खाली होने पर उस भूमि पर रबी की फसल बोई जाती है, उसी पर सिंचाई कर लिया जाता है।

आगरा जिले की बाह तहसील में नल-कूप निर्माण योजना

*६५--**श्री देवकीनन्दन विभव** (अनुपस्थित)--क्या सिंचाई मंत्री को विदित है कि आगरा में जो ट्यूबवेल सम्बन्धी परीक्षण हुये थे, उससे यह स्पष्ट है कि आगरे में ट्यूबवेल सफलतापूर्वक उपयोग में लाये जा सकते हैं? यदि हां, तो क्या वे बाह तहसील के साथ ही आगरा और अन्य तहसीलों में विस्तृत रूप से ट्यूबवेल लगाने की योजना पर विचार कर रहे हैं?

श्री कमलापति त्रिपाठी--जी हां। लेकिन अन्य तहसीलों में नहर द्वारा सिंचाई के साधन उपलब्ध होने के कारण बाह तहसील को नलकूपों के लिये प्राथमिकता दी गई है।

श्री शिवनाथ काटजू--क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि ट्यूबवेल लगाने में क्या उनको इसकी जानकारी है कि पानी जमीन की सतह से कितना नीचा है?

श्री कमलापति त्रिपाठी--मेरा खयाल है कि ४०० फीट से ज्यादा नीचा है।

श्री शिवनाथ काटजू--क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि उनको यह पता लगा है कि पानी का लेविल नीचे जा रहा है?

श्री कमलापति त्रिपाठी--जहां ट्यूबवेल्स हैं वहां के लिये यह प्रश्न उठ सकता है और आगरा में तो अभी ट्यूबवेल्स लगे ही नहीं। वहां तो पानी नीचे मौजूद है और कहां चला जायगा?

श्री शिवनाथ काटजू--मेरा प्रश्न करने का तात्पर्य यह था कि रेगिस्तान आगरा की तरफ बढ़ता जा रहा है। तो इस दृष्टिकोण से मैं जानना चाहता था कि पानी का लेविल स्थायी है या नीचे जा रहा है?

श्री कमलापति त्रिपाठी--जहां नहरें हैं वहां पानी का लेविल ऊंचा जा रहा है और जहां ट्यूबवेल्स हैं वहां पानी का लेविल नीचे जाता है लेकिन बरसात और बाढ़ के कारण से वह बराबर रहता है, नीचे नहीं जाने पाता।

श्री श्रीचन्द्र--क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि कितनी गहराई तक के पानी के ट्यूबवेल्स सफल हो रहे हैं?

श्री कमलापति त्रिपाठी--यह प्रश्न आगरा के लिये है या सारे प्रदेश के लिये?

श्री श्रीचन्द्र--आगरा के लिये।

श्री कमलापति त्रिपाठी--आगरा में बाह में जो कुयें खोदे गये हैं, साढ़े चार सौ, पौने चार सौ और चार सौ फीट गहरे, वह खूब सफल हुए हैं और उनसे पानी भी खूब निकल रहा है। पहले ऐसा खयाल था कि शायद बाह की तहसील में पानी न मिले लेकिन वहां खासा पानी मिला, काफी ठंडा और मीठा।

श्री जगन्नाथ मल्ल (जिला देवरिया)--यह देखते हुये कि आगरा के पानी में मीठापन है क्या सरकार इस पानी से चीनी बनवाने का प्रबन्ध करेगी?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया।)

नोट--तारांकित प्रश्न ६५ श्री रामेश्वर लाल ने पूछा।

विधायक-निवास निर्माण पर व्यय

*६६—श्री कल्याणचन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद)—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि विधायक निवास स्थान बनाने में अब तक कितना रुपया व्यय हो चुका है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—विधायक निवास के बनने में अब तक ३९,३८,६०२ रु० ११ आना ६ पाई खर्च हुआ है ।

श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या माननीय मंत्री महोदय कृपा कर यह बतायेंगे कि पूरी इमारत बनाने का कितना एस्टीमेंट बनाया गया था ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—इस समय इसकी सूचना मेरे पास नहीं है । सूचना की आवश्यकता होगी ।

श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या माननीय मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि जितना धन इस समय लगा हुआ है उसमें कितने सदस्यों के लिये रहने की व्यवस्था की गयी है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—विचार तो यह किया गया था कि सभी सदस्यों को उसमें रखा जा सके लेकिन लगभग हर सूट में दो व्यक्तियों के रहने की व्यवस्था है सिवाय कुछ को छोड़ कर जो केवल एक के लिये हैं ।

श्री व्रजविहारी मिश्र (जिला आजमगढ़)—क्या माननीय मंत्री महोदय को मालूम है कि विधायक निवास के कमरों में बनावट में त्रुटि के कारण ऊपर के कमरों में वर्षा ऋतु में सीलन आ जाया करती है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—सभी कमरों में तो नहीं आती । कहीं किसी में आ जाती है लेकिन वह भी हमेशा बनावट के दोष के कारण नहीं बल्कि स्वाभाविक रूप से भी ऐसा हो जाता है ।

श्री मदनमोहन उपाध्याय—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे जब यह विधायक निवास बनाने का काम शुरू हुआ तो पहले इसकी डिटेल्ड एस्टीमेट्स बनाये गये थे ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—जी हां, अवश्य ।

श्री शिवनाथ काटजू—क्या सरकार विधायक निवास में और कमरे बनवाने का विचार कर रही है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—कोई ऐसा प्रश्न विचाराधीन तो है नहीं ।

श्री जगन्नाथ मल्ल—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जो रुपया बताया गया है वह केवल इमारतों पर जो रुपया खर्च हुआ है, वह है या जो फर्नीचर आया है उसका भी दाम उसमें शामिल है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—जी हां, फर्नीचर, इमारत, फिटिंग आदि सभी का है ।

विधायक निवास बनाने वाले ठेकेदारों का सरकार पर दावा

*६७—श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि विधायक निवास बनाने वाले ठेकेदार से और सरकार से कोई मुकदमा चल रहा है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---जी हां।

सरकार के हिसाब से जो रुपया निकलता था ठेकेदार उससे अधिक मांगते थे। सरकार ने इसे स्वीकार नहीं किया। इसलिये ठेकेदार ने सरकार पर दावा किया है। सरकार की ओर से उन दावों की पैरवी की जा रही है।

श्री जगन्नाथ मल्ल---क्या सरकार उस ठेकेदार का नाम बतायेगी जिससे कि सरकार का मुकदमा चल रहा है?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---जेठामल ऐंड संस और श्री उमराव सिंह।

श्री मदनमोहन उपाध्याय---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जब एस्टीमेट्स पर कंट्रेक्टर को ठेका दिया गया था तो कंट्रेक्टर क्या एस्टीमेट्स से कुछ ज्यादा रुपया मांग रहे हैं?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---एस्टीमेट्स का उसमें प्रश्न नहीं है, श्रीमन्, बल्कि जेठामल ऐंड संस को प्रारम्भ में ठेका दिया गया था उन्होंने काम नहीं किया फिर उमराव सिंह को दिया गया। उस बीच का रुपया वह मांगते हैं। उमराव सिंह ने जो काम किया उसका भी रुपया मांगते हैं जो कि गलत है।

श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी---यह कितने रुपये का क्लेम है जो ठेकेदार कर रहा है और कितना रुपया गवर्नमेंट देने को तैयार है?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---जेठामल ऐंड संस ने ८,६४,००० रुपया मांगा है और विभाग के अनुसार केवल ९,८६३ रु० ८ आ० होना चाहिये। उमराव सिंह ने ८,४२,६०१ रु० ६ आ० मांगा है जब कि विभाग के अनुसार उसका २५,१४२ रु० १५ आना ९ पाई होना चाहिये।

श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी---बाकी रक़म का क्या पेमेंट हो चुका है?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---जी हां। बहुत रुपया दिया जा चुका है। और यह उमराव सिंह का तो अन्तिम फाइनल बिल वाला मामला है।

श्री रामकुमार शास्त्री (जिला बस्ती)---क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके बतलायेंगे कि जेठामल ऐंड संस और उमराव सिंह शरणार्थी हैं?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---जहां तक मैं जानता हूं, श्री उमराव सिंह तो शायद लखनऊ के रहने वाले हैं और जेठामल ऐंड संस के बारे में मुझे मालूम नहीं। माननीय सदस्य को हो सकता है कि मालूम हो।

श्री श्यामलाल (जिला गोंडा)---क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि काम के कराने के पेश्तर उनसे टेंडर मांगे गये थे और अगर मांगे गये थे तो ऐक्सेप्ट किये गये थे या नहीं?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---अवश्य मांगे गये थे और स्वीकार किये गये थे।

श्री कल्याणचन्द मोहिले---क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि जिस समय टेंडर मांगे गये थे उस समय विदेशों से भी टेंडर आये थे और उनके टेंडर कम होते हुये भी उन्हें न दे कर यहां के ठेकेदारों को टेंडर दिया गया?

श्री शिवनाथ काटजू---मैं एक प्वाइंट आफ आर्डर रेज करना चाहता हूं। मेरा निवेदन है, चूंकि मुकदमा चल रहा है तो बहुत सारे सवाल मुनासिब नहीं होंगे।

श्री अध्यक्ष---मैं इस चीज को लक्ष्य से देखता जा रहा हूं कि कहीं मुकदमें के ऊपर तो किसी प्रश्न का एडवर्स असर नहीं पड़ता है।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है।

श्री जगन्नाथ मल्ल---क्या सरकार अलग-अलग, कितना इमारत पर खर्चा हुआ, कितना फिटिंग पर हुआ और कितना फर्नीचर पर हुआ, बताने की कृपा करेगी ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---इसके लिये भी नोटिस की आवश्यकता होगी ।

रुड़की में मुन्सिफी अदालत कायम करने की मांग

*६८---श्री दीनदयालु शास्त्री (जिला सहारनपुर)---क्या सरकार को ज्ञात है कि सहारनपुर जिले के मुन्सिफी के आधे से अधिक मुकद्दमे रुड़की तहसील के होते हैं।

श्री सैयद अली जहीर---यह सही नहीं है कि सहारनपुर जिले के मुंसिफी के आधे से अधिक मुकदमें रुड़की तहसील के होते हैं ।

*६९---श्री दीनदयालु शास्त्री---क्या सरकार का विचार रुड़की में मुंसिफी अदालत कायम करने का है ? यदि हां, तो कब तक, यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सैयद अली जहीर---यह विषय अभी सरकार के विचाराधीन है और कोई निर्णय निश्चित रूप से अभी नहीं किया गया है।

श्री दीनदयालु शास्त्री ---क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि रुड़की में मुंसिफी कायम करने के विषय पर कब तक विचार हो जायगा ?

श्री सैयद अली जहीर---मैं कोई समय निर्धारित नहीं कर सकता हूं ।

फजिहतवा नाले तथा ककरही घाट पर पुलों के निर्माण का आयोजन

*७०---श्री प्रभुदयाल (जिला बस्ती)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बांसी नौगढ़ रोड पर ककरही और फजिहतवा नदी पर पक्का पुल बनवाने का काम वह कब शुरू कराने जा रही है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---फजिहतवा नाले पर पक्के पुल का प्रस्ताव द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत सरकार के विचाराधीन है। ककरही घाट पर पक्का पुल मंजूर हो गया है तथा उसका डिजाइन बन रहा है। इसके तैयार होने पर काम शीघ्र ही आरम्भ हो जायगा। जब तक पक्का पुल तैयार नहीं होता तब तक के लिये एक पाइल ब्रिज बनाया जा रहा है।

श्री प्रभुदयाल---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बांसी से नौगढ़ और नौगढ़ से लुम्बनी, जो महात्मा बुद्ध का जन्मस्थान है और जहां बहुत से यात्री जाते हैं, इस सड़क को बना देने का कब तक विचार करती है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---यह तो विचाराधीन है। अगर द्वितीय पंचवर्षीय योजना में इसको लिया जा सका तो अवश्य लिया जायगा।

श्री मदनमोहन उपाध्याय---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जो पहले द्वितीय पंचवर्षीय योजना की स्कीम प्रादेशिक सरकार ने केन्द्रीय सरकार को भेजी थी उसमें यह पुल भी शामिल था या नहीं ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---केन्द्रीय सरकार को केवल रूपरेखा भेजने की आवश्यकता थी, अलग-अलग सड़कें, और पुल उसमें शामिल किये जाने की आवश्यकता नहीं थी।

श्री मदनमोहन उपाध्याय---क्या सरकार ने केन्द्रीय सरकार से जो रुपया द्वितीय पंचवर्षीय योजना के लिये यहां मंजूर हुआ है उसके बाद कोई स्कीम पुलों और सड़कों की बनाई गई है और उसमें यह पुल है या नहीं ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---अभी तो पंचवर्षीय योजना का स्वरूप भारतीय सरकार से स्वीकृत भी नहीं हुआ, लिहाजा रुपया अलाट होने की कोई बात उठती नहीं।

श्री रामकुमार शास्त्री---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ककरही घाट पर जो पुल बनाने का उसने निश्चय किया है उस पर कितनी लागत लगेगी ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---२० हजार रुपया लगेगा उसमें ।

श्री शिवनारायण---क्या सरकार इस बात का खयाल करते हुए कि वहां बुद्ध जी का जन्म दिवस मनाया जायगा जिसमें बहुत से यात्री आयेंगे काम जल्दी शुरू कर देगी ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---वहां का कार्य तो प्रारम्भ हो गया है।

श्री मदनमोहन उपाध्याय---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो योजनायें प्रादेशिक सरकार से, लखनऊ हेडक्वार्टर्स से जिला प्लानिंग कमेटीज़ के पास स्वीकृत हो कर गयी हैं वे योजनाओं में शामिल नहीं होंगी ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---उनमें तो संशोधन किया जा रहा है क्योंकि वे योजनायें टेन्टेटिव थीं और उसके पश्चात् निधि में कमी हुई।

इटावा जिले में सैंगर नदी के जुआ ग्राम स्थित पुल का जीर्णोद्धार

*७१---श्री तुलाराम (जिला इटावा) (अनुपस्थित)---क्या सरकार को ज्ञात है कि इटावा जिले का सैंगर नदी का जुआ का पुल भग्नप्रायः हो रहा है ? क्या सरकार उसका जीर्णोद्धार कराने का विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री सैयद अली ज़हीर---जी हां।

वर्तमान वित्तीय वर्ष के अन्त तक इटावा जिले की सैंगर नदी के जुआ ग्राम स्थित पुल की मरम्मत पूरी हो जाने की आशा की जाती है।

*इंडियन फारेस्ट (यू० पी० संशोधन) विधेयक, १९५५
†खंड २ (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष---अब उत्तर प्रदेश इंडियन फारेस्ट (यू०पी० संशोधन) विधेयक, १९५५, पर विचार जारी होगा ।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य (जिला जौनपुर)---मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि कल मेरा एक संशोधन इंडियन फारेस्ट विधेयक में ४ के विरुद्ध ६१ वोट से स्वीकृत हुआ था लेकिन आज स्वतंत्र भारत अखबार में निकला है कि वह संशोधन गिर गया। मैं चाहता हूं कि आप उनको ताकीद करदें कि वह सही रिपोर्ट किया करें।

श्री अध्यक्ष---मैं समझता हूं कि ऐसी साधारण सी गलती होती रहती है। तो उसके लिये आप उनको लिख दें वह ठीक कर देंगे। यो तो आप विशेषाधिकार का प्रश्न उठायें या नहीं तो आप स्वयं उनको लिख दें वह इसका प्रतिवाद कर देंगे। जब वह खुद ही कर देंगे तो फिर सदन का समय क्यों इसके लिये लिया जाय ?

---

*५ दिसम्बर, १९५५, की कार्यवाही में छपा है।
†१९ दिसम्बर, १९५५, की कार्यवाही में छपा है।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य---रिपोर्टर यहां पर बैठते हैं। आपके मातहत हैं यदि उनको आप कहें तो वह इसकी दुरुस्ती कर सकते हैं।

श्री अध्यक्ष---आपको लिखकर मेरे कमरे में भेज देना चाहिये। मैं उसको देख लूंगा। लेकिन मैं आपसे यह उम्मीद करता हूं कि जब तक प्रश्न उठाने के लायक न हो सदन में तब तक न उठाया जाय।

श्री रतनलाल जैन (जिला बिजनौर)---श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से यह जो संशोधन मैंने कल पेश किया था उसके स्थान पर यह प्रस्ताव करता हूं कि खंड २ में प्रस्तावित धारा 38 B की उपधारा (२) की पंक्ति ९ के शब्द 'Considered' व शब्द 'by' के मध्य में निम्नलिखित शब्द बढ़ा दिये जायं:---

"and compensated if his case is genuine and if he is adversely effected."

मेरे इस संशोधन का तात्पर्य यह है कि इस विधेयक में जो धारा उपस्थित है इस धारा में केवल इस बात का विचार किया गया है कि जो नोटिफिकेशन निकालने के पहले यह पेड़ न काटा जाय या काटा जाय, उसमें तराश किया जाय या न किया जाय। उसमें अगर कोई क्लेमेन्ट होता है तो उसके उजर होने पर सिर्फ दो दशायें रहती हैं कि उनका उजर होने के बाद नोटिफिकेशन किया जाय या न किया जाय। गवर्नमेंट के सामने सिर्फ दो ही परिस्थिति हैं कि नोटिफिकेशन निकाले या न निकाले। एक ऐसी परिस्थिति आ सकती है कि जहां नोटिफिकेशन निकालना जरूरी है और जिसका दावा हो और जिसने उजर किया हो उसके उजर में कुछ तथ्य भी हो। जमींदारी विनाश के पहले बहुत से पट्टे उठाये गये हैं और उन पट्टेदारों में १० गुना रुपया भी दाखिलकर के कितने ही भूमिधर हो गये हैं। इसके अलावा जिन क्षेत्रों में यह जमींदारी विनाश कानून लागू नहीं है जैसे कि पहाड़ का इलाका है वहां पर भी यह हो सकता है कि एक बहुत बड़ा जंगल का क्षेत्र है और उसके बीच में कुछ ने पट्टे ले लिये हैं वहां पर थोड़े से क्षेत्र में खेती करने लगे हैं और पूरे क्षेत्र में खेती नहीं कर सके हैं। मान लीजिये कि किसी ने ३००,४०० एकड़ का पट्टा लिखा लिया है और उसमें वह अभी तक ३०,४० एकड़ जमीन तोड़ सका है या तो वह इस कारण से कि उसके पास साधन नहीं थे या इस कारण से कि जंगल विभाग ने उसको नहीं तोड़ने दिया। इस प्रकार की हालत बहुत सी जगह है कि लोगों को पट्टे दे दिये गये हैं। मेरे कहने का मतलब यह है.....

श्री अध्यक्ष---सदन में बहुत शोर हो रहा है। कृपया सदस्य शांत हो जायं।

श्री रतनलाल जैन---इस विधेयक में केवल यह बात आती है कि जहां नोटिफिकेशन निकले और दावा उपस्थित किया गया तो आसिस्टेंट कलेक्टर इस पर विचार करेंगे। अगर उसके दावे में कोई तथ्य है तो उसे मान लें और नोटिफिकेशन न निकालें। या इसकी बात न मान कर नोटिफीकेशन निकालें।

एक अन्य परिस्थिति भी उत्पन्न हो सकती है जिस पर इस विधेयक में विचार नहीं किया गया है। मान लीजिये कि किसी ने ३००,४०० एकड़ का पट्टा ले लिया है और वह अभी तक केवल ३०,४० एकड़ तोड़ पाया है क्योंकि या तो उसके पास साधन नहीं थे या उसे जंगलात ने नहीं तोड़ने दिया क्योंकि रैवेन्यू कोर्ट तो कहता था कि यह पट्टा बिल्कुल ठीक है मगर जंगलात रोकता था, यह भी हुआ है कि पट्टेदार को जमीन नहीं तोड़ने दी जंगलात ने। अगर उज्रदारी को गवर्नमेंट ने ठीक माना, उसने दसगुना भी दे दिया और भूमिधर हो गया, तो ऐसी परिस्थिति में उसके दावे में जान है। मगर सरकार यह समझती है कि जहां वह क्षेत्र स्थित है, अगर उस पर लागू नहीं किया जायगा तो तमाम जंगलात की योजना ही रद्द हो जायगी, इसलिये इसके सम्बन्ध में नोटीफिकेशन निकालना जरूरी है। ऐसी हालत में पट्टेदार को बहुत हानि होने का अन्देशा है। जो जंगल खड़ा रह जायगा उससे वह उज्रदार कोई लाभ नहीं उठा सकता है और न उस जमीन से ही कोई लाभ उठा सकेगा जो उसने तोड़ ली है क्योंकि वह थोड़ी होगी और इकानामिक नहीं होगी, क्योंकि जंगल में थोड़ी खेती नहीं चल सकती है, उसे

[श्री रतनलाल जैन]

जानवरों से भी बचाना होता है। उसकी बाकी जमीन बेकार हो गयी और तोड़ी हुयी जमीन भी उसे छोड़नी पड़ती है हालांकि सरकार उसे नहीं लेती है। अब प्रश्न यह है कि ऐसी परिस्थिति में सरकार क्या करेगी। नोटिफिकेशन न निकालने से जंगलात का नुकसान होता है। अगर निकालती है तो उस गरीब को जिसने पट्टा लेकर १० गुना भी दे दिया है बहुत हानि उठानी पड़ती है। ऐसी हालत में सरकार उसे मुआविजा दे दे। लैन्ड एक्वीजीशन ऐक्ट इसमें लागू नहीं होता है मगर इसमें यह सिद्धांत माना गया है कि अगर किसी की जमीन ले ली जाती है और उसके कारण उसकी दूसरी जमीन में नुकसान पहुंचता है तो उसका भी मुआविजा सरकार देती है। मैं आपकी आज्ञा से लैन्ड एक्वीजीशन ऐक्ट का रैलवेन्ट (संबंधित) हिस्सा पढ़ता हूं। धारा २३ के तीसरे भाग में दिया है कि:—

"The damage, if any, sustained by the person interested at the time of the Collector's taking possession of the land, by reason of severing such land from his other land.

और चौथ में है कि:—

"The damage, if any, sustained by the person interested at the time of the Collector's taking possession of the land, by reason of the acquisition injuriously affecting his other property, moveable or immoveable, in any other manner or his earnings."

तो लैन्ड एक्वीजीशन ऐक्ट में यह सिद्धांत माना है कि उसकी दूसरी जमीन का भी मुआविजा दिया जाता है। लेकिन यह ऐक्ट यहां एप्लाई नहीं होता है क्योंकि जमीन तो ली नहीं जा रही है परन्तु उसका प्रभाव यह होता है कि उसकी तमाम जमीन बेकार हो जाती है। इसलिये कलेक्टर जब इन्क्वयरी करके सरकार के पास भेजता है तो वह इस बात को सोचता है कि नोटीफिकेशन निकालने से जो नुक्सान होता है उसका मुआविजा दे दे। मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी मेरे संशोधन को आवश्यक समझ कर स्वीकार करने की कृपा करेंगे।

वन उपमंत्री (श्री जगमोहनसिंह नेगी)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह समझ रहा था कि शायद माननीय सदस्य इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं और शायद इस कारण ऐसा संशोधन प्रस्तुत कर रहे हैं। मगर जब आपने एक शब्द अन्त में कहा कि लैन्ड एक्वीजीशन ऐक्ट को वह पढ़ रहे हैं मगर वह लागू नहीं है, तो जानबूझ कर ऐसी बातें हो रही हैं जिनकी वजह से शायद सदन का समय कुछ ज्यादा.....

श्री अध्यक्ष—सदन के समय का आपने जिक्र किया, इसलिये मैं कह दूं कि आप पहले उनकी आर्ग्यूमेंटस को पहले से सुन भी नही रहे थे, ऐसा मालूम होता है। आखिर में जब आपने सुना तो आपको खयाल हुआ कि वह समझ रहे थे। तो समझने की जहां तक बात है, उन्होंने समझ कर ही बात की है लेकिन उनका प्वाइंट भी आप सुन पाये हैं या नहीं, इसमें मुझे शक है।

श्री जगमोहनसिंह नेगी—मैंने वह सब सुना। आपका खयाल है कि नोटीफिकेशन के फलस्वरूप जहां-जहां पर उनको हानि पहुंचेगी तो उसकी पूर्ति सरकार को करनी चाहिये। पहले उन्होंने स्वयं इस बात को स्वीकार किया है कि गवर्नमेंट कोई एक्वायर नहीं कर रही है और उसमें हानि होने की सम्भावना शायद माननीय सदस्य के दृष्टिकोण से हो। मगर सरकार के दृष्टिकोण से कोई हानि होने की संभावना नहीं है क्योंकि जिस भूमि पर जंगल खड़ा है उसका उनके ही द्वारा सुधार करने को सरकार ने यह विधेयक रखा है। दावेदार के लाभ के लिये यह प्रावीजन है। यह जरूर है कि वह यह समझता हो कि उसे काट कर वह ज्यादा पैसा बना ले मगर इससे उसके इलाके के पास के लोगों को हानि होगी। जैसे सोने की मुर्गी के सभी अंडे कोई एक ही बार निकालना चाहे तो उसे सरकार रोकती है। सरकार चाहती है कि एक

वर्किंग प्लान के मुताबिक लोग अपने वन रक्खें जिससे उनको निरन्तर आमदनी होती रहे। उनके लिये बराबर निरन्तर आमदनी बढ़ाने व बनी रहने की नीयत इसम है। मुआविजे का सवाल तो तब आता है जब किसी की जमीन एक्वायर की जाय, लेकिन इस प्रकार की इसमें कोई बात नहीं है। इसलिये मैं समझता हूं कि वह अपना संशोधन वापस लेने की कृपा करेंगे।

श्री जयेन्द्रसिंह विष्ट (जिला टेहरी गढ़वाल)—अध्यक्ष महोदय, मैं रतनलाल जी के संशोधन का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। इसलिये इस विधेयक में माननीय मंत्री जी ने कितनी बार तर्क दिये और हमारी बदकिस्मती हो सकती है कि हम लोग उनकी बात से सहमत नहीं हो पा रहे हैं। रतन लाल जी का संशोधन बहुत साधारण है और बहुत छोटा संशोधन है। रतन-लाल जी समझते हैं कि सरकार गलती कर सकती है। अब यह नोटीफिकेशन सरकार निकालेगी। मुमिकन है सरकार के अधिकारी गलत इनफार्मेशन देकर नोटीफिकेशन निकाल दें जिसके जरिये से क्लेमेन्ट्स को, उन लोगों को जिनके खिलाफ नोटीफिकेशन निकाला जाता है, नुकसान हो सकता है। अध्यक्ष महोदय, जहां तक धारा ३८—बी का सब सेक्शन (२) है उसमें लिखा हुआ है कि नोटीफिकेशन होने से पहले क्लेमेंट्स को नोटिस दिया जायगा, तथा उन क्लेमेंट्स के आर्गू-मेंट्स को सुन कर ही नोटीफिकेशन निकाला जा सकता है। लेकिन इस विधेयक में दूसरी धारा ३८—सी है उसमें यह लिखा हुआ है कि सरकार को इमरजेंसी पावर्स होंगी कि नोटिस दिये बिना सरकार नोटीफिकेशन निकाल सकती है और ऐसे नोटीफिकेशन के जरिये ६ महीने तक कोई भी कार्य जो इस विधेयक में दिया हुआ है रोका जा सकता है।

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि आप जरा असंगत हो रहे हैं। जहां तक ३८—बी (२) का सम्बन्ध है, उस पर ३८—सी का कोई असर नहीं पड़ता।

श्री जयेन्द्रसिंह विष्ट—लेकिन, अध्यक्ष महोदय, ३८—सी में यह लिखा हुआ है....

श्री अध्यक्ष—जहां तक इस संशोधन का सम्बन्ध है, उसमें यह है कि जब आब्जेक्शन सुने जायेंगे तो उनको कंसीडर करते हुये अगर वे आब्जेक्शन सही पाये जायं तो कंपेंसेशन दिया जायगा व सही पाने के बाद एडवर्स इफेक्ट होता हो तभी कम्पेंसेशन देकर नोटीफिकेशन जारी होगा।

श्री जयेन्द्रसिंह विष्ट—यह उसी के सम्बन्ध में है। ३८—सी का रिफरेंस मैं इसीलिये दे रहा था क्योंकि सी के द्वारा सरकार को अधिकार दिया जा रहा है अतः उसका तर्क मैं दे रहा था।

श्री अध्यक्ष—मैं उसका रिफरेंस देने की इजाजत नहीं दे सकता। शायद आप उसको समझ नहीं सके। मैं इसको डिक्लेयर कर चुका हूं कि आप उसका रिफरेंस न दें क्योंकि वह असंगत होगा।

श्री जयेन्द्रसिंह विष्ट—जैसा कि श्री रतन लाल जैन का संशोधन है क्लेमेन्ट्स को मुआविजा दिया जाना चाहिये, यह न्याय संगत है। माननीय मंत्री जी दलील दे रहे थे कि वह वर्किंग प्लान के मुताबिक जंगलों को ठीक तरह से लगाने का प्रबंध करेंगे लेकिन फारेस्ट की डेफीनीशन में चरागाह वगैरा भी रख दिये गये हैं। तो इस प्रकार जो वन की परिभाषा रखी गयी है उसका अवश्य ही असर हो सकता है। मान लिया कि सरकार किसी गांव के बारे में नोटीफिकेशन करती है। उस गांव में हो सकता है कहीं पर पेड़ कट रहे हों एक तिहाई हिस्से में पेड़ कटते हों और सरकार जो नोटीफिकेशन जारी करेगी वह सारे गांव में लागू हो सकता है तो बाकी दो तिहाई भागमें जहां लोग खेती करते हैं उस पर भी उसका असर होगा। वहां पर लोगों को पेड़ काटने की आवश्यकता हो सकती है। इसलिये जब उस हिस्से पर असर होगा तब सरकार को उन क्लेमेंट्स को कुछ कम्पैन्सेशन देना लाजिमी है।

श्री रतनलाल जैन—माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे खेद है कि मैं अपने प्वाइंट को माननीय मंत्री जी को ठीक तौर से न बता सका, उन्होंने जो उत्तर दिया है उसमें उन्होंने मेरी रखी हुयी बात का उत्तर नहीं दिया। मैं उनके सामने फिर अपनी बात रखना चाहता हूं और वह यह है कि मेरे जिले में काफी जंगल है और मुझे सूचना है कि वहां पर बहुतों ने ठेके जंगल में जमीन के लिये हुये हैं और वे लोग भी बड़ी मुसीबत में पड़े हुये हैं, कुछ जमीन अपने पट्टे में से उन्होंने तोड़ ली है और कुछ को जंगलात ने तोड़ने नहीं दिया है। मैं एक मिसाल वहां की आप के समक्ष रखना चाहता हूं कि मान लीजिये कि एक जंगल दस बीस हजार एकड़ का है और उसके बीच में किसी ने एक पट्टा ३०० एकड़ का ले लिया है और उस में से वह अभी तक केवल ३० एकड़ जमीन ही तोड़ने पाया है और बाकी जो उसके पट्टे की २७० एकड़ जमीन रह गयी वह जंगलात ने नहीं तोड़ने दी। जो कानूनी पोजीशन थी वह यह थी कि वह पट्टेदार कानूनन अधिकारी है उस जमीन का, लेकिन आज अगर नोटीफिकेशन निकलती है तो पोजीशन यह होती है कि वह जितना जंगल यानी २७० एकड़ अगर नहीं तोड़ पाया है तो वह उसको नहीं तोड़ सकता, उस का पट्टा होते हुये भी, उस को वैसे ही छोड़ना पड़ेगा और जो ३० एकड़ उस ने तोड़ भी ली है उस में भी वह खेती न कर सकेगा। क्योंकि जंगल के बीच में थोड़े से रकबे पर कोई एकनामी (लाभप्रद) तरीके पर खेती नहीं कर सकता वहां पर, क्योंकि जंगली जानवरों का डर होता है और रक्षा करना कठिन है इसलिये बड़ा क्षेत्र होने पर ही पूरा इंतजाम कर सकना सम्भव हो सकता है वहां थोड़े से भाग में खेती करना लाभप्रद नहीं हो सकता और बड़े फार्म को लाभप्रद तरीके पर चलाया जा सकता है।

इसका नतीजा यह होता है कि ऐसे मामले में सरकार के सामने दो ही बातें आती हैं। उज्रदार ने सरकार के सामने अपना क्लेम रखा वह उस को मंजूर करे या नामंजूर करे दो ही बातें हैं या तो सरकार उस की उज्रदारी सुनकर नोटीफिकेशन न निकाले या उसकी उज्रदारी को नामंजूर कर के नोटीफिकेशन निकाले। मैं यह भी मान लूं कि सरकार के लिये नोटिफिकेशन निकालना जरूरी है क्योंकि उस का कम्पेक्ट एरिया खराब हो जायगा लेकिन उज्रदार की भी एक दिक्कत है कि अगर उस को आप वह ३० एकड़ छोड़ भी देते हैं तो उस के लिये वह बेकार है क्योंकि वह जंगल के बीच में इतने से क्षेत्र पर खेती नहीं कर सकता। इसलिये जब हम उस क्लेमेन्ट की दृष्टि से इस मामले को देखते हैं तो उसने भी जमीदारी अबालिशन से पहले जमींदार से बाकायदा उस जमीन का पट्टा या ठेका लिया था और अकसर उन लोगों ने कहीं दस गुना भी दाखिल किया है और उन्होंने वहां रुपया भी खर्च किया है और उसका सारा मामला सच्चा और ईमानदारी पर आधारित है। इसलिये उसका गला काट दिया जाय और उसको मर जाने दिया जाय यह तो मैं समझता हूं सरकार भी पसन्द न करेगी। सरकार भी कमपेक्ट एरिया बनाना चाहती है। इसलिये मुनासिब यही होगा कि सरकार नोटीफिकेशन निकाल दे और उसके बाद कह दे कि वह जंगल नहीं काट सकता है और साथ ही उसको कुछ उचित मुआवजा दे दिया जाय। इससे सरकार की भी मन्शा पूरी हो जायगी और उस बेचारे ने जो ईमानदारी से बाकायदा खर्च कर के ठेका लिया था उसको भी कुछ मुआवजा मिल जायगा। सरकार कभी बेइंसाफी पसन्द नहीं करती और अगर ऐसे लोगों को कुछ नुकसान पहुंचता है तो उनको मुआविजा मिलना चाहिये। मैंने तो इसमें सरकार के ही हाथ मजबूत किये हैं, क्योंकि यह देखना कि उसको दिया जाय या न दिया जाय इसका निश्चय करना भी सरकार के ही हाथ में होगा। मैं चाहता हूं कि सरकार यह देख ले कि उसको मुआविजा दिया जाय या न दिया जाय और यह देखकर वह अपने मकसद को पूरा कर ले। तो मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछता हूं कि जिस केस को मैंने रखा है इसको अगर कोई क्लेमेंट की दृष्टि से देखता है कि उसका उज्र ठीक है और ईमानदारी पर बेस्ड है और वह भी इस बात का अधिकारी है कि उसके साथ न्याय किया जाय तो उसकी जमीन या तो छोड़ दी जाय या उसको मुआविजा दिया जाय। सरकार की दृष्टि से देखने पर यह भी जरूरी है कि नोटीफिकेशन निकाला जाय। यह दोनों ही बातें ठीक हैं और इनमें एक ऐसी परिस्थिति भी हो सकती है जहां उचित मुआविजा देकर नोटीफिकेशन निकालना उचित होगा। इन शब्दों के साथ मैं इसको फिर मंत्री जी के समक्ष रखता हूं।

श्री जगमोहन सिंह नेगी—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह जरा स्पष्ट कर दूं कि माननीय रतनलाल जी ने एक दो उदाहरण देकर अपनी बात को वहां पर रखा मगर वहां पर सारे प्रदेश की बात है । जहां पर यह सम्भव हो सकता है कि एक ही पट्टेदार के पास ५ हजार, १० हजार और २० हजार एकड़ तक है और उन पर पूरे के पूरे जंगल खड़े हैं । जिन छोटे-छोटे काश्तकारों की बातें आप कह रहे हैं सम्भव है वो जरूर ऐसे भी हों मगर अधिकांश जिनकी वजह से इसको लाने की आवश्यकता पड़ी वह तो उन बड़े-बड़े जंगलों की बात है जिनकी वजह से सारे प्रान्त की कृषि पर कुप्रभाव पड़ सकता है । तो यह बात ठीक है कि किसी की जमीन को बगैर मुआविजा दिये हुये यों ही हड़प लेना उचित नहीं है और इस सिद्धांत को हमारा कांस्टीट्यूशन भी स्वीकार करता है । इस वक्त इस विधेयक के अन्तर्गत ऐक्वायर करने की बात कहीं पर नहीं है । इस वक्त तो प्रान्त के उन जंगलों को बचाने की व्यवस्था इसमें की गयी है जो बुरी तरह काटे जाते हैं । जब इस बात को जरूरी समझा जायगा कि उनको ऐक्वायर कर लेना चाहिये उस वक्त उनको ऐक्वायर कर लेने की बात और उनको कम्पेंसेशन देने की बात भी आवेगी । मगर इस अवस्था में और जिस सम्बन्ध में आप कह रहे हैं उससे उसका सम्बन्ध बैठता नहीं है और मैं आपको इस बात का विश्वास दिलाता हूं कि जब कभी सचमुच में सरकार उनका प्रबंध कराने की बात ही नहीं बल्कि उनका अधिकार भी लेने की चेष्टा करेगी उस वक्त उनको कम्पेंसेशन जरूर दिया जायगा । मगर इस समय एकाध छोटे-मोटे केसेज की वजह से हम तमाम प्रान्त में जिन लोगों के पास बड़े बड़े जंगल आ गये हैं और वे उनको कटवाते हैं उन पर यह प्रतिबन्ध लगायें कि उनका रेगूलेशन उनको कम्पेंसेशन देकर करें तो मैं समझता हूं कि इससे बोझ उन गरीब किसानों पर ही पड़ेगा जो कि पैसा गवर्नमेंट को देते हैं । तो इस प्रसंग में आपकी बात नहीं बैठती । वैसे जहां तक आपकी भावनाओं का प्रश्न है उससे हमारा पृथक् मत नहीं है मगर इस वक्त जैसा कि बहुत से माननीय सदस्यों ने इस बात को कई बार व्यक्त किया है कि जमींदारी उन्मूलन के पश्चात् बहुत से लोगों ने कुछ ऐसे तरीके पर उन जगहों को जिन पर जंगल खड़े हैं हस्तगत कर लिया है बल्कि हमारे विरोधी दल के भाइयों ने तो हमेशा इस बात की चिल्लाहट की है कि हर एक की जोत की हद अथवा सीलिंग बना देनी चाहिये वह ३० एकड़ से ज्यादा न हो या उसकी कोई हद स्वीकार कर ली जाय । तो मैं बताता हूं कि काश्तकारों की भूमि नहीं उनके जंगलों की भूमि नहीं बल्कि उन जंगलों को जो बड़े-बड़े फार्म वाले पट्टों पर हस्तगत कर हजारों एकड़ों के स्वामी बन गये हैं और जो कि हर प्रकार से राष्ट्र की सम्पत्ति मानने योग्य हैं अब उनका विनाश हम कैसे होने दें । तो मैं समझता हूं कि इन बातों को ध्यान में रखते हुये रतनलाल जी इस बात को समझने की कृपा करेंगे और अपने इस संशोधन को वापस ले लेंगे और मैं उनको विश्वास दिलाता हूं कि जिस समय उपयुक्त समय होगा उस समय उनकी बात पर विचार होगा ।

श्री रतनलाल जैन—माननीय मंत्री जी ने विश्वास दिलाया है कि जब इसकी आवश्यकता होगी उस वक्त इस पर विचार करेंगे तो मैं वापस लेता हूं ।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया ।)

श्री श्रीचन्द्र (जिला मुजफ्फरनगर)—आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन प्रस्तुत करता हूं कि "खंड २ में प्रस्तावित धारा की 38-F की उपधारा (iii) की पंक्ति ३ में शब्द "cattle" "और शब्द "to" के बीच में शब्द "intentionally" रख दिये जायं ।

श्रीमन्, अध्यक्ष महोदय, जैसा कि इस विधेयक में दिया हुआ है" any person who permits cattle to damage any such trees अतः यह तो ठीक है कोई भी पशु रखने वाला व्यक्ति प्रत्येक पशु को अपने यहां से दूसरी जगह पर ले जाता है तो यही उसके लिये शब्द है 'पर्मिट' पशु को देता है और वह उसे दूसरी जगह पर ले जाता है, खोलता है और बांधता है लेकिन उस वक्त यह भाव नहीं रहता कि वह किसी पेड़ को हानि पहुंचाये । यह हो सकता कि जब कोई पशु कहीं जा रहा हो चाहे जंगल हो या और कोई स्थान हो और रास्ते में कोई पेड़ हो जो जंगलात विभाग

[श्री श्रीचन्द्र]

का हो उसे वह हानि पहुंचा दे। प्रायः यह देखा जाता है कि बहुत से ऐसे गरीब जो पशु रखते हैं वे चाहे जंगल में हों या किसी ऐसे स्थान पर जो जंगलात महकमे से ताल्लुक रखता हो जैसे कि मैदानों में देखा जाता है कि नहरों की जो पटरियां होती हैं वे भी जंगलात महकमे में शामिल हैं और अगर कोई पशु किसी नहर की पटरी पर जा रहा हो और कोई व्यक्ति उसके साथ भी हो फिर भी जाते जाते वह पशु किसी पेड़ की टहनी को पकड़ ले और वह पेड़ टूट जाय जैसा कि इसमें आया है "लाप्स" शब्द या इसी प्रकार "पोलार्डस" शब्द आया है यानी ऊपर से टूट भी सकता है तो जानबूझ कर उस पशु के मालिक ने यह नहीं कराया। उसकी निगरानी रखते रखते भी ऐसा हो सकता है। इसलिये मैंने शब्द "इंटेंशनली" रक्खा है। इंटेंशनली से तात्पर्य यह है कि कोई भी व्यक्ति ऐसा हो जो उसकी रखवाली न करता हो और उनको वैसे ही चरने के लिये छोड़ देता हो तो उससे साफ मतलब यह होगा कि उसने इरादतन ऐसा किया है। प्रायः देखा जाता है कि बहुत से शहरों में जो गाय पालते हैं शाम को वे छोड़ देते हैं जानबूझ कर, खास कर मथुरा शहर में मैंने देखा है कि वहां आदत पड़ी हुयी है अपनी गायों को छोड़ने की और ५०–६० गायें इकट्ठा करके खेतों और जंगलों में छोड़ देते हैं जहां वे खेतों और जंगलों में नुकसान किया करती हैं। और कोई भी व्यक्ति उनके साथ नहीं जाता है तो इसका साफ मतलब यह है कि जानबूझ कर वे ऐसा किया करते हैं। इसलिये मैं चाहता हूं कि "इंटेंशनली" शब्द यहां रख दिया जाय तो उन बेकसूर वालों के लिये कुछ सुविधा हो जायगी और जो आगे इस ऐक्ट में इसके लिये दंड रक्खा है वे गरीब जो बेकसूर हैं वे इससे बच जायेंगे जो जानबूझ कर अपराध नहीं करते। मैं समझता हूं कि इस शब्द में कोई कानूनी पेचीदगी भी नहीं है बल्कि गरीबों के लिये इसमें कुछ बचाव ही है। यह कानूनी बात तो नहीं है परन्तु फिर भी इस पर अनेक और भी एतराज हो सकते हैं। उसके भाव को पहचानना कठिन है। लेकिन इसमें कुछ बचाव हो सकता है और जो गलत तरीके से चलते हैं उनके लिये सजा देने का पूरा मौका हो सकता है और जो ऐसा न करते हों उनके बचने का ढंग है। मैं आशा करता हूं कि मंत्री जी इसे स्वीकार करने की कृपा करेंगे।

श्री जगमोहनसिंह नेगी—अध्यक्ष महोदय, "परमिट" वर्ड का तो अर्थ यही है जो जानबूझ कर छोड़ता है। तो इंटेंशनली लगा देने से सिवा इसके कि जब अदालत में मुकदमा जाय तो उसमें उलझन पैदा हो तथा साबित करने में बड़ी दिक्कत पड़े और उससे कोई लाभ नहीं है। परमिट शब्द के वही मानी हैं जो आप समझते हैं। तो दोनों शब्द रखने से कोई लाभ नहीं है। इंटेंशनली शब्द आने से कानूनी पेचीदगी पैदा हो जायगी। मैं समझता हूं कि आप इसको वापस ले लेंगे।

श्री व्रजविहारी मिश्र (जिला आजमगढ़)—माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें मेरी एक दूसरी आपत्ति है। जो माननीय सदस्य महोदय ने यह रखा है कि "cattle" और "to" के बीच में "intentionally" शब्द रख दिया जाय। इसके रख देने से अर्थ ही दूसरा हो जाता है। अगर "इंटेंशनली" शब्द को "परमिट" शब्द के पहले रखते तब तो उनके भाव की कुछ पूर्ति होती। लेकिन "कैटिल" और "टु" शब्दों के बीच में इंटेंशनली" शब्द रखने से उनके भाव की पूर्ति नहीं होती। मैं समझता हूं कि जो संशोधन पर आपत्ति मा० मंत्री जी की तरफ से उपस्थित की गयी है वह ठीक है, परमिट शब्द का अर्थ ही इंटेंशनली है। इस प्रकार इंटेंशनली शब्द रखना बेकार हो जाता है। मैं समझता हूं कि माननीय श्रीचन्द्र जी इसको वापस ले लेंगे।

श्री जगन्नाथ मल्ल (जिला देवरिया)—श्रीमन्, जो संशोधन श्रीचन्द्र जी ने रखा है मैं उसका समर्थन करता हूं। उसके कई कारण हैं। जैसे माननीय मंत्री जी ने यह बताया कि परमिट का अर्थ ही यह हो जाता है तो उसमें इंटेंशनली लगाने से क्या दिक्कत हो जाती है? खाली परमिट रखने से वह चीज साफ नहीं होती। अगरचे आप इंटेंशनली शब्द लगा देंगे तो एक तरह से बहुत बचत हो जायगी क्योंकि ऐसे बहुत से पशु हैं जो अपनी रस्सी जो कि एक तरफ उनके गले से बंधी होती है और दूसरी तरफ खूंटे से बंधी होती है उसको खोल देते हैं या रस्सी

तोड़ कर चले जाते हैं। अगर उसके ऊपर भी छः महीने की सजा हो जाय और जुरमाना भी हो जाय, तो यह कुछ उचित नहीं मालूम पड़ता। इसलिये मैं चाहता हूं कि आप को अगर सजा देनी हो तो उस पशु को दें जो रस्सी काट कर जाता है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी एक सवाल के सिलसिले में माननीय मुख्य मंत्री जी ने बताया था कि एक भैंसे को जेलखाने में बन्द करने के लिये ले गये, लेकिन जेलवालों ने लेने से इन्कार कर दिया। तो सरकार कोई ऐसी जेल बनाये जिसमें भैंसे और बैल भी बंद किये जा सकें जो पगहा तुड़ा कर चले जायं। लेकिन उसके बजाय उसके मालिक को बन्द कर देना उचित नहीं मालूम होता। मैं समझता हूं कि श्रीचन्द्र जी का संशोधन बहुत ठीक है और उसको इसमें रहना चाहिये।

*श्री चन्द्रसिंह रावत (जिला गढ़वाल)—माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां तक कि माननीय मंत्री जी का तर्क है मैं उससे बिलकुल सहमत हूं और परमिट के मानी जो कि वहां लगते हैं उसके यही होते हैं कि उसका इंटेंशन है। लेकिन परिस्थिति जो सच्ची और सही हो जिस प्रकार से यह कानून लागू किया जाता है उसकी एक झांकी माननीय सदस्यों के सामने उपस्थित करना चाहता हूं। एक बार मुझे मौका हुआ टेहरी-गढ़वाल से उत्तर काशी जाने का। डूंडा के पास जब मैं पहुंचा तो मुझे यह पता लगा कि एक जट जो कि नोमेडिक ट्राइब्स होती है वह दो बकरी लेकर सरकार के उस रास्ते आ रहा था जो कि जंगल के बीच २ होकर आता है। उस सड़क के दोनों ओर जंगली झाड़ियां थीं। उसकी दो बकरियों ने रास्ते में चलते २ पत्तियां खा लीं वहां पर जंगल का फोरेस्ट गार्ड मौजूद था उसने दोनों बकरियों को पकड़ कर दो रोज तक उनको डूंडा के पास हिरासत में रखा जहां सरकारी बंगला था। मैं दूसरे रोज जब डूंडा पहुंचा तो रात को वहां रहा तो काली कमली धर्मशाला के चपरासी ने मुझे बताया कि सरकार हमारा मुल्क आजाद होने पर आज यह नौबत है कि एक जट दो बकरियां ले कर आ रहा था उन्होंने चलते २ पत्ती खायी दो रोज बकरियां हिरासत में रहीं। तो मैंने चौकीदार को भेजा और कहा कि रेंजर साहब उपस्थित होंगे तो उनसे कहना कि आने की तकलीफ फर्मायें आपसे चन्द बातें मुझे करनी हैं। रेंजर साहब ने हुक्म कर दिया कि उन बकरियों को उत्तर काशी ले जायं, वहां इनका नीलाम किया जायगा। जट ने बहुत कोशिश की, उसने दो रुपये भी देने चाहे लेकिन उसने दो रुपये नहीं लिये। उसने कहा कि इन बकरियों का नीलाम होगा। मैं भी उत्तर काशी गया उस समय वहां पर उस इलाके के डी० एफ० ओ० और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट एक कमरे में बैठे चाय पी रहे थे। मैं वहां गया उनसे दरख्वास्त की कि आज स्वतंत्र भारत में उस गरीब की बकरियों ने रास्ते चलते दो पत्तियां चुग लीं तो उसने क्या जुर्म किया। कहने लगे "नहीं साहब, यहां का कानून तो यही है" मैंने कहा कि आप कानून समझते नहीं, अफसोस है कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट होते हुये भी आप कहते हैं कि इस तरह का कानून है कि दो पत्ती चुगने पर उसको जुर्म करार देकर उसे सजा दी जाती है। मैंने उनसे दलील और तकरीर पेश की, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के सामने कि यह बकरियां अपने इलाके के अन्दर ५ मील में चुग सकती हैं अगर उसके बाहर एक पत्ती भी चुगी तो यह जुर्म करती हैं। मैंने कहा ठीक है। मैं समझता हूं अगर १०,१५ मील के बाद पत्ती चुग दी तो उसने जुर्म किया उन लोगों के खिलाफ किया जिनके कस्टमरी राइट वहां हों, स्टेट का वह जुर्म नहीं कर सकता है इसका कारण है कि ५ मील के अन्दर अगर पत्ती चुगती थीं तो उतनी पत्तियां बच गयीं जितनी पत्तियां उन्होंने यहां चुगीं। उसने हमारी स्टेट का कोई नुकसान नहीं किया। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह गौर फरमाने की बात है। आज भी वही हालत माननीय मंत्री जी की नजरों में यह बात आती हो अभी भी यह बात लागू है और उसी प्रकार लागू है जिस प्रकार उस गुलामी के जमाने में हुआ करती थी। वहां की जनता बहुत दुखी है और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के ख्याले शरीफ में यह बात नहीं घुसी कि यह जुर्म कैसे है। मैंने उनसे बताया कि अगर उसने दो पत्तियां यहां चुगीं तो उतनी ही वहां बच गयीं जहां उनको चुगने का हक था, तो उसमें स्टेट का क्या नुकसान

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री चन्द्रसिंह रावत]

हुआ। इसलिये इस प्रकार के जुर्म जो कि आज मौजूद हैं, इसमें कोई हंसने की बात नहीं, यह जनता के हुकूक का और हमारे प्रिय कन्ट्री के सिटीजन्स के राइट्स का प्रश्न है। मैं कहता हूं कि इस प्रकार की बातें हमारे फ्री कन्ट्री के सिटीजन्स को गुलाम बनायेंगी और इसको हमें खत्म करना है। यह व्यवस्था की आजादी के नाम पर, स्वतंत्र भारत को ऊंचा उठाने के नाम पर, जंगल की व्यवस्था के नाम पर हम गरीबों को कुचलना चाहते हैं, कलम की एक नोक से, उनके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं होती और जो दो पत्ती चुगने वाली हैं उन पर यह सख्त कार्यवाही, क्या सरकार की नजरों में यह बात लायी जाती है। वहां के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और कन्जरवेटर आफ फारेस्ट यह बात बतलाते हैं ?

मैं बताना चाहता हूं कि इंटेन्शन और परमिट के क्या माने होते हैं, जंगल में से सड़क जाती है और इस दफा के अन्दर उधर से बकरी ले जाने की इजाजत दी। अब बकरी ने चलते-चलते अनायास, बिना उसकी सतर्कता के पत्ती चुग ली तो गोया वह जुर्म नहीं था। मैं आज भी कायल हूं इस बात का। लेकिन हमारी सरकार और उसके वह हुक्काम उसको जुर्म करार देते हैं। तो मैं कहता हूं कि मुझे बड़ी आपत्ति है इस प्रकार के कानून पर। अगर कानून के माने हैं कि नाक पकड़ के जिस प्रकार से कहते हैं मानिये, अगर आप फोर्स करना चाहते हैं तो फोर्स करिये, आप फ्री सिटिजेंस को इस प्रकार से तंग करने की दफा लागू करना चाहते हैं तो यह व्यवस्था के नाम पर, जनहित की दुहाई देकर इस प्रकार की दफा रखें जिससे एक गरीब को तंग किया जा सके, इसमें कोई सेंस नहीं है, बिलकुल नानसेंस है। यह कानून जिन्दा रहने के काबिल नहीं है। यह कानून हमारे मुल्क को नीचे ले जाने वाले हैं। इसलिये मैं निहायत अदब से कहना चाहता हूं कि अमेंड करिये इस दफा को .....

श्री शिवनाथ काटजू (जिला इलाहाबाद)—प्वाइंट आफ आर्डर। मैं यह जानना चाहता हूं कि यह नानसेंस शब्द पार्लियामेंटरी है ?

श्री अध्यक्ष—वह तो बिलकुल उसके दो टुकड़े करके उन्होंने बता दिये। 'nonsense' वह जिसमें सेंस न हो, वह उन्होंने कहा।

श्री चन्द्रसिंह रावत—अध्यक्ष महोदय, मुझे खेद है कि मेरे लायक दोस्त और माननीय सदस्य लायर भी हैं, मैंने तर्क दिये कि इस ग्राउन्ड पर यह नासेंसिकल है, फिर भी वह नहीं समझ सके। यह अनपार्लियामेंटरी नहीं। यह एक तर्क है, आर्ग्यूमेंट है .....

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि मैंने फैसला दे दिया कि अनपार्लियामेंटरी नहीं है। अब आप उसके ऊपर बहस न करें।

श्री चन्द्रसिंह रावत—इसलिये मैं निहायत अदब के साथ यह दरख्वास्त करता हूं कि हम लफ्जों के फेर में न पड़ें, व्यवस्था के सीधे चक्कर को भूलकर बुरे चक्कर में न पड़ जायं। हमें सच्ची व्यवस्था करनी है तो इस प्रकार के शब्द रखिये, ऐसी वर्डिङ्ग रखिये जो सीधी सादी हो। आज भी अंग्रेजी जमाने की गुलामी गयी नहीं। कानून में ऐसे हेर-फेर करके रखे जाते हैं जिनसे वकीलों के लिये उनमें काफी गुंजाइश रह जाती है वह गुंजाइश जो फारेन कंट्रीज के डामिनेशन के जमाने में थी। आज उस चीज को हमें दूर करना चाहिये जिससे गरीब जनता के शोषण के लिये गुंजाइश पैदा होती है। उसको हमें हमेशा के लिये खत्म कर देना चाहिये। क्या सरकार सीधा सादा कानून नहीं बना सकती ? क्या उसके लिये हमारे पास शब्द नहीं हैं ? आज भी पुरानी दफाओं में जो बेईमानी के चक्कर थे, उनको आज भी रखा जाता है और जो हमारा सीधा सादा मतलब है वह नहीं आता। इसलिये अध्यक्ष महोदय, इन चक्करों से हमारे समाज को, हमारी गरीब जनता को बचाया जाय तो वह जनता इस सदन के सदस्यों को बहुत धन्यवाद देगी।

*श्री अब्दुल मुईज खां (जिला बस्ती)—माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रस्तुत संशोधन के बारे में अभी माननीय रावत जी ने जिस जोश और जिस तेजी के साथ अपने विचारों को प्रगट करते हुए सदन में भाषण दिया मेरा खयाल है कि एक ऐसे काबिल लाइयर के लिये एक इतनी मोटी-सी बात को छोड़ जाना, उसको न समझ लेना उनकी अक्ल का दोष मैं कभी मान ही नहीं सकता। यह हो न हो उसी शिद्दत और उसी तेजी का दोष है जिसकी वजह से वह एक इतनी मोटी-सी बात शायद समझ न सके। शब्दावली जो है वह यह है कि "permits cattle to damage....." जो तर्क उन्होंने दिया वह यह कि सड़क पर ले जा रहा है। परमिट क्या सड़क पर ले जाने के लिए, लेकिन अगर उसने कोई डैमेज कर दिया तो उसका दोष नहीं। लेकिन शब्दावली यह है कि "परमिट्स टु डैमेज" सड़क पर तो वह सही ले जा रहा था लेकिन यह देखा जायगा कि कहां तक उसकी उस डैमेज करने में, जो अपने रास्ते से हटकर के उस खेत को या उस पौधे को, जो उसने नुकसान पहुंचाया उसमें कहां तक उसकी अपनी जानकारी थी यह देखा जायगा। तो सिर्फ यह कह देने से कि वह एक रास्ते पर ले जा रहा था यह मान लिया जायगा कि उसको नुकसान पहुंचाने के लिये उसकी अनुमति थी यह मेरा खयाल है यह बिलकुल सही बात नहीं है।

इसके अलावा श्रीमन् आप देखेंगे कि अगर कोई दूसरी लैंगुएज होती हमारी अपनी भाषा, पहाड़ी भाषा या कोई दूसरी भाषा होती तो इस किस्म के शायद जो शब्द होते हैं उन से ज्यादा अन्तर नहीं होता, लेकिन इंगलिश लैंगुएज में हर लफ्ज के एक खास मानी होते हैं और उसके साथ कोई और लफ्ज जोड़ देने से अक्सर ऐसा होता है कि उसके मानी को नुकसान पहुंच जाता है। "परमिट्स" में एक वालेन्टरी ऐक्शन है और जानकर के नुकसान पहुंचाने के लिये "परमिट्स टु डैमेज" उसमें "इंटेंशनली" का लफ्ज लगा देना उसको एक मजहकाखेज शब्द बना देना है। इसलिये मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री श्रीचन्द्र—आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैंने इस शब्द को समझाने का प्रयत्न किया, परन्तु मुझे अफसोस है कि इस शब्द को समझने की कोशिश नहीं की गयी। यह "permits" शब्द अलग-अलग स्थान पर जैसा जिसके साथ में व्यवहार किया जायगा वैसा ही अर्थ देगा। एक पशु के लिये सर्वदा परमिट ही आयेगा या "allow" या "let go" आयेगा। तो यह शब्द तो हमें प्रयोग करना पड़ेगा जबकि हमारे वश में एक वस्तु है। परन्तु इस खयाल से कि जैसे आगे आया है पेड़ इत्यादि को नुकसान पहुंचाना है तो यह शब्द "Intentionally" प्रयोग में आयेगा ही परमिट करना पड़ेगा ही। यदि किसी मनुष्य के लिये कहा जाता है तो उसके लिए यह ठीक बैठता है और मैं समझता हूं इसमें कोई आपत्ति नहीं हो सकती, और मैंने सहूलियत के लिये यह कहा था कि यदि मंत्री जी को इसको स्वीकार नहीं करना है तो इसमें मुझ कोई आपत्ति भी नहीं है।

श्री जगमोहनसिंह नेगी—माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे अभी यह सुनने का अवसर हुआ कि रास्ता चलने वालों से किसी प्रकार का दंड लिया गया; मेरी जानकारी में ऐसी कोई बात नहीं है। जहां तक मुझे मालूम है टेहरी जिले में ५ मील के अन्दर वहां की कार्य योजना के मुताबिक हर एक आदमी को मुफ्त चराने की इजाजत है और अपने गांव के ५ मील के दायरे से बाहर उसके ऊपर जब वह चराता है तो उसे कुछ देना होता है और जिन स्थानों में नई पौध लगी होती है, प्लांटेशन लगे होते हैं, छोटे-छोटे पौधे होते हैं गांव की हद के अन्दर भी उसके रक्षार्थ चराना एक जुर्म

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री जगमोहनसिंह नेगी]

माना जाता है। तो मेरी समझ में यह बात नहीं आई और मुझे उसकी इत्तला नहीं है कि कोई डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट या जंगलात का बड़ा अफसर एक दो पत्ती चराने पर राह चलते हुए किसी को दंड दे दे और ग्राम सभा के सदस्य के साथ इस तरह का व्यवहार करे, साधारण बुद्धि में यह बात नहीं आती। अगर यह फैक्ट होता तो कम से कम मेरे पास इस किस्म की शिकायत कोई न कोई करता।

श्री चन्द्रसिंह रावत—आप को बताया गया था।

श्री जगमोहनसिंह नेगी—मुझे कुछ नहीं बताया गया। मगर जहां तक मेरा खयाल है यह बात हुई होगी कि नया प्लांटेशन होगा, छोटे-छोटे पौधे लगे होंगे, बकरियों ने उसको चर दिया होगा और खत्म कर दिया होगा। लेकिन अगर ऐसी कोई लिखित शिकायत होती तो उसकी जांच अवश्य कराई जाती, कि ऐसी छोटी सी बात पर उसको इतना परेशान क्यों किया जाता है। और मैं समझता हूं कि अगर इस किस्म के कष्ट और इस तरह की दिक्कतें किसी भी इलाके में कहीं पर भी हों तो उसको कतई नहीं होना चाहिये। उसके लिये जहां तक हम से हो सकेगा हम पूरी चेष्टा करेंगे कि किसी के साथ ऐसा बर्ताव न हो। मैं आपको यह भी इत्तलाअन बता दूं कि पहले राजा के जमाने में वहां राह पर चलने में इधर आने में भी और जाने में भी टैक्स पड़ता था, लेकिन जब से यह सरकार आयी उसने इस टैक्स को हटा दिया। यह मैं हाउस की इत्तला के लिये कह रहा हूं चूंकि ऐसे स्टेटमेन्ट से बड़ी गलतफहमी हो सकती है। तो जैसा मैंने कहा सरकार की यह कभी भी मन्शा नहीं है कि लोगों को परेशान किया जाय। जो नीचे के अधिकारी होते हैं हो सकता है कि वे कहीं पर ज्यादती भी करते हों, लेकिन जहां तक सरकार का ताल्लुक है वह हमेशा इस बात की निगरानी रखती है। मगर यहां पर जैसा कि अब्दुल मुईज खां साहब ने कहा अभी कि डैमेज करने की नीयत से अगर कोई जाता है तो वह विधेयक की उक्त धारा के अन्तर्गत स्पष्ट है और जहां तक कानून में होशियारी और खबरदारी से शब्दों के रखने का प्रश्न है वह तो हम करते ही हैं और जहां तक उसे अमल में लाने का सम्बन्ध है उसके लिये भी हम सतर्कता रखते हैं और मेरा विश्वास है कि किसी तरह की ज्यादती नहीं होगी। अगर कानून के अन्दर अगर ऐसा लिख दिया जायगा तो शब्दों में भी गड़बड़ी आती है और दूसरे जब मामले कोर्ट के सामने जाते हैं तो उनके इंटरप्रिटेशन में भी बड़ी दिक्कत होती है। इसलिये मैं समझता हूं कि "permits" काफी है और मैं आशा करता हूं कि श्रीचन्द्र जी अपना संशोधन वापस लेंगे।

श्री चन्द्रसिंह रावत—आन ए प्वाइंट आफ एक्सप्लेनेशन।

श्री अध्यक्ष—पर्सनल एक्सप्लेनेशन है।

श्री चन्द्रसिंह रावत—जी हां।

श्री अध्यक्ष—कहिये।

श्री चन्द्रसिंह रावत—माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने कहा कि उनको इसके मुतालिक कोई इत्तला नहीं जो इन्सीडेन्ट मैंने इस हाउस में बयान किया है। मैं बता सकता हूं और मंत्री महोदय को याद दिलाता हूं कि मैंने उनसे कहा था कि आपके फारेस्ट डिपार्टमेन्ट ने सड़क के बिलकुल बीचो-बीच में घेर रखा है और बकरी का ऐसा-ऐसा किस्सा मेरे सामने हुआ मैंने उनको बताया था शायद याद नहीं है। इसके लिये, खैर, मुझे अफसोस है कि वे इस मामले को भूल गये।

श्री जगमोहनसिंह नेगी—मुमकिन है माननीय सदस्य ने कहा हो क्योंकि बातें तो रोज हुआ करती हैं। लेकिन मुझे कोई इस तरह की लिखित शिकायत नहीं दी गयी। कार्यवाही लिखित शिकायत पर होती है।

श्री अध्यक्ष—माननीय श्री चन्द्र जी, आप अपना संशोधन वापस ले रहे हैं ?

श्री श्रीचन्द्र—जी हां।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री श्रीचन्द्र—श्रीमान अध्यक्ष महोदय, मेरे ये दो संशोधन हैं। मैं उनको प्रस्तुत तो नहीं करना चाहता था परन्तु मैं उनको रखने से विवश हूं और कुछ थोड़े से शब्दों में रख देना चाहता हूं। मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि खंड २ में प्रस्तावित धारा 38-F की उपधारा (iii) की पंक्ति ३ में शब्द "six month" के स्थान पर शब्द "one month" रख दिया जाय।

दूसरा संशोधन यह है कि खंड २ में प्रस्तावित धारा ३८ F की उपधारा (iii) की पंक्ति ३ और ४ के शब्द "or with both" के स्थान पर शब्द "up to Rs.30." रख दिये जायं।

मेरा दोनों संशोधनों को रखने का तात्पर्य यह है कि जो दंड है यह अत्याधिक है। पहले ६ महीने के स्थान पर मैं एक महीना रखना चाहता हूं, क्योंकि इसका ध्यान जरा रखना होगा जैसा कि ऊपर जिक्र आया है कि पेड़ को तोड़ने से, छेद करने से, चारों तरफ घेरा डालने से उसकी शाखें तोड़ना, ऊपर से काटना, छांटना इत्यादि तो यही दंड के कारण बनेंगे। इसके लिये ६ महीने बहुत अधिक हैं एक महीना काफी है। विधेयक में यह समावेश है कि ६ महीने की सजा हो सकती है या जुर्माना हो सकता है या दोनों हो सकते हैं। इसमें त्रुटि यह है कि फर्स्ट क्लास डिप्टी कलेक्टर को न्याय कर्ता रखा है और मेरे खयाल से उसको एक हजार रुपये तक जुरमाना करने का अधिकार है और इसमें जुरमाना करने की कोई सीमा नहीं रखी गई है, इसलिये लोगों पर एक हजार रुपये तक जुरमाना हो सकता है। ऐसी सूरत में जब कि जुरमाने की कोई सीमा नहीं रखी गई है तो यह अनुचित होगा। इसलिये मैंने इसमें ३० रुपया जुरमाने की बात रखी है कि अधिक से अधिक ३० रुपये तक जुरमाना हो या एक महीने की सजा हो क्योंकि इन सब बातों का संबंध गरीब आदमियों से है, जो गांवों में तथा जंगलों के आस-पास जंगल में रहते हैं, शहर के रहने वालों से नही है। एक मित्र ने अगले संशोधन में रखा है कि पांच सौ रुपये तक जुरमाना किया जाय, देखिये यह लोग ऐसे सरमायेदार (धनी) और फैक्टरी वाले तो नहीं हैं कि उन पर जरा-सी गलती पर इतना भारी जुरमाना किया जाय। हमें उतनी ही जुर्माने की सजा रखनी चाहिये जिससे उन्हें कष्ट भी न हो और जंगलों को इस प्रकार की हानि पहुंचाने से वह रुक जांय, इसलिये मैं प्रस्तावित दंड को उचित समझता हूं और माननीय मंत्री जी भी इसको उचित समझें तो स्वीकार कर लें। परन्तु मेरा विश्वास है कि शायद वह इसको उचित न समझें और शायद उन्होंने इस ओर ध्यान दिया हो और कोई सजा वह इससे सुविधा-जनक रख सकें तो मुझे इसमें कोई आपत्ति नही है।

श्री जगन्नाथ मल्ल—अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि खंड २ में प्रस्तावित धारा 38 F की उपधारा (iii) की पंक्ति ३ में शब्द "fine" और शब्द "or" के बीच में शब्द "which may extend to five hundred rupees." रख दिये जांय।

[श्री जगन्नाथ मल्ल]

श्रीमन, इसमें बहुत आरगूमेन्ट देने की जरूरत नहीं है क्योंकि हर कानून में जहां फाइन की व्यवस्था की जाती है तो कुछ न कुछ रकम रहती है। इसलिये मैं चाहता हूं कि ५०० रुपये तक रख दिया जाय। वैसे श्रीचन्द्र जी का संशोधन ३० रुपये तक का है। यह हो सकता है कि लोग थोड़ी गल्ती करें तो उन पर ५ रुपया फाइन हो सकता है। लेकिन अगर कोई पूरे जंगल को काटता है और हजारों रुपया का फायदा उठाता है तो इसमें अगर जुरमाना ज्यादा रहेगा तो मैजिस्ट्रेट उसको सजा दे सकेगा। इसलिये मैं चाहता हूं कि इसमें जरा सफाई के साथ यह चीज आनी चाहिये और मैं समझता हूं कि ५०० रुपये तक जुरमाना रखा जाय। वैसे एक रुपया भी जुरमाना किया जा सकता है और इस तरह से श्रीचन्द्र जी की बात भी आ जाती है। इसलिये मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी मेरा संशोधन मान लें।

श्री जगमोहनसिंह नेगी--माननीय अध्यक्ष महोदय, इस बात पर आप लोग खयाल कर लें कि अगर किसी ने जंगल काट लिया और ६ लाख रुपये का काट लिया और उस पर २५ या ५० रुपये जुरमाना कर दिया तो वह बड़ी खुशी से उसे दे देगा और इस विधेयक का सारा परपज ही ड्रिफीट हो जायगा। आप खयाल कर रहे हैं छोटी-छोटी पत्तियों के तोड़ने का, लेकिन यह बिल बड़े-बड़े पट्टों से संबंध रखता है। इसलिये अगर यह दिक्कत आगई तो इससे मतलब हल नहीं हो सकता है। इसलिये मैं समझता हूं कि आप लोग इसको ध्यान में रखकर अपने-अपने संशोधनों को वापस लेने की कृपा करें।

श्री ब्रजविहारी मिश्र--माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें जो शब्द रखे गये हैं वे यह हैं कि :--

"(iii) permits cattle to damage any such tree, shall be punished with imprisonment for a term which may extend to six months or with fine or with both."

इसमें कोई रकम नहीं रखी गई है जिसका रखा जाना नितांत आवश्यक है कि कितना जुरमाना किया जायगा। इसलिये इसकी संख्या निर्धारित होनी चाहिये। इसलिये माननीय मल्ल जी ने जो प्रस्ताव रखा है, मैं उसका समर्थन करता हूं।

माननीय श्रीचन्द्र जी ने जुर्माने के लिये ३० रुपये की लिमिट रखी है। मैं उससे सहमत नहीं हूं। ५०० रुपया या १००० रुपये की लिमिट रखने से यह आवश्यक नहीं है कि उतना ही जुर्माना होगा। उसका अर्थ यह होता है कि उतना जुर्माना हो सकेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से आपके द्वारा प्रार्थना करना चाहता हूं कि यह निरर्थक हो जाता है अगर इसमें फाइन की कोई संख्या नहीं रखी जाती है। यह दूसरी बात है कि जो भी रकम चाहें आप उसमें रख देवें अगर ३० रुपया रखना चाहें तो ठीक है लेकिन मेरी राय में यह रकम बहुत थोड़ी है। लेकिन ५०० रुपये की जो रकम रक्खी है वह उपर्युक्त है।

श्री अब्दुल मुईज खां--बिल की जो शब्दावली है, सदन के सामने है। उसको वह ठीक नहीं पा रहे हैं और संशोधन का विरोध कर नहीं रहे हैं। उन्होंने कहा कि बिल में कोई रकम मुकर्रर नहीं है।

श्री अध्यक्ष--नहीं, वह ५०० रुपये वाले संशोधन का समर्थन कर रहे हैं।

श्री ब्रजविहारी मिश्र--मैं समझता हूं कि माननीय मुईज खां जी ने मेरे भाव को समझा नहीं। उन्होंने शायद आक्षेप किया था रावत जी के ऊपर। मुझे खेद है कि मेरे भाषण को सुनने का उन्होंने कष्ट नहीं किया। मैं तो यह कह रहा हूं कि माननीय मल्ल जी ने जो संशोधन उपस्थित किया है मैं उसका समर्थन करता हूं और जो संशोधन

श्रीचन्द्र जी ने उपस्थित किया है उसका विरोध करता हूं । इसमें मेरा यह तर्क था कि जुर्माने की कोई न कोई संख्या अवश्य होनी चाहिये । १००० रुपये का जो संशोधन था उसको घटा कर मल्ल जी ने ५०० का कर दिया है । मैं समझता हूं कि यह आवश्यक है कि कोई न कोई संख्या जुर्माने की रखी जाय ।

श्री शिवनाथ काटजू---श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, मैं इन दोनों संशोधनों का विरोध करता हूं । समस्या बहुत मुख्तसर सी है । इस बिल का उद्देश्य, जैसा कि अभी नेगी साहब ने कहा यही है कि जो पट्टे जमींदारी एबालिशन ऐक्ट के पास होने के दरम्यान दिये गये थे और जहां जंगल थे उन जंगलों को काट करके, साफ करके, उस जमीन को जोतने का प्रयत्न हो रहा था और यह प्रयत्न अगर जारी रहेगा तो उससे हमारे प्रान्त का बड़ा नुकसान होगा । जाहिर है कि इसके अन्दर सिर्फ बकरियों के चरने का प्रश्न नहीं है जैसा कि हमारे मित्रों ने यहां पर कहा और न इसमें जैसा कि श्रीचन्द्र जी का खयाल है कि इसमें सरमायादारों और छोटे आदमियों का प्रश्न है, बल्कि अभी जैसा कि नेगी साहब ने कहा, इसमें खटका तो उन्हीं लोगों को है कि जिन्होंने बड़े-बड़े जंगलों का ठेका लिया और वह उनको साफ करना चाहते हैं । अब अगर इसके अंदर आप कोई जुर्माने की रकम रखते हैं, और उसकी सीमा मुकर्रर करते हैं तो इससे आप अदालत के हाथ बांध देंगे । इसके अन्दर ६ महीने की मियाद के बारे में कहा गया है कि उसकी जगह १ महीने की मियाद रख दी जाय । श्रीचन्द्र जी शायद यह समझते हैं कि अगर ६ महीने की मियाद रहेगी तो हर हालत में मुलजिम को ६ महीने की सजा होगी । अदालत के सामने तो जैसा मामला आता है उसी हिसाब से सजा दी जाती है । अगर कोई खफीफ सा मामला है तो ६ महीने की सजा उसमें होते हुये भी उसको गालिबन दो दिन की सजा हो और थोड़ा ही जुर्माना हो । यहां एक सीमा रखी गयी है । बहुत मुमकिन है कि ऐसा कोई मामला आये कि जिसके अन्दर वारदात बहुत संगीन हो और हजारों बीघे जमीन के जंगल को आग लगा कर या नुकसान पहुंचाने के खयाल से काट लिया गया हो । तो इसके लिये ५०० रुपया जुर्माना निर्धारित करना काफी नहीं होगा । अदालत को अख्तियार होता है कि यह जुर्म को देखते हुये जुर्माना या सजा दे । ऐसी हालत में मैं निवेदन करूंगा कि जिस प्रकार से शब्दावली यहां रखी गयी है वह बहुत ही मुनासिब है और इसको ऐसी ही रखा जाय । इसका अर्थ यह नहीं है कि हर हालत में ६ महीने की सजा दी जायगी या आंख बंद करके जुर्माना कर दिया जायगा । जैसा मामला होगा उसको देखते हुये उसी हिसाब से सजा दी जायगी । इसलिये मैं इन संशोधनों का विरोध करता हूं ।

*राजा वीरेन्द्रशाह (जिला जालौन)---श्रीमन्, जो संशोधन ६ महीने से एक महीने के लिये और जुर्माने की लिमिट ५०० रुपये के श्री श्रीचन्द्र जी और श्री मल्ल जी ने उपस्थित किये हैं, मैं उन दोनों का समर्थन करता हूं । मैंने माननीय मंत्री जी का उत्तर सुना और उसको सुनने के बाद आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से यह कहना चाहता हूं कि जहां पर ६० लाख रुपये का सवाल है वहां पर आप जुरमाने की लिमिट रखें तो यह कुछ अनुचित नहीं होगा । यह किसी तरह से मालूम नहीं पड़ता है कि किसी से जुरमाना कम लिया जायगा । यदि वह जमीन काट लेता है तो उसको दोनों तरह की सजा हो सकती है । अगर वह इज्जत वाला है तो उसके लिये एक दिन की सजा भी काफी हो सकती है । यों तो जो हैबिचुअल आफेन्डर हैं वह तो १०-१० साल तक जेल में पड़े रहते हैं लेकिन साधारण आदमी के लिये यह एक मास की सजा काफी है ।

जहां तक हमारे काटजू साहब ने यह कहा कि इसके कोई मायने नहीं हैं कि ६ महीने की सजा ही हो जायगी। देखने में यह आया है कि जितनी बड़ी लिमिट रखी जाती है तो मैजिस्ट्रेट पूरी लिमिट की सजा देते हैं । आजकल सरकार के रुख को देखते हुये वह मैक्सीमम सजा देते हैं । जितना मैक्सीमम जुरमाना होता है उतनी ही सजा दी जाती है उससे एक पैसा भी कम नहीं होता है । इन चीजों को देखते हुये क्योंकि, आप नयी चीज ला रहे हैं और इसका असर गरीबों

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[राजा वीरेन्द्रशाह]

पर पड़ेगा तो इस पर काफी विचार करने की जरूरत है। काफी ठेकेदार लोग हैं उनको काफी नुक्सान हो रहा है। जमींदारी के बाद काफी पैसा देकर उन्होंने उन फार्मों को खरीदा था। तो ऐसी हालत में सजा जो उनके लिये रखी जा रही है वह काफी है। सरकार को इसमें परेशान नहीं होना चाहिये कि उसको वह सजा कम है। मैं समझता हूं यह दोनों संशोधन ठीक हैं और माननीय मंत्री जी को स्वीकार करने चाहिये।

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)---मैं श्रीमन्, आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री श्रीचन्द्र---आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं केवल दो वाक्य कह देना चाहता हूं। मेरे विचार से अधिक दंड देने का मतलब यह होता है कि जितना अधिक दंड निर्धारित होगा उतने ही जरायम बढ़ते जायेंगे। जितना भी कम दंड दिया जायगा उतना ही अधिक उसके विचारों पर, उसके दिल पर असर पड़ता है और जरायम कम होते हैं। जिसको हलकी सजा दी जाती है वह वास्तव में अपने दिल में पश्चाताप महसूस करता है। अब तो हमारा देश स्वतंत्र भी हो गया है तो जब हमारा देश स्वतंत्र है तो उसमें अधिक सजा रखना उचित नहीं मालूम होता है। उनके लिये कम सजा रखने की जरूरत है और उससे उनके दिल पर प्रभाव पड़ता है। यह उनके लिये भय हो जायगा कि ऐसा करोगे तो सजा मिलेगी। सजा का नाम ही स्वयं बहुत बुरा है। देहातों में अब भी कहा जाता है कि इसका हुक्का पानी अलग कर दिया। कोई सजा तो ऐसी अनोखी बात नहीं है लेकिन उसका असर लोगों पर इतना पड़ता है कि वह फिर उस काम को करते नहीं हैं और उनके लिये वह सबसे बड़ी सजा हो जाती है, मेरा केवल इतना ही तात्पर्य था। मैं समझता हूं कि इसके लिये कोई ऐसी बात नहीं है और मैंने जितने संशोधन पेश किये हैं वह सब सदन के सामने विचारार्थ हैं।

श्री जगन्नाथ मल्ल---श्रीमन्, जहां तक इस संशोधन के ऊपर बात कही गयी उसमें २,३ बातें प्रमुख हैं। माननीय मंत्री जी ने यह कहा और काटजू साहब ने भी कि इसमें सजा लिमिट नहीं होनी चाहिये क्योंकि दो लाख के दरख्त अगर कोई काट ले और फिर उसको ५०० रुपये की सजा दे दी जाय तो उसके लिये तो जेलखाने की सजा है ही। मैं नहीं समझता कि आप लोग ऐसा कैसे कहते हैं? आप तो इलाहाबाद हाईकोर्ट में वकील हैं ही, लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है मैजिस्ट्रेट को एक हजार से ज्यादा जुरमाना करने का अधिकार ही नहीं है। पता नहीं एक लाख दो लाख जुरमाना वह कैसे कर सकता है।

श्री शिवनाथ काटजू---श्रीमन्, मैंने यह कभी नहीं कहा कि मैजिस्ट्रेट १ लाख या दो लाख जुरमाना कर सकता है।

श्री जगन्नाथ मल्ल---लेकिन उसकी लिमिट है और वह एक हजार से ज्यादा जुरमाना नहीं कर सकता। फिर यह सवाल ही कहां उठता है। मैं पहले एक हजार ही रखना चाहता था लेकिन मैंने देखा कि वह बहुत ज्यादा होगा इसलिये उसको ५०० रख दिया।

अब जहां तक काटजू साहब का यह कहना कि हजारों बीघा जंगल काट डालेंगे, यह मेरी समझ में नहीं आया कि जब लोग एक रात में हजारों बीघा जंगल काट डालेंगे तब कहीं सरकार को उसका पता लगेगा। हजारों बीघा जंगल कट जाय तब भी सरकार को पता नहीं लगे। यह कोई आर्गूमेंट नहीं है। जब सरकार की पुलिस हर जगह रहती है, डिपार्टमेंट के आदमी रहते हैं, चप्पे-चप्पे पर सरकारी आदमी मौजूद रहते हैं तो मेरी समझ में नहीं आता कि

ऐसा किस प्रकार से हो जायगा कि हजारों बीघा जंगल कट जाय और सरकार को पता भी न लगे। अगर ऐसा होगा तो सरकारी मशीनरी चलना बड़ा मुश्किल मालूम पड़ती है, तब तो सरकार का चलाना बिलकुल मुश्किल मालूम होता है। इसलिये मैं सोचता हूं कि सरकार को पता चल जायगा। मैं तो यह भी कहता हूं कि गांव वाले खुद ही आपको बतायेंगे, पुलिस में रिपोर्ट करेंगे क्योंकि वे नहीं चाहते कि जंगलों को काटा जाय। आपको इससे घबराने की जरूरत नहीं है। इसलिये सजा होनी चाहिये लेकिन बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिये।

मैं माननीय श्री श्रीचन्द्र जी की इस दलील से भी सहमत नहीं हूं कि ज्यादा सजा होने से क्राइम बढ़ते हैं। सजा इसलिये नहीं रखी जाती कि आदमी क्राइम कर ले तब उसको सजा दी जाय। सजा तो इसलिये रक्खी जाती है कि आदमी उसको देख कर डरे। इसलिये उनकी यह दलील कि सजा काफी होने से क्राइम बढ़ेंगे, मेरी समझ में नहीं आती। अभी आप कह दीजिये कि अगर कोई मर्डर करेगा तो उसको एक महीने की सजा दी जायगी, तब देखिये कितने मर्डर होते हैं। छोटे-छोटे झगड़ों में लोग एक दूसरे को कत्ल कर देंगे। इन शब्दों के साथ मैं समझता हूं कि मेरा मतलब माननीय मंत्री जी की समझ में आ गया होगा और वे मेरे संशोधन को स्वीकार कर लेंगे।

श्री जगमोहन सिंह नेगी—माननीय अध्यक्ष महोदय, जो कुछ मुझे कहना था वह मैंने पहले ही कह दिया। लेकिन मैंने एक बात नोट की और वह यह कि उनका कहना है कि जुरमाने वाले में एक हद मुकर्रर कर दी जाय और सजा के लिये हद मुकर्रर न की जाय। राजा साहब ने कहा कि किसी की भी हद रखना ठीक नहीं। तो इसके मानी हैं कि जिसको जो सुभीता दिखता है वही वह कहता है। मैं समझता हूं कि यह चीज बहुत ही जरूरी है कि लोग जंगलों को नुकसान न कर सकें और जुरमाने की हद मुकर्रर न की जाय इससे अदालत को जुर्म के मुताबिक जुर्माना करने का उचित मात्रा में, काफी मौका रहेगा। इसलिये मैं आपके संशोधनों को स्वीकार करने में असमर्थ हूं।

राजा वीरेन्द्रशाह—अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी यह नहीं समझे कि मैं तो उनके सजा के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं फिर भी वह न जाने कैसे ऐसा कहते हैं?

श्री अध्यक्ष—क्या सदन अनुमति देता है कि श्री श्रीचन्द्र के संशोधन वापस किये जायं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस हुये।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड २ में प्रस्तावित धारा 38-F की उपधारा (iii) की पंक्ति ३ में शब्द "fine" और शब्द "or" के बीच में शब्द "which may extend to five-hundred rupees." रख दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठाकर सदन का विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार अस्वीकृत हुआ :—

पक्ष में—१२,
विपक्ष में—६३।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि संशोधित खंड २ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ३

निरसन

३—इंडियन फारेस्ट (यू० पी० संशोधन) अध्यादेश, १९५५, एतद्द्वारा निरसित किया जाता है तथा यू० पी० जनरल क्लाजेज ऐक्ट, १९०४ की धारा ६ और २४ के उपबन्ध उसी प्रकार प्रवृत्त होंगे मानों वह उत्तर प्रदेश के किसी अधिनियम द्वारा निरसित कोई विधायन हों।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ३ विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड १

संक्षिप्त शीर्ष नाम तथा प्रारम्भ ।

१—(१) यह अधिनियम इंडियन फारेस्ट (यू० पी० संशोधन) अधिनियम, १९५५ कहलायेगा ।

(२) यह ३ दिसम्बर, १९५५ को और इसी दिनांक से प्रचलित होगा और प्रचलित हुआ समझा जायगा ।

श्री गंगाधर मैठाणी (जिला टेहरी गढ़वाल)—अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि खंड १ के उपखंड (२) के बाद नया उपखंड (३) निम्न रूप में रख दिया जाय—

"(3) It extends to the whole of Uttar Pradesh excepting the areas where the U. P. Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950, does not apply."

इसके सम्बन्ध में तमाम बातें समिति की रिपोर्ट में दी हुयी हैं । बस इतना ही कह कर मैं अपना प्रस्ताव सदन के समक्ष रखता हूं ।

श्री हरगोविन्द पन्त (उपाध्यक्ष)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं उपस्थित संशोधन का समर्थन करता हूं । यह मैं इसलिये कर रहा हूं क्योंकि मैं इसको अत्यावश्यक समझता हूं । मेरी समझ में नहीं आता कि क्यों इस विधेयक को कुमायूं में भी लागू करने के लिये आग्रह किया जा रहा है । कुमायूं में परिस्थिति वनों के सम्बन्ध में भी सारे प्रदेश से भिन्न है, यद्यपि यह माना जाता है कि वहां वन अधिक हैं किन्तु इसके होते हुये भी वहां की परिस्थिति इस विधेयक के वहां प्रसारित किये जाने की आवश्यकता सिद्ध नहीं करती । मैदानी हिस्सों में गांव की सरहद के अन्दर जितनी भी जमीन होती है वह सब जमींदारी की सम्पत्ति समझी जाती थी । कुमायूं में यह बात नहीं है । वहां केवल नाप की जमीन गांव के हिस्सेदारों की जमीन मानी जाती है । बेनाप जमीन सरकार की सम्पत्ति है, उसका चप्पा-चप्पा सरकार के ही प्रबंध में है और उसके लिये नये कानून की विशेष आवश्यकता भी नहीं है । पहले वहां इतना जरूर था कि वहां के लोगों में वनों के महत्व का इतना अधिक ज्ञान नहीं था और एक समय वहां वनों के बड़े भारी नुकसान हुआ करते थे परन्तु अब वहां के सार्वजनिक कार्यकर्ताओं के उद्योग से और सरकारी विभाग के उद्योग से भी जनता में काफी जागृति आ गयी है और जनता अब स्वयं वनों की रक्षा के लिये प्रयत्नशील होती जा रही है । वहां भी रिजर्व्ड फारेस्ट्स हैं, बल्कि पंचायती फारेस्ट्स भी मौजूद हैं और गांव वाले अपनी सरहद में वनों की रक्षा के लिये प्रबंध करते जा रहे हैं । जनता को इस ओर प्रेरित करने के लिये वहां के सार्वजनिक कार्यकर्ताओं को बहुत प्रयत्न करना पड़ा और अब जनता में वन विभाग के प्रति ऐसा विश्वास उत्पन्न होने लगा था कि हमारे हित के लिये ही जंगल हैं परन्तु यदि ऐसा कानून बना और कहीं थोड़ी सी भी खबर नोटीफिकेशन द्वारा जंगल बन्द करने का अधिकार सरकार को मिलने की बाबत फैली तो जनता की भावना इसके विपरीत हो जायगी । सम्भव है कि वह जंगलों का नुकसान करने के लये प्रेरित हो पड़े । मैं वन विभाग के उपमंत्री जी को याद दिलाना चाहता हूं कि एक समय था जब जंगल विभाग के लिये जनता में इतना भारी दुराग्रह पैदा हो गया था कि सन् २१ और २२ में वहां हजारों एकड़ वन जला दिये गये थे । उस जमाने में वन विभाग के जो निम्न कर्मचारी थे उनके व्यवहारों से वहां की जनता खिन्न हो गयी थी और उस वक्त कई हजार एकड़ जंगल बरबाद हो गये थे और लोगों को सात सात साल की सजायें तक भुगतनी पड़ी थीं । वहां की जनता सीधी सादी और शांत अवश्य है परन्तु जब वह देखती है कि उसके साथ व्यवहार ठीक नहीं होता तो उसमें प्रतिक्रिया अवश्य होती है । मैं तो खास तौर से आग्रह करूंगा कि कुमायूं में इस कानून को लागू करने की विशेष आवश्यकता नहीं है । यह अच्छा होता कि जो संशोधन ३८—ए की बाबत पहले दिया गया था वह मान लिया जाता । चूंकि अब यह नहीं माना गया है इसलिये जो संशोधन

अब पेश किया गया है इसको स्वीकार करने में वहां की परिस्थिति संतोषजनक रह सकेगी ऐसा मेरा विश्वास है। मैं एक बात चेतावनी के तौर पर मंत्री जी से यह भी कह देना चाहता हूं कि पहले जमाने में वन विभाग के निम्न कर्मचारियों के कारण जनता में बड़ा असंतोष था लेकिन इधर जो उच्च कर्मचारी हैं उनके प्रति अधिक असंतोष बढ़ता जा रहा है। उसकी ओर सरकार का ध्यान जाने की बड़ी आवश्यकता है। जिस प्रकार जंगलात विभाग के कई कर्मचारी जंगलात को कुछ लाड़ले ठेकेदारान द्वारा बरबाद कराते चले जा रहे हैं और वहां लीसा के वितरण के सम्बन्ध में लोगों में काफी असंतोष है उसके लिये जल्दी से जल्दी कुछ प्रतिकार करने की आवश्यकता है। मेरा यह कहना है कि जब कुमायूं में जंगल की सुरक्षा जनता की तरफ से स्वयं की जा रही है और वहां इतना बड़ा कोई रकबा ऐसा नहीं रह गया है जिसमें प्रबंध करने की आवश्यकता हो तो मैं बड़े आग्रह पूर्वक मंत्री जी से कहूंगा कि वे इस संशोधन को मान लें ताकि वहां की परिस्थिति काबू में रहे। इन शब्दों के साथ मैं इसका समर्थन करता हूं।

(इस समय १ बजकर १५ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर १८ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री हरगोविंद पंत, की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुयी।)

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं। मैं आपका ध्यान इस संशोधन के द्वारा जो उपस्थित किया गया है इस विधेयक के उद्देश्य और कारण की ओर ले जाना चाहता हूं। उद्देश्य और कारण में साफ लिखा हुआ है:

"उस काल में जब उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन तथा भूमि व्यवस्था अधिनियम निर्माण अवस्था में था, बड़े बड़े क्षेत्र जिन पर वन लगे हुये थे, भूमि सुधार के लिये तत्कालीन जमींदारों द्वारा पट्टे पर दे दिये गये। उपर्युक्त प्रकार से दिये गये पट्टों पर निर्भर रहते हुये, जनता का एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसे वनों को असावधानी पूर्वक साफ कर गिराने को उत्सुक है। सामान्य जनता के हित में, और विशेष कर राज्य में जहां मुख्यतया कृषि व्यवस्था ही है, वनों के संरक्षण के महत्व को पूरी मान्यता दी गयी है। ऐसे क्षेत्रों में वनों के शोषण का विनियमन आवश्यक प्रतीत हुआ है। इस हेतु कि उक्त प्रवृत्ति को रोका जा सके, राज्यपाल महोदय ने इंडियन फारेस्ट (यू० पी० संशोधन) अध्यादेश, १९५५ प्रचारित किया है। यह विधेयक अध्यादेश का स्थान ग्रहण करने के निमित्त पुरःस्थापित किया जाता है।"

यह उद्देश्य है। इसमें यह स्पष्ट दिया हुआ है कि जो जमींदारी उन्मूलन तथा भूमि व्यवस्था अधिनियम निर्माणावस्था में था तो बहुत से लोगों ने पट्टे कर दिये थे और उनमें जंगल के भी पट्टे थे, उनको काटने और जमीन को तोड़ने की प्रवृत्ति जो लोगों में फैली जिससे वनों का संरक्षण नष्ट हो रहा है, उसको रोकने के लिये अध्यादेश भी जारी हुआ और इसी उद्देश्य से यह विधेयक भी लाया गया है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि कोई भी विधेयक जिस उद्देश्य से लाया जाता है उसकी सीमा भी उस उद्देश्य के भीतर रहती है। स्पष्टतया जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम के बनने के दौरान में जो पट्टे दिये गये थे उन्हीं पट्टों के अन्दर इस कानून को लागू करने की और इस अध्यादेश को प्रचारित करने की आवश्यकता हुयी। तो यह बात ऐसे प्रदेश में लागू हो जहां जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम नहीं है, यह इसकी परिधि के बाहर चला जाता है। खास तौर से यह कानून कुमायूं के लिये कभी बना ही नहीं, जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम वैसे अभी कुमायूं के इलाके में जौनसार भावर के लिये एक कानून बना है। जो रामपुर और मिर्जापुर के लिये हुआ है उसमें कुछ ऐडाप्टेशंस करके वही ऐक्ट लागू कर दिया गया है। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि इसके उद्देश्य की सीमा के बाहर यह नहीं जा सकता।

जहां तक इसकी सीमा है वह उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम की सीमा के अन्दर होनी चाहिये। मैं यह निवेदन करूंगा कि अगर यह संशोधन नहीं माना जाता तो वह उसके उद्देश्य के बाहर जाता है। इसलिये आप इसकी व्यवस्था दें कि आया यह विधेयक पूरे प्रदेश के लिये लागू हो सकता है उसके उद्देश्य और कारणों की सीमा के अन्दर ?

श्री उपाध्यक्ष—यद्यपि व्यक्तिगत रूप से माननीय सदस्य के कहने से मैं बहुत कुछ सहानुभूति रखता हूं तथापि मैं उनका ध्यान उद्देश्य और कारण जो कि दो चीजें होती हैं जिनके आधार पर कोई कानून बनाया जाता है, उसकी ओर ले जाता हूं। यों तो इस विधेयक को उपस्थित करने का तुरन्त जो कारण है वह जो जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम बनाया गया उसका कारण है क्योंकि उसके कारण यह परिस्थिति आयी है कि जंगलों की बरबादी हो रही है। परन्तु इस विधेयक का उद्देश्य है जंगलों की सुरक्षा करना, चाहे वह किसी भी कारण से बरबाद होते हों।

इसलिये मैं समझता हूं कि विधान का प्रश्न नहीं उठता और यह संशोधन उपस्थित किया जा सकता है।

श्री जगन्नाथ मल्ल—प्वाइन्ट आफ आर्डर। मैं यह जानना चाहता हूं कि कोई अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या अधिष्ठाता जबकि इस चेयर पर आसीन है तो कोई व्यक्तिगत राय भी रख सकता है इस सदन में या बाहर रख सकता है। यह मैं चाहूंगा रूलिंग।

श्री उपाध्यक्ष—मैंने कोई व्यक्तिगत राय नहीं दी है जो प्रश्न उठाया गया उसी पर मैंने व्यवस्था दी है।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—मैं इस संशोधन में एक संशोधन उपस्थित करना चाहता हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पहले उसको कृपा करके ले लें। मैं उसकी नकल दिये देता हूं। मेरा संशोधन यह है कि इस संशोधन में जो पहले स्थान पर "It extends to the whole" है उसमें "It" की जगह पर इस तरह कर दिया जाय कि "The provisions of sections 38A to 38G" जहां "It" है उसकी जगह यह कर दिया जाय। इसका आशय यह है कि जहां तक यह मौजूदा संशोधित विधेयक है उन्हीं के प्राविजंस के लिये यह संशोधन लागू किया जाय। अगर यह नहीं रखा जाता तो "इट" का मतलब हो जायगा सारे इंडियन फारेस्ट ऐक्ट से। और चूंकि यह संशोधन विधेयक है तो उसमें सारे इंडियन फारेस्ट ऐक्ट से हमारा मंशा नहीं है। जिन माननीय सदस्य ने यह संशोधन पेश किया है उनका भी यह मंशा नहीं है कि सारा इंडियन फारेस्ट ऐक्ट इस पूरे प्रदेश में लागू न किया जाय। तो इसलिये भी यह जरूरी है कि जो मौजूदा संशोधित विधेयक है इसमें जो धारायें रखी गयी हैं उन्हीं के पर्पजेज के लिये यह उन्हीं स्थानों पर लागू होना चाहिये जहां कि जमींदारी एबालिशन ऐक्ट लागू है। बाकी और प्रदेश छोड़ देना चाहिये। तो मैं समझता हूं कि मेरे इस संशोधन को माननीय मैठाणी जी स्वीकार कर लेंगे क्योंकि उनकी जो मंशा है वह इससे स्पष्ट हो जायगी और कानून में भी इससे कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इस संशोधन को रखते हुये माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह उन्हीं स्थानों पर लागू होना चाहिये जहां कि इसकी आवश्यकता है। वैसे जहां जमींदारी वाला कानून नहीं लागू किया गया है वहां इसकी आवश्यकता है भी नहीं क्योंकि वहां न तो ऐसी जमीनें पट्टे पर उठाई गयी हैं और न वहां इस प्रकार से इस व्यवस्था की कोई आवश्यकता ही है। इंडियन फारेस्ट ऐक्ट का जो चैप्टर फाइव है जिसमें कि यह क्लाज बढ़ाया जा रहा है उसमें स्वयं काफी इतना सारा विधान पहले से मौजूद है कि और कहीं अगर किसी प्राइवेट 'फारेस्ट में' इस तरह की गड़बड़ी हो तो उसको रोकने का विधान उसमें है। उसमें भी साफ लिखा हुआ है कि प्राइवेट फारेस्ट के लिये कि अगर कहीं कोई इस तरह से जंगल में आग लगा दे, कोई वृक्षों को नुकसान पहुंचाये, कोई मवेशियों से चरा दे तो उसको ६ महीने की सजा और ५ सौ रुपया तक जुर्माना हो सकता है। यह पहले से मौजूद है। तो जहां जहां जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था कानून लागू नहीं है वहां के लिये मौजूदा फारेस्ट ऐक्ट में ऐसे विधान हैं जिनके बमूजिब व्यवस्था की ही जा सकती है। वहां भी नोटीफिकेशन जारी कर सकते हैं। अगर कोई अपने प्राइवेट फारेस्ट को ठीक से इस्तेमाल नहीं करता है तो उसका मैनेजमेंट छीना जा सकता है, उसकी व्यवस्था हो सकती है। तो यह व्यवस्था होते हुये

कोई आवश्यकता नहीं है कि इस संशोधन विधेयक को उन सारी जगहों पर लागू किया जाय जहां कि जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम नहीं लागू है। इसकी आवश्यकता ही इसलिये हुयी कि जो पट्टे पर जमीनें दी गयीं, वही यह गड़बड़ हो रही थी, लोग उनको तोड़ रहे थे, जोत रहे थे, इसलिये इसकी आवश्यकता पड़ी। जहां जमींदारी वाला कानून नहीं लागू है वहां इस तरह के पट्टे ही नहीं दिये गये हैं जहां की जमीनें लोग तोड़ रहे हों। मैं समझता हूं कि इससे एक कठिनाई जरूर बढ़ जायगी, लाभ कुछ नहीं होगा। मैंने पहाड़ों पर देखा है कि वहां के रहने वाले गरीब अपने मवेशियों के लिये पत्तियां तोड़ते हैं और कभी-कभी रिजर्वेशन फारेस्ट से पत्तियां तोड़ लेते हैं, तो जुर्माना होता है, वह तो कानून के अन्दर है, लेकिन जो प्राइवेट हैं उसमें से वह तोड़ते हैं, वहां अगर यह कानून बन गया और यह लागू हो गया सारे प्रदेश में, तो फिर जो मवेशियों के लिये चारा वगैरा लाते हैं उनके लिये दिक्कत होगी। वैसे तो नोटिफिकेशन गवर्नमेंट ने जारी किया है, जहां तक मैंने देखा है उसमें वही जिले हैं जहां जमींदारी वाला कानून लागू है, तो जहां के लिये जरूरत थी वहां के लिये किया। उससे पता चलता है कि कुमायूं प्रदेश में और जहां वह लागू नहीं है वहां कोई आवश्यकता नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि वहां के बाशिंदों को एक नयी मुसीबत देंगे और जो कर्मचारियों की हालत होती है उसमें तो थोड़ा दुरुपयोग होता ही है उनको पावर्स का। माननीय मंत्री महोदय ने कहा कि मैं देखूंगा कि कहीं गड़बड़ी न होने पाये। तो देखने को तो सारी गवर्नमेंट देखती रहती है कि कहीं गड़बड़ी न होने पाये, अकेले एक विभाग की बात नहीं है, लेकिन जो होता है उसकी शिकायतें माननीय सदन के सदस्यों के पास पहुंचती हैं और लोगों को परेशानी भी मालूम होती है और उससे हमारी गवर्नमेंट की बदनामी होती है। इसलिये ऐसे अधिकार लेना भी मुनासिब नहीं है जिसकी आवश्यकता नहीं है। तो मैं समझता हूं कि यह संशोधन स्वीकार होना चाहिये ताकि ऐसी शिकायत का मौका न हो, और जहां के लिये इसकी जरूरत है वहां के लिये ही इसको चालू किया जाय, लागू किया जाय ताकि दुरुपयोग होने की सम्भावना न हो।

श्री सत्यसिंह राणा (जिला टेहरी गढ़वाल)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो संशोधन माननीय मैठाणी जी ने प्रस्तुत किया, मैं उसका समर्थन करता हूं और उसके पश्चात् जो माननीय मौर्य जी ने इसके ऊपर संशोधन रखा है अगर उसकी आवश्यकता है तो उसे भी मैं स्वीकार करता हूं, क्योंकि सिद्धांत के रूप में दोनों एक ही हैं। श्रीमन्, सबसे पहले तो जब से यह बिल इस सदन में आया इसी बात पर ज्यादा बहस चल रही है कि आया यह बिल उन क्षेत्रों के लिये लागू होना उपयुक्त है या नहीं जहां कि जमींदारी अबालीशन लागू नहीं है। इस सम्बन्ध में कल मैंने जब क्लेमेंट शब्द की परिभाषा के सम्बन्ध में अपना संशोधन रखा था, जिसको माननीय मंत्री जी ने स्वीकार नहीं किया, अगर वह स्वीकार हो गया होता तो शायद इस संशोधन की आवश्यकता नहीं होती। ताहम इसका इस व्यापक तरीके से आना आवश्यक था, इसलिये मैं इसका भी पुनः समर्थन करता हूं।

एक बात जो समझ में नहीं आती वह यह है कि इस सदन में पहाड़ी प्रान्तों के प्रतिनिधि एक आवाज से इस बात का विरोध कर रहे हैं कि यह बिल पहाड़ी प्रान्तों में लागू हो जहां कि जमींदारी अबालीशन लागू नहीं है। यही नहीं, सिद्धांत के दृष्टिकोण से उन हिस्सों के माननीय सदस्य भी जो कि कुमायूं डिवीजन से नहीं आते वह भी इस बात की उपयोगिता मानते हैं कि इसका कुमायूं डिवीजन में लागू होना नितान्त अनावश्यक है। मैं समझता हूं कि बहुत सारे सदस्यों ने जो कि प्लेन्स के रहने वाले हैं, जिन्होंने पहाड़ नहीं देखा वह शायद उसको पूरी तरह से नहीं सोच सकते। मैं माननीय मौर्य जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हमारा दृष्टिकोण सही रूप से यहां पर रखा और वह इसलिये कि जबकि वह पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी थे उस वक्त उन्हें मौका मिला कि वह पहाड़ों में जायं और दौरा करें और परिस्थिति का सही अवलोकन करें। उसी के आधार पर उन्होंने अपने विचार यहां पर रखे यह एक किस्म का आई ओपेनर है दूसरे सदस्यों के लिये कि जो बातें उन्होंने कही हैं उनके समर्थन में वे अपनी राय प्रकट करें। मैं अच्छी तरह से कह सकता हूं कि जब हम कुमायूं डिवीजन के प्रतिनिधि यहां पर हैं तो

[श्री सत्यसिंह राणा]

हम उस भावना को यहां पर रखते हैं जो वहां की जनता के हित में है। साथ ही में हम जंगलों की उपयोगिता को भी दृष्टि में रखते हैं, उसको नजरअन्दाज नहीं करते हैं। आज कोई भी कुमायूं डिवीजन का प्रतिनिधि ऐसा नहीं है, जो इस विधेयक का विरोध न करता हो और मैं समझता हूं कि अगर हमारे माननीय नेगी जी आज मंत्री पद पर आसीन न होते तो शायद वे भी इसका समर्थन न करते। लेकिन चूंकि वह गवर्नमेंट के प्वाइंट आफ व्यू को आगे रखते हैं इसलिये जनता की राय को मान लेने में अपनी हठधर्मी को धक्का समझते हैं। मुझे अफसोस है कि एक ब्युरो क्रेसी का तरीका सरकार का है जो आगे चल कर डेमोक्रेसी के लिये बहुत घातक होगा। कल हमारे संशोधन और जो माननीय जगन्नाथ मल्ल जी का था उसके बाद जो भाषण माननीय उपमंत्री जी ने दिया अगर हम बिल कानूनी पहलू को सामने न रखें तो पूरे सदन को और हमें भी विश्सास है कि पहाड़ी प्रदेशों के लिये इस तरह का नोटीफिकेशन कभी होगा ही नहीं। लेकिन श्रीमन् जैसा कि और सदस्यों ने भी कहा अगर इस बिल को पहाड़ी प्रदेशों में लागू करने की मंशा नहीं है तो यह अनावश्यक प्रतीत होता है कि इसको सारे प्रान्त में लागू किया जाय। अगर कल माननीय मंत्री जी किसी दूसरे विभाग के मंत्री हो जायें और यहां पर कोई दूसरे मंत्री आसीन हों और उनके दिमाग में यह आ जाय कि इसे पहाड़ी प्रदेशों में भी लागू किया जाय क्योंकि पहाड़ों के बारे में पूरी तरह से उनको जानकारी नहीं है तो उस वक्त अदालत में इस सम्बन्ध में जब मुकदमा जायगा तो हम नेगी जी को वहां नहीं पेश कर सकते कि उस वक्त उनका यह खयाल था, तो यह खतरा है।

अदालत में जब किसी ऐक्ट पर कानूनी बहस होती है तो उस वक्त माननीय मंत्री ने सदन में क्या आश्वासन दिया था उस पर विचार नहीं होता, उस वक्त तो कानून कानून के तौर पर देखा जाता है। मुझे याद है कि हमारे टेहरी गढ़वाल का जब मर्जर हुआ उस से पहले लोगों ने जंगलों में कुछ आबादी की थी। हमारी सरकार से यह आदेश हुआ था कि सन् ४७ से पहले जिन्होंने जंगलों में जमीन को आबाद किया है वह उन्हें लीज पर दी जायगी। लेकिन बावजूद इस सरकारी हुक्म के भी अदालतों में मुकदमे चले, लोगों को सजा हुयी और उस वक्त वह जी० ओ० बिलकुल ताक में रखा रह गया। उन्होंने कहा कि हम इसको नहीं मानते, यह कोई कानून थोड़े ही है। तो जब जी०ओ०का कानूनी फोर्स नहीं है तो माननीय मंत्रीजी जो इस सदन में आश्वासन देते हैं उसका क्या फोर्स हो सकता है। इसलिये माननीय मंत्री को यह हठधर्मी छोड़ देनी चाहिये और इस बात को उन्हें मानना चाहिये कि जो पहाड़ी प्रदेश के प्रतिनिधि यहां कहते हैं वह सही कहते हैं। इसलिये वे माननीय गंगाधर मैठाणी के संशोधन को मान लें ताकि गरीब जनता को भी राहत मिल सके। इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री रामहेतसिंह (जिला मथुरा)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय जो मैठा णी जी ने संशोधन रखा है मैं उसका विरोध करता हूं और इसका कारण यह है कि जो स्थिति जमींदारी उन्मूलन के बाद यहां पैदा हुयी वही स्थिति आप पहाड़ पर भी लाना चाहते हैं यह पहले तय हो चुका है और अब भी है कि जहां नोटिफिकेशन जारी होगा वहीं यह कानून लागू होगा। पहाड़ों पर नोटीफिकेशन जारी नहीं हुआ है। आप सरकार से कह सकते हैं कि वहां लागू न करें। मैदानी इलाके में नोटीफिकेशन जारी हुआ है और वहां इस चीज की जरूरत है तो वहां यह चीज लागू होगी। पहाड़ी इलाकों का सवाल कहां आता है? मान लो दस बीस साल बाद वहां जमींदारी उन्मूलन हुआ तो उस स्थिति के लाने में ४–६ साल लग जायेंगे जैसे कि यहां पर जमींदारी उन्मूलन होने के बाद जमींदारों ने जंगल काट लिये और हमें मजबूर कर यह बिल लाना पड़ा, यदि यह मान लें कि वहां बाद में लागू हो तो क्या आप फिर इसमें दुबारा संशोधन करेंगे या पहाड़ी बिल के नाम से अलग बिल लायेंगे? इसलिये हम तो यही चाहते हैं कि सब जगह यह बिल लागू हो।

उपाध्यक्ष महोदय, एक बात मैं जरूर मानूंगा कि वहां पर फारेस्ट ऐक्ट है और वहां इससे दिक्कत हो सकती है, परेशानी हो सकती है, क्योंकि हम वहां की परिस्थिति से परिचित

नहीं है। मैं तो यह कहूंगा कि जहां तक इस विधेयक का सवाल है यह तो सब जगह लागू होगा, लेकिन नोटीफिकेशन का सवाल है वह लागू नहीं कर रहे हैं। जहां की ऐसी स्थिति न हो वहां समझ में नहीं आता है, मैदानी इलाके में तो लागू हो और यह पहाड़ों पर लागू न हो। मैं इसका विरोध और भी कई दृष्टियों से करता हूं। हमारे साथी माननीय विष्ट जी प्रवर समिति में मौजूद थे वहां यह चीज पैदा हो गयी थी कि वहां पर लागू होने का सवाल नहीं है क्योंकि वहां पर फारेस्ट ऐक्ट मौजूद है और आप सब लोग जानते हैं कि जब हमें अपने वनों की रक्षा करनी है तो थोड़ी बहुत मुसीबत झेलनी ही पड़ेगी। इसलिये मैं इस संशोधन का जो मैठाणी जी ने पेश किया है, विरोध करता हूं।

श्री खुशीराम (जिला अल्मोड़ा)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह संशोधन बिल जो इस समय सदन में प्रस्तुत है इस पर काफी वाद विवाद हो चुका है। इसके संबंध में मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि माननीय मैठाणी जी के संशोधन का मुझे समर्थन करना पड़ रहा है। मैं समर्थन करता हूं जैसा कि मेरे पूर्व वक्ता ने कहा कि कुमायूं में ऐसी स्थिति है कि इसके लागू होने की वहां कोई आवश्यकता नहीं है। कुमायूं में तो पहले से ही फारेस्ट ऐक्ट मौजूद है और वहां पर वनों की रक्षा करने के लिए काफी साधन सुलभ हैं। वहां पर जंगलात है और रिजर्व वन है और बची खुची जमीन में भी गांव वाले पंचायती मोरिंट पंचायत जंगल हैं उन जंगलों की और उस जमीन की रक्षा करते हैं। कुमायूं में ऐसी कोई जगह बाकी नहीं जहां पर इस ऐक्ट को लागू किया जाय। इसके पूर्व माननीय हरगोविन्द पन्त जी ने इस पर काफी प्रकाश डाला है। इसके अतिरिक्त एक बात और यह है कि जंगलात के जो उच्च अधिकारी हैं, जो उनके कारनामे हैं और जो जंगलात विभाग का रवैया है उनसे कुमायूं की जनता परेशान है और ऊबी हुई है और वहां इन पर बड़े अत्याचार हैं। माननीय पन्त जी इसका ज्वलन्त उदाहरण दे चुके हैं कि इन जगहों में कई बार जंगलों में आग लगा दी गई और लाखों करोड़ रुपयों का नुक्सान कर दिया गया। अब तो इस ऐक्ट को वहां लागू करने के माने यह होंगे कि वहां एक छेड़ खानी पैदा की जाय, वह छेड़खानी पैदा हो जायगी। तो इस लिये मुझे यह सुझाव देना है कि जब वहां जंगल रक्षा के साधन मौजूद हैं और ऐसी कोई बात नहीं है जिससे कि इस ऐक्ट की वहां आवश्यकता हो तो ऐसी सूरत में वहां इसे लागू करना उचित न होगा। इसके अलावा मैदान और पहाड़ में, कायदा कानून में विभिन्नता है। जमींदारी एबालिशन मैदान में हुआ पहाड़ में नहीं हुआ। इन सब बातों को देखते हुए मैं इसका वहां लागू होना उचित नहीं समझता और इन शब्दों के साथ मैठाणी जी के सुझाव का समर्थन करता हूं।

श्री मदनमोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो संशोधन मैठाणी जी ने रखा है मैं उसके समर्थन में खड़ा हुआ हूं। मैं माननीय मंत्री जी से इस संशोधन के संबंध में कुछ निवेदन करते हुए उनसे कुछ मामलों में सफाई भी अवश्य चाहूंगा और वह यह कि पहाड़ों की परिस्थिति ऐसी है कि हर गांव के पास गांव वालों ने अपने पंचायती जंगल लगा रखे हैं। यह कानून जो आज यहां बनाया जा रहा है अगर यह पहाड़ों के प्रदेशों में भी लागू हो तो हमारे गांव वाले जो अपने जंगलों से लकड़ी लेते हैं, घास काटते हैं और जो अपनी नाप की जमीन में जंगल लगाने के लिये तैयार हैं वह सब रुक जायगा। वह अपने पंचायती जंगल से फायदा नहीं उठा सकेंगे। पहाड़ों पर लकड़ी की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। यहां मैदानी इलाकों में तो पत्थर का कोयला भी मिल सकता है, खान वगैरह से भी कोयला इकट्ठा किया जा सकता है लेकिन पहाड़ों पर अगर यह पेड़ न हों, जंगल न हो तो वहां के लोगों को लकड़ी के वगैर बड़ी तकलीफ हो जायगी। तो अगर यह कानून कुमायूं के लिये भी लागू हो गया तो हमारे गांव वाले जो हैं उनके लिये बड़ी मुसीबत हो जायगी। यहां तो गांव समाज के पास कुछ जमीन है लेकिन वहां ऐसा नहीं है। हमारे यहां जो पंचायती जंगल हैं गांव वालों के अपने हैं वह और वह इस लिये लगाये गये हैं कि उनमें हम लोग कायदे के मुताबिक छंटनी करते हैं, उनमें पेड़ लगाते हैं, उनसे लकड़ी भी लेते हैं और घास आदि भी। तो इस तरह से हम वहां अपने जंगलों का बढ़ावा कर रहे हैं। अगर यह कानून वहां लागू हो गया तो कोई ऐसा शायद न करना चाहे इसलिये कि रेंजर साहब

[श्री मदनमोहन उपाध्याय]

के दिमाग में अगर यह बात आ गई कि इस एरिया के अंदर कानून लागू कर दिया जाय जहां कि हमारा पंचायती जंगल बना हुआ है तो उससे हमारे यहां के लोग तो घास और लकड़ी आदि लेने से भी वंचित हो जायंगे। इस नोटिफिकेशन को अगर आप पढ़ें तो जिस तरह से यह निकल रहा है उसके लागू होने से हमारे यहां के लोग परेशान हो जायंगे और जो लोगों की भावना आज रही है कि जंगल बनावे अगर उनको यह मालूम हो गया कि यहां नोटिफिकेशन लागू होने वाला है और जो हम पेड़ लगावेंगे उसका फायदा हम नहीं उठा सकते तो यह वह भावना खत्म हो जायगी और पेड़ लगाने का काम गांव वाले नहीं करेंगे। तो ऐसा होने से जो आज तक हमने किया और जो हम करने जा रहे हैं वह सब मटिया मेट हो जायगा। जैसा सत्यसिंह जी ने कहा, मैं समझता हूं कि वह सही है कि माननीय मंत्री जी को सरकारी बीमारी लग गई है। अगर वे माननीय मंत्री न होते तो शायद वही बात कहते जो बात हम कह रहे हैं। हम सब एक हैं, इसमें जमींदार और किसान का कोई सवाल नहीं है। हम लोग किसानों की फैमिली से ही आये हैं।

श्री उपाध्यक्ष---उन्होंने तो अपनी राय जाहिर नहीं की।

श्री मदनमोहन उपाध्याय---उन्होंने तो बिल पेश कर रखा है। हमारे सरकारी विभाग के लोगों ने जैसा बिल बना कर रख दिया उसी को उन्होंने पेश कर दिया है। वह और हम सब जानते हैं कि पेड़ों की रक्षा करना, उनमें दिलचस्पी लेना, उनको लगाना हम जानते हैं। अगर हम पहाड़ों में पेड़ ज्यादा न लगायेंगे तो बरसात के दिनों में पानी नीचे आ जायगा और फिर उससे वही बरबादी होगी। बाढ़ आने लगती है और उससे बहुत परेशानी आती है। हम लोग इस बात को महसूस करते हैं कि जंगल की रक्षा होनी चाहिये। जैसा कल मल्ल जी ने कहा था कि यहां पर बागों को काटा जा रहा है तो हम लोग बाग को नहीं काट रहे हैं। जहां पर लकड़ी की जरुरत होती है वहां पर अगर कोई लकड़ी काटते हैं तो वहां पर नये जंगल लगाते हैं। लेकिन वहां पर इस कानून के लागू होने से उनको दिक्कत पैदा हो जायगी। इस कानून के बन जाने से जो पंचायती जंगल बने हुये हैं, हमारे गांव के आस-पास जो पेड़ हैं उससे जो लोग लकड़ी ले कर इस्तेमाल करते हैं, अपनी गायों को चराने के लिये वहां पर भेजते हैं, वहां पर बांस की पत्तियों को चराने के लिये गायों को भेजते हैं उनके लिये भारी कठिनाई पैदा हो जायगी। इस लिये हम चाहते हैं कि इसको वहां पर लागू न किया जाय। लेकिन अगर सरकार की मर्जी में आ गया कि वहां पर लागू हो तो उसके लिये हम यह चाहते हैं कि हम इस खतरे को न लें। इस लिये माननीय मंत्री जी से दरख्वास्त करते हैं और इस तरह की राय देते हैं कि जिससे हमारे ऊपर यह कानून लागू न किया जाय, क्योंकि इससे काफी मुसीबत होने की संभावना हो जायगी।

यह कहना कि जब जमीदारी अबालीशन वहां पर होगा तब यह बात की जाय मुझे इस बात से इत्तफाक नहीं है। हमारे यहां के इस तरह के प्राबलेम नहीं है। हमारे यहां जमीदारी अबालीशन का कोई प्रश्न नहीं है। हमारे यहां तो कन्फर्मेशन आफ राइट का सवाल है। जो वहां पर सीरतान थे वे हिस्सेदार की जमीन में किसान थे, तो वह जमीन के मालिक बनाये जायंगे। वहां पर छोटे जमीदार थे उनको ही जमींदार वहां कह जाता था। वास्तव में वैसे कोई जमीदार नहीं हैं, ऐसी बात नहीं है कि उनको बड़ा जमीदार कहा जाता हो। हां माननीय मंत्री जी और नरेन्द्र सिंह जी जमीदार हो सकते हैं लेकिन हमारे लिये जमीदारी का प्रश्न कोई पैदा नहीं हो सकता। अगर उनको कहा जमीदार जाय तो वह थोड़े से असामी हैं और जरूर भूमिधर बन जायेंगे। लेकिन मैं माननीय मंत्री जी को बताऊं कि जमींदारी विनाश होने के बाद हमारे यहां कोई ऐसा असर नहीं पड़ जायगा जिससे यह मालूम हो कि इनकी जमीन पर बहुत असर पड़ा है या जमीदारी उन्मूलन होने के बाद माननीय मंत्री जी बतलावें कि क्या असर पड़ने वाला है और पहाड़ों के लिये क्या खतरा होने वाला है? इस तरह की कोई बात नहीं है।

यह फारेस्ट ऐक्ट बना हुआ है उसमें इस प्रकार की बातें लिखी हैं कि जो सरकार के फायदे का नहीं है। हम लोग जो पहाड़ के रहने वाले हैं वह जानते हैं कि जो सिविल जंगल रखते थे उनमें लोग लीसा निकाला करते थे और लीसा निकाल कर वह बेच दिया करते थे। लेकिन सरकार ने बाद को जब यह देखा कि यह लोग बहुत कुछ पैसे पैदा कर लेते हैं तो उसने हुकुम निकाल दिया कि नहीं तुम उन चीड़ के पेड़ों से लीसा निकालते हो जो कि जंगल के अन्दर हैं और फिर उसको बेचते हो। तो जो जंगल के पास सिविल जंगल थे उनसे भी लोगों को लीसा की मनाही कर दी। तो इस तरह से सारा प्राइवेट लीसा बन्द हो गया। वह इस लिये बन्द हो गया कि उसको सरकार ने जंगल के पेड़ों से ही मिला दिया है। इस तरह की आज्ञा निकल गई और लागू हो गया। इस तरह से फिर पेड़ों की लैपिंग भी बन्द हो गयी। हम तो माननीय मंत्री जी बतलाने की कोशिश करते हैं लेकिन माननीय मंत्री जी इसको समझने की चेष्टा नहीं करते। हम और जो माननीय सदस्य यहां पर है वह उस पर विचार करते हैं लेकिन माननीय मंत्री जी को भी यह बात जाननी चाहिये। उन्हें हमारी तकलीफें सब मालूम हैं लेकिन वे सरकार के मंत्री हैं, वे सरकारी बिल को पायलेट कर रहे हैं, आखिर उनको कहना ही पड़ता है। माननीय मंत्री जी सच बात बता दें और उस के साथ-साथ यह भी बतायें कि आज यहां जिस जमीन की चर्चा है वह किसी गांव में वेस्टेड है तो क्या उससे यह लागू नहीं होगा? जो जमीन पंचायती जंगलों में वेस्टेड हैं उस पर वह लागू नहीं होगा क्या इसकी इस बिल में कोई चर्चा है? प्लेन्स में तो ऐसी भूमि गांव समाजों को मिल गयी हैं लेकिन पहाड़ों में ऐसी बात नहीं है। पहाड़ों में तो पंचायती जंगल हैं, उन जंगलों के मालिक गांव वाले हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो हमारे यहां लोगों को बहुत तकलीफ हो जायगी इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि वहां की परिस्थिति को आप समझ नहीं रहे हैं, इसलिये वहां की बात नहीं कह रहा हूं बल्कि मैं सदन के माननीय सदस्यों से प्रार्थना करूंगा कि वे इस पर गंभीरतापूर्वक विचार करें कि इसके रहने से किस प्रकार से देश या प्रदेश का लाभ होता है। पहाड़ों के लोग इसका इसलिये विरोध नहीं कर रहे हैं कि वहां पर वे किसी कानून को लागू नहीं करना चाहते हैं बल्कि इसलिये कर रहे हैं कि हमारे यहां के लिये वैसा कानून मौजूद है और उसके अनुसार हम लीसा नहीं निकालते हैं। हम तो जो सरकार की ओर से हक मिले हैं उनके अनुसार ही काम करते हैं। इंडियन फारेस्ट ऐक्ट के मातहत हमें ऐसे-ऐसे हक मिले हैं जिनके हम हकदार थे। अगर वे हक न मिलते तो हमारे यहां के लोग परेशान हो जाते। इन सब बातों का खयाल रखते हुए मैं सदन के माननीय सदस्यों से कहूंगा कि अगर हमारा संशोधन मानने लायक हो, अगर माननीय मंत्री जी हमारे माफिक राय न दे सकते हों तो हमारे खिलाफ भी राय न दें और इस मामले को हाउस के ऊपर छोड़ दें, और जो हाउस उस पर विचार करके स्वीकार कर ले उसे मान लें। इन शब्दों के साथ मैं माननीय मैठाणी जी के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

*श्री चन्द्र सिंह रावत---उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी को यह बता देना चाहता हूं कि १९३० में हम लोगों ने उनके इलाके उदयपुर में ही गवर्नमेंट के जंगलात विभाग के खिलाफ ही, उसकी ज्यादितयों के खिलाफ सत्याग्रह किया था और उस सत्याग्रह में कई आदमियों को सजा भी हुई थी। इसी प्रकार अल्मोड़ा और नैनीताल में भी कई इलाकों में १९३० में जंगलात के खिलाफ सत्याग्रह हुआ था। मैं सदन को बता देना चाहता हूं कि वहां पर जो परस्थितियां हैं वैसी प्लेन्स में नहीं हैं। जो माननीय सदस्य इस संशोधन के विरुद्ध बोले उन्होंने बेजानकारी के कारण यह कह दिया है कि पहाड़ वाले इस कानून को लागू होने देना नहीं चाहते और वह चाहते हैं कि पहाड़ वालों को ज्यादा एडवांटेजेज मिल जायं। मैं माननीय सदस्यों को बता देना चाहता हूं कि पहाड़ों पर जिस प्रकार से इंडियन फोरेस्ट ऐक्ट लागू होता है अगर उस हद तक प्लेन्स में लागू होता तो यू० पी० में रिबेलियन हो गया होता। और जिस तरह से वह कानून पहाड़ों पर लागू है अगर उस तरह

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री चन्द्रसिंह रावत]

प्लेन्स में लागू होता तो मैं समझता हूं कि आज एक भी माननीय सदस्य इस बिल का फेवर नहीं करता। मैं यह बता देना चाहता हूं कि हमारे यहां जो इन्श्योर्ड लैंड्स हैं और जिन पर प्रोप्राइटरी राइट्स हैं उनसे केवल ३ महीने ही खाने पीने के लिये मिल पाता है। जो जमीनें नाप जमीन के किनारे पर ही हैं वह जमीन भी फोरेस्ट डिपार्टमेंट से घिरी हुई हैं। यह आम हालत पहाड़ी इलाके में है। अगर नाप जमीन के अलावा २-३ फुट जमीन भी अगर है तो वह सरकार की जमीन है। एक भी इंच जमीन जो नाप के अलावा है वह सरकारी है। पहाड़ में इस लिए जमीदारी का सवाल या प्राइवेट फारेस्ट का सवाल नहीं उठता। लेकिन इस सम्बन्ध में सदन में गलतफहमी पैदा कर दी गई है। यह जो बिल लाया गया है वह उस जमीन के लिए है जो नाप जमीन है जिस पर प्राइवेट फारेस्ट है, जो नाप असेस्ड है, हमारी नाप कल्टीवेशन के अलावा एक इंच भी जमीन नहीं है। सारी जमीन की जो खेतों के किनारे हैं और खेतों की दीवारों के बीच में हैं वह कैसरे हिन्द जमीन है और उसकी मालिक भी सरकार है। हमारे यहां वह जमीन नहीं है जिसके लिए यह कानून लागू होगा। इसलिए यह हिमालियन ब्लंडर है, महान भूल है और यह ब्लंडर आफ दि फर्स्ट मेगनिट्यूड होगा अगर इस बिल को पहाड़ पर लागू किय गया इसका कारण यह है कि हमारे यहां के लोगों की इतनी मुसीबत है कि मैं बताऊं जब कभी भी मैंने वहां जिला बोर्ड के प्रेसीडेंट के साथ वहां का दौरा किया है तो वहां मेरे पास सैकड़ों की तादाद में किसान आये जिनकी जमीन जंगलों के पास है और मैं बहुत ही ईमानदारी के साथ कह सकता हूं और वहां के एक प्रतिनिधि की हैसियत से कह सकता हूं कि उनके खेतों के पास सरकार ने एक इंच जमीन भी नहीं छोड़ी है और चारो ओर से जैसे किसी कैदी को कनफाइन किया जाता है उस तरह से सरकार ने उनके खेतों को घेर दिया है। मैंने इस संबंध में सरकार को, चीफ मिनिस्टर महोदय को इसकी रिपोर्ट लिखी, लैंड रेवन्यू कमिश्नर का ध्यान दिलाया, माननीय मंत्री महोदय को खुद लिखा और इसी संबंध में मेरे ७ पत्र गवर्नमेंट में विचार के लिए आये हुए हैं लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि उन पर अब तक कोई कार्यवाही नहीं हुई अगर अपने खेत के २ फिट बाहर भी किसी ने पत्थर निकाल कर डाल दिया तो उसका फारेस्ट ऐक्ट की दफा ३२ और ३४ के अनुसार चालान किया जाता है और मैं वकील होने के नाते नहीं बल्कि वहां के प्रतिनिधि होने के नाते कहना चाहता हूं कि जरा जरा सी बात पर पत्थर लेने और मकान बनाने पर चलान हो जाता है। इसलिए जहां पहले से ही सरकार का कानून लागू हो वहां पर आप क्या कानून अब लागू करेंगे? अगर आप वह कानून उन खेतों पर और उन किसानों पर लागू करना चाहते हैं जो साल भरमें मुश्किल से तीन मास के लिए भी पैदा नहीं कर पाते हैं तो मैं इस सरकार के लिए नमस्कार करता हूं, हजार बार प्रणाम करता हूं, दंडवत प्रणाम करता हूं और साष्टांग प्रणाम करता हूं उस बुद्धि के लिए जो समझते हैं कि यह कानून उस जमीन पर लागू किया जाय जहां साल में ३ मास का खाना भी पैदा नहीं हो पाता। मैंने जो वहां की मौजूदा हालत है बता दी और माननीय मंत्री महोदय इस बात को क्लियर करेंगे कि अगर खेत के बीच में चीड़ का पेड़ है और उस पर सरकार का अधिकार है तो अगर कोई उसकी लकड़ी काटता है या पत्ती भी तोड़ता है तो उसका कनविक्शन और चालान होता है, जुरमाना होता है और दो दो बार उसके लिए उस को जेल होती है। मेरे भाई जो बोलने के लिए बड़े उत्सुक खड़े हैं मैं चाहता हूं कि वह जरा आंखे खोल कर देखे और किसी के बहकाये में आकर न जोश में आवें, दस रुपया जो आप रोज लेते हैं उसको लेने के बाद आप जरा दिमाग इस्तेमाल कीजियेगा और वह दस रुपया दिमाग इस्तेमाल करने का ही दिया जाता है ....

श्री शिवनारायण—उपाध्यक्ष महोदय, प्वाइंट आफ आर्डर, क्या कोई माननीय सदस्य बिना किसी मेम्बर के बोले हुए ही "बहकाये हुये" शब्द किसी के लिए कह सकता है, क्या यह पार्लियामेंटरी है।

श्री उपाध्यक्ष—यह कोई प्वाइंट आफ आर्डर नहीं है।

श्री चन्द्रसिंह रावत—उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि हम ६ करोड़ जनता के प्रतिनिधि यहां बैठे हुये हैं। हमारे रोजाना के कारनामों से राष्ट्र के बनने और बिगड़ने की बात झलकती है। अगर हमारे कारनामों से राष्ट्र का विकास होता है तो हमारे कार्य ठीक हैं नहीं तो अगर हमारे कारनामों से राष्ट्र का अहित होता है तो हमारा राष्ट्र सदियों पीछे हटता है। इसलिये मैं निहायत अदब से दरख्वास्त करता हूं कि हम जो कुछ करें समझबूझ कर करें। मैं जितने माननीय सदस्य यहां पर हैं उनका सम्मान करता हूं। मैंने कई बार माननीय सदस्यों से अपील की है और आज भी कहता हूं कि हमें बुद्धिजीवी लोगों की तरह से, जनता के प्रतिनिधि की हैसियत से सब मसले को सरकार की दृष्टिकोण से भी और जनता के दृष्टिकोण से सामंजस्य बना कर अपनी कोई राय दिमाग में बनानी चाहिये, न कि किसी व्यक्ति से प्रेजुडिस्ड होकर कानून की धाराओं को न देखें, मुल्क की परिस्थिति को न देखें और अपने दिमाग को सनकी बना लें कि यह बात गलत है हम नहीं मान सकते। अगर आपके पास कोई तर्क हैं, कोई वाकयात हैं तो बताइये कि कौन सी वह जमीन है जिस पर आप इसको लागू करना चाहते हैं? तीन महीने की गुजरवाली जमीन से अलावा और कौन सी वह जमीन है? मैंने कह दिया कि एक इंच से ज्यादा नाम की जमीन के अलावा और कोई मालिक नहीं है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि वहां जब कानून पहले से मौजूद है तो किस व्यवस्था को करने के लिये आप यह कानून ला रहे हैं, जब कि एक कानून पहले से वहां मौजूद है और जो केवल उसी व्यवस्था को नहीं करता जिसके लिये यह कानून बनाया जा रहा है बल्कि उस व्यवस्था को करता है जिसके मातहत हमारे लोगों की जेबें काट-काट कर परेशान कर रहा है। जब ऐसे ऐक्ट, इंडियन फारेस्ट ऐक्ट की दफायें हमारे पहाड़ों में लागू हैं तब यह कानून कैसा है जो अब आप बनाने जा रहे हैं? आपका यह कानून कानून की अदालत में बिल्कुल रिडडेंट है, क्योंकि जब पहाड़ों पर एक इंच भी प्राइवेट फारेस्ट की जमीन नहीं है तो आप कहां पर इसको लागू कर रहे ह? यह ऐक्ट पहाड़ों के मामले में बिल्कुल इम्पोटेंट होगा, क्योंकि इसकी कोई ऐप्लिकेबिलिटी नहीं होगी। उपाध्यक्ष महोदय, यह सोचने की बात है। नाप की जमीन और सरकारी जमीन को छोड़ कर और तीसरी जमीन कौन से करेक्टर की है जिसके लिये लागू आप करना चाहते हैं। अगर आप बता सकें तो हम कहेंगे कि ठीक है लेकिन मैं तो यह कहता हूं कि वहां तो कोई बड़ा जंगल नहीं है, वहां तो हमारी बस्तियों को उजाड़ दिया जा रहा है। पहले रोज मैंने बताया था कि हमारी बहुत सी बस्तियों को जिनकी जमीनें तीन-तीन और छः-छः पुश्तों की जमीनें लेकर आपके फारेस्ट डिपार्टमेंट ने अपने पिलर एरेक्ट करके जंगल बना दिये हैं। उसका एक ज्वलन्त उदाहरण है कि एक डूले (१) का जिक्र किया है। उसके पास छः छः पुश्तें पहले की जमीन पी० डब्लू० डी० के रोड के अगल-बगल, ऊपर-नीचे थी जिसमें गेहूं बोया हुआ था। ६ पुश्तों की पुरानी कल्टीवेशन जिस लैंड पर थी जिसमें गेहूं बोया हुआ था उसके मालिकों को बन्द करके उस जमीन से उनको खदेड़ दिया और जमीन से उनको महरूम कर दिया जब कि वह जमीन चारों तरफ कल्टीवेबिल लैंड से घिरी हुई है। मैं नहीं समझता जब कोई ऐसी जमीन हो जो चारों ओर कल्टीवेबिल लैंड से घिरी हो तो आपका फारेस्ट डिपार्टमेंट उसको जबरदस्ती घेरता है चाहे वहां जाने के लिये रास्ता भी न हो। अगर मैं झूठ बोलता हूं तो मैं कोई ट्रायल स्टैंड करने के लिये तैयार हूं। अगर कोई कहे कि यह बात गलत है तो मैं इस सदन में उसकी सच्चाई का नक्शा पेश कर दूंगा। सच्चाई का नक्शा काला हो या सफेद हो वह सब मैं बतला दूंगा। इसलिये मैं बड़े अदब के साथ दरख्वास्त करता हूं कि मैं जिला गढ़वाल पौड़ी सेंटर से आता हूं और कोई दिन नहीं जाता जब कि ६०, ८० और १०० मर्दों का रोज चालान नहीं होता। २०, २० और ३०, ३० रुपये एक एक औरत पर जुर्माना होता है महज लकड़ी काटने और पत्ती तोड़ने के लिये। (एक आवाज—आज कल भी?) आज कल

[श्री चन्द्रसिंह रावत]

भी होता है। एक हैं मिस्टर सक्सेना फारेस्ट डिपार्टमेंट के उन्होंने एक एक औरत पर २०,२० और ३०, ३० रुपये जुर्माने किये हैं। मैं यह पूछना चाहता हूं कि कब तक आपकी ये ज्यादतियां सहन की जायंगी ? उन लोगों को आजादी कब मिलेगी यह सरकार को बतलाना पड़ेगा ? मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री इस पर स्टेटमेंट दें क्योंकि वे जुर्माने रेकार्डेड हैं। खजाने में जमा हैं।

श्री उपाध्यक्ष ---माननीय सदस्य संशोधन पर ही बोलें।

श्री चन्द्रसिंह रावत--- मैं संशोधन पर ही बोल रहा हूं। मैं स्वागत करता हूं अपने मित्र द्वारका प्रसाद जी की भावना का जिन्होंने देख कर और उन लोगों के दुःख से दुखित होकर इस परिस्थिति को एप्रिशियेट किया है। मैंने जो कुछ इस सदन में अब तक कहा है और अगर वह असत्य है तो माननीय मंत्री जी इस सदन में अपना स्टेटमेंट दें आया इस प्रकार की जमीनें हमारे पहाड़ों के इलाकों के अन्दर हैं या नहीं, जिन जमीनों पर प्राइवेट फारेस्ट इस प्रकार से हों जिनको रेक्लेसली खत्म किया जा रहा हो और जिनकी रक्षा के लिये इस बिल को इस सदन में पेश किया गया है। अगर ऐसा है तो यह लागू किया जाय वर्ना मैं निहायत अदब के साथ अर्ज करूंगा कि सरकार ईमानदारी के साथ इस अमेंडमेंट को जिसे मैठाणी जी ने पेश किया है मंजूर फरमाये और उसी में हमारी जनता का और सरकार का हित है।

श्री ब्रजबिहारी मिश्र---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी जो भाषण मैंने सुने हैं माननीय सदस्यों के, उनमें मैंने यह देखा है कि पहाड़ के जितने सम्मानित सदस्य हैं सभी ने इस संशोधन के पक्ष में भाषण किये हैं। माननीय उपाध्याय जी और रावत जी के जो भाषण मैंने सुने उनसे तो मैं बहुत प्रभावित हुआ, मुझे तो वह दोहा याद आता है कि जिसमें यह कहा गया है, "वह क्या जानें पीर पराई, जिनके पैर न फटी बेवाई।" जिनके पैर में बेवाई न फटी हो वह दूसरे की पीड़ा को नहीं समझ सकता है। मैं समझता हूं कि जो पहाड़ के रहने वाले हैं जो उसके भुक्तभोगी हैं वे उसको जानते हैं। इस संशोधन के उपस्थित करने का कारण और उनकी दलील यह है कि पहाड़ की जनता गरीब है। जो भी थोड़े बहुत पेड़ वहां लगे हुए हैं अगर इस विधेयक को वहां लागू कर दिया जायगा तो इसका नतीजा यह होगा कि वहां की गरीब जनता और दुखी होगी। मैंने भी कुछ थोड़ी बहुत पर्वत की यात्रा की है। मैं इससे सहमत हूं कि वहां गरीबी है। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि लोग लकड़ी काट करके ले आते हैं दूर दूर से और पत्तियां भी अपने पशुओं के लिए काट कर दूर से ले आते हैं। अगर यह विधेयक जैसा उपस्थित किया गया है वहां लागू कर दिया जाता है तो इस के मानी यह होंगे कि वे लोग भी मजबूर हो जायंगे कि उनका प्रयोग न करें। लकड़ी न काट सकें, न पत्ती ले आ सकें। उन पर मुकदमा भी चल सकता है और उन्हें दण्ड दिया जा सकता है। मैं समझता हूं कि जब यह सम्भावना है तो ऐसी सूरत में अच्छा यही होगा कि यह संशोधन स्वीकार कर लिया जाय। माननीय मंत्री महोदय को तो स्वयं उसका अनुभव होगा क्योंकि वह उसी क्षेत्र से आते हैं। कोई जिद की बात यह नहीं है। मेरा यह विश्वास है कि ऐसा प्रश्न भी शायद मंत्री महोदय के सामने नहीं आया होगा कि इसको स्वीकार न किया जाय और अभी तक उन्होंने कोई जवाब भी नहीं दिया है। मैं भी इन शब्दों के साथ इस संशोधन का समर्थन करता हूं और आशा करूंगा कि माननीय मंत्री महोदय इसको स्वीकार करेंगे।

श्री शिवनारायण---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपकी इजाजत से मैं इस सदन में दो चार शब्द निवेदन करना चाहता हूं।

रूल इज रूल, ऐंड आर्डर इज आर्डर। कानून जो देश में बनेगा वह एकसां बनेगा यह नहीं कि कुमायूं के लिए दूसरा कानून और बस्ती के लिए दूसरा कानून। जो यह कानून बन रहा है सारे प्रान्त में लागू होगा। लेकिन जहां गवर्नमेंट को लागू करना होगा वहां के लिये पहले वह नोटिफिकेशन करेगी। दूसरी बात, उद्देश्य में यह दिया हुआ है कि अबालिशन के बाद जमींदारी जहां-जहां समाप्त हो गयी वहां लागू कर रहे हैं, अथवा जहां लागू करना होगा वहां के लिए नोटिफिकेशन जारी करेंगे। माननीय मित्रों ने कहा कि सरकार इसे पोस्टपोन कर दे। जब वहां जमींदारी अबालिशन कर ले तब फिर नोटिफाई करे। लेकिन मैं कहता हूं कि जब एक कानून हम बना रहे हैं, पैसा खर्च कर रहे हैं, इतना बड़ा सदन इस पर बैठ कर विचार कर रहा है....

श्री गंगाधर मैठाणी—उपाध्यक्ष महोदय, आप विरोध कर रहे हैं या समर्थन ?

श्री शिवनारायण—आप समझने की कोशिश कीजिये। मान्यवर, उधर से माननीय उपाध्याय जी ने कहा कि माननीय नेगी जी को सरकार की हवा लग गयी। मैं कहता हूं कि उनको अपोजीशन की हवा लग गयी।

दिये लोभ चश्मा चखनि, लघु पुनि बड़ो लखाय।

अपोजीशन का चश्मा उन पर चढ़ा हुआ है। गालियां जरूर देंगे गवर्नमेंट को। और सोचने की, समझने की बात नहीं करेंगे। तो मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि कुमायूं इस स्टेट का एक हिस्सा है। कुमायूं कोई अलग स्टेट नहीं है। कुमायूं के लिए भी कानून बन रहा है, प्लेन्स के लिए बन रहा है, सारे प्रान्त के लिए बन रहा है। जो मुसीबत आपके सर पर है वही हमारे सर पर है। लेकिन पहाड़ वाले को बड़ा कष्ट है मैं इससे सहमत हूं, उनको दुःख है। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वहां के सरकारी अफसरों की जो शिकायत की गयी गवर्नमेंट को स्ट्रांग स्टेप लेना चाहिये उनके खिलाफ। मैं बिल्कुल सहमत हूं इसमें कि सख्त कदम उठाया जाय, उनको मुअत्तल किया जाय, उनको बरख्वास्त किया जाय। कब मैं कहता हूं कि उनको सजा न दी जाय, आप नोटिस में लायें। मेरे मित्र चन्द्रसिंह रावत ने कहा सन् ३० में हमने सत्याग्रह किया लेकिन मैं उनसे कहता हूं कि आज उन्होंने सत्याग्रह क्यों नहीं किया ? क्यों नहीं आज जाकर सत्याग्रह करते हैं ? आज रावत साहब सत्याग्रह करें तो मैं जानूं। लेकिन नहीं, कहने के लिए कहते हैं कुछ और करते हैं कुछ और। बराबर ढंग से सब के लिए एक समान रूप में यह कानून बन रहा है इसमें किसी को विरोध नहीं करना चाहिए। मैं पहाड़ के भाइयों से यह बतलाना चाहता हूं कि इस प्रदेश को सर्वेसर्वा और मालिक अगर कोई रहा है तो वह पहाड़ ही रहा है। पंडित गोविन्द वल्लभ पन्त के नेतृत्व में यह प्रदेश अब तक चला है। तो मान्यवर, मैं आज भी यह कहना चाहता हूं कि पहाड़ वालों के नेतृत्व में ही यह रहा है और कोई सौतेला व्यवहार किसी के साथ नहीं हो रहा है। सब के साथ एक सा व्यवहार चल रहा है। हम लोग भी पहाड़ के पड़ोस में रहते हैं। नैपाल हमारे पड़ोस में है। मान्यवर, कानून कानून है, खेल नहीं है, गुड़ियों का खेल नहीं है कि यहां के लिए यह बने और वहां के लिए दूसरा बने।

श्री मदन मोहन उपाध्याय—जमींदारी एबालीशन सारे यू० पी० का क्यों नहीं हुआ ?

श्री शिवनारायण—बाकी का भी बन रहा है और आपके सामने आने ही वाला है। वह तो बाई ऐंड बाई हो रहा है। मैंने कल परसों भी कहा और आज भी कहना चाहता हूं कि यह सरकार हमारी जो है वह उतावली नहीं है। खरगोश की चाल वह नहीं चल रही है बल्कि रफ्ता रफ्ता कछुए की चाल चल रही है। बाई

[श्री शिवनारायण]

बाई ऐन्ड बाई शान्ति के साथ हम हर चीज को करना चाहते हैं। एक ही दिन अगर जमींदारी अबालिशन कर दिया गया होता तो इस प्रदेश में खून की नदियां बह गई होतीं। आपको मालूम होना चाहिए कि जमींदारी एबालिशन कानून हमने सन् ४६ में पेश किया था और ५२ में उसको पास किया, आठ साल बाद जब सारे देश में सब ने यह कहा कि जमींदारी टूटनी चाहिए, पंडित जवाहर लाल नेहरू ने कहा, पंडित पन्त ने कहा, और भी सब लोगों ने कहा, जमींदारों ने भी कहा कि बंट जाय तो अच्छा है.....

श्री चन्द्रसिंह रावत— आन ए प्वाइंट आफ आर्डर, वक्ता महोदय इस पर बोल रहे हैं या किस पर बोल रहे हैं? बोल किस पर रहे हैं?

श्री शिवनारायण—जिस पर आप बोले थे उसी पर मैं बोल रहा हूं। कोई विशेष अन्तर नहीं है। यथा इन्ने तथा उन्ने। तो मैं उसी पर बोल रहा हूं। यह बन विभाग का जो बिल है जो आपके सामने है इसमें साफ दिया हुआ है कि जहां पर हमने जमींदारी एबालिशन किया है वहीं हम इसको करने जा रहे हैं। केवल उन्हीं जंगलों की रक्षा के लिए यह प्रबन्ध किया जा रहा है। उपाध्याय जी ने कहा कि अगर हम पहाड़ी पेड़ न लगायें और जंगलों को कटने दें तो पहाड़ टूट पड़ेगा और ये मैदान के गांव बह जायंगे। हम उनका वेलकम करते हैं और उनकी इस विचारधारा की इज्जत करते हैं। जहां तक पत्तियों की बात है या घास की बात है, यह सरकार उनको विश्वास दिलाती है कि उसका उपयोग करने से उनको नहीं रोका जायगा। मैं कहता हूं, मेरा आज का भाषण रेकर्ड रहेगा प्रोसीडिंग में, कि यह सरकार कभी पीछे हटने वाली नहीं है। पत्तियां खिलाने में या घास खिलाने में कोई रोक नहीं रहेगी। घास तो फारेस्ट है नहीं। मेरे मित्र ने कहा कि घास लोग वहां से ले आते हैं तो मैं यह बता देना चाहता हूं कि घास पर कोई प्रतिबन्ध नहीं रहेगा। रावत जी लीगल आदमी हैं, मैं उनसे क्या बताऊं? अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि कानून बन रहा है सारे प्रान्त के लिए लेकिन वह एक संकुचित दायरे में बात कर रहे थे, इसका मुझे दुःख है। ब्राड माइंडेड होकर के बात सोचनी चाहिए क्योंकि वह सारे सूबे के जिम्मेदार हैं। केवल कुमायूं के ही जिम्मेदार नहीं हैं। मैं अपने को कुमायूं का भी जिम्मेदार समझता हूं और बस्ती का भी जिम्मेदार समझता हूं। इसलिये आज मैं कहना चाहता हूं कि जो कुछ यहां बन रहा है वह बिल्कुल ठीक बन रहा है और मैं अपने मित्र माननीय मैठाणी जी से कहूंगा कि वह यह न समझें कि हम उसके विरोधी हैं। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जहां जंगल कटे हैं वहीं यह लागू किया जा रहा है। यह सरकार कोई डंडे वाली सरकार नहीं है। अंग्रेजी हुकूमत नहीं है कि आपको जबर्दस्ती डंडे मार कर के हैरेस किया जाय। सरकार चाहती है कि रक्षण हो वहां का आपत्तिकाल से, हम बचें बाढ़ से, तबाही से। जब जंगल होगा तभी पानी बरसेगा और मोतदिल आबोहवा देश की रहेगी। उपाध्याय जी ने जो कहा कि पहाड़ टूट पड़ेगा तो मैं उनकी राय की इज्जत करता हूं। उन्होंने सही बात बताई, उन्होंने कानून का विरोध करते हुए अपनी राय हाउस में दी है।

रावत जी ने एक बात कही जिसको सुनकर हैरत हुई कि एक इंच जमीन भी किसी के कब्जे में नहीं है, सब सरकार ने ले ली। तो फिर भाई क्यों परेशान हैं? जब सरकार खुद मालिक है तो आपको क्या परवाह है? विष्ट जी और नेगी जी के लिए उपाध्याय जी ने कहा कि वही लोग जमींदार हैं। तो एक तो डिप्टी मिनिस्टर हैं, पर मैं यह नहीं समझा कि उपाध्याय जी किस "दार" में हैं। सीरदार में हैं, भूमिधर में हैं, भोगदार हैं? जब दो ही जमींदार पहाड़ पर हैं तो फिर यह तो कानून

मुनासिब है, गवर्नमेंट अपनी चीज पर कानून बना रही है। आपके पास कोई जमीन नहीं है, रावत जी के पास भी नहीं है तो उनको तो खुश होना चाहिये कि गवर्नमेंट ने सब का प्रोटेक्शन कर लिया, सारे पहाड़ और जंगल का रक्षण कर लिया ताकि आप मिस्यूज न कर सकें, नाजायज काम न कर सकें।

मैं अन्त में मैठाणी जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वह अपने संशोधन को वापस ले लें और मैं उसका विरोध करता हूं।

श्री व्रज भूषण मिश्र (जिला मिर्जापुर)— मैं प्रस्ताव करता हूं कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय।

कुछ सदस्य—अभी काफी लोगों को बोलना है।

श्री उपाध्यक्ष—मैं समझता हूं कि काफी बहस हो चुकी है।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—मेरी प्रार्थना है कि कुछ और मौका दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—अब काफी बहस हो चुकी है। प्रश्न यह है कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठा कर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार स्वीकृत हुआ: —

पक्ष में ७८,

विपक्ष में १३।)

श्री गंगाधर मैठाणी—उपाध्यक्ष महोदय, अगर मंत्री महोदय कुछ कह दें तो अच्छा हो।

श्री उपाध्यक्ष—वह पहले बोलना चाहते तो मैं उन्हें मौका देता। अब तो अन्तिम भाषण होगा उनका।

श्री गंगाधर मैठाणी—उपाध्यक्ष महोदय, जब यह संशोधन मैंने इस सदन में रखा तो मुझे कुछ हिचकिचाहट भी मालूम हुई और दिल में कुछ यह भावना भी आयी कि यह संशोधन ऐसा है कि हम यह चाहते हैं कि जो कानून इस सदन में पास हो रहा है उससे पहाड़ के जिलों को अलग कर दिया जाय। मैं पहाड़ का रहने वाला हूं और प्रायः पहाड़ के लोगों ने ही इस संबंध में अपनी भावनाओं को व्यक्त किया है कि यह वहां लागू नहीं होना चाहिये। जब अपनी बात कोई आदमी कहता है तो उसे थोड़ा सा संकोच अवश्य होता है। लेकिन हम वहां की जनता के प्रतिनिधि हैं और शायद वहां की परिस्थितियों को हम अधिक समझते हैं, इस भावना से प्रेरित हो कर हमने यह संशोधन रखा है। इसके साथ-साथ माननीय मिश्रजी ने और माननीय द्वारका प्रसाद मौर्यजी ने, जो मैं जानता हूं कि पहाड़ों पर गये हैं और उन देहातों में भी उन्हें जाने का मौका मिला है, हमारी भावना को समझा है कि पहाड़ों की वास्तविक स्थिति क्या है।

यह कानून पहाड़ों पर क्यों नहीं लागू होना चाहिये इस पर जितने प्वाइन्ट्स हो सकते थे वह तमाम सदस्यों ने, इधर के भी और उधर के भी, इस सदन में कह ही दिये हैं, इसलिये उस बारे में मुझे अब कुछ नहीं कहना है। हां, माननीय शिवनारायण जी और माननीय रामहेत सिंह जी ने हमारा विरोध करते हुये कहा कि इस प्रदेश के लिये एक ही यूनिफाइड लेजिस्लेशन होना चाहिये और प्रत्येक भाग में एक ही कानून लागू होना चाहिये। मैं इस भावना की कद्र करता हूं। लेकिन यह हमारा दुर्भाग्य है या सौभाग्य है कि हम पहाड़ के रहने वाले हैं और हमारे फिजिकल फीचर्स, वहां के लोकल कस्टम्स, वहां के जंगलों की बनावट, आदि कुछ भिन्न जरूर है इसका हमें ध्यान रखना चाहिये। इसीलिये जमींदारी उन्मूलन कानून जो यहां लागू हो चुका है वहां अभी तक नहीं लागू किया गया। तो वहां की जाग्रफी के मुताबिक यह देखना अवश्य होता है कि

[श्री गंगाधर मैठाणी]

वहां के लोगों की भिन्न परिस्थिति है, वहां यह कानून नहीं लागू होना चाहिये। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं कि जैसे कि मंत्री महोदय ने कहा कि गजट नोटिफिकेशन में ३१ जिले सिर्फ लिये गये और पहाड़ी जिले छोड़ दिये गये हैं, मैं उनको इस बात के लिये धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने पहाड़ के जिलों को छोड़ दिया। लेकिन इसके लिये कोई बाईंडिंग नहीं है कि पहाड़ी जिलों को छोड़ दिया जायगा क्योंकि हमारा दुर्भाग्य है या सौभाग्य है कि हमारे मंत्री जी वहां की परिस्थिति को समझते हैं, इसीलिये जब नोटिफिकेशन जारी हुआ तो पहाड़ी जिलों को छोड़ दिया गया। लेकिन अगर यह अख्तियार सरकार के हाथ में रहेगा तो आगे चलकर यह हो सकता है कि जब कभी कोई अधिकारी यह रिकमेंड कर देगा कि वहां के लिये भी इसे लागू कर दिया जाय तो लागू कर दिया जायगा।

अब एक प्वाइन्ट यह है जैसा कि माननीय रावत जी ने कहा है कि वहां की जो भूमि है वह गवर्नमेंट लैन्ड माना जाता है और अंदाजन कुल टेहरी गढ़वाल का टोटल ४,५०० वर्ग मील है जिसमें कल्टीवेटेड एरिया केवल २६८ वर्ग मील है और बाकी सब का सब जंगल है। इसी के मुताबिक हम देखते हैं कि गढ़वाल का एरिया करीब साढ़े पांच हजार वर्ग मील है जिसमें से कुल १,२०० वर्गमील कल्टीवेटेड एरिया है। इसी प्रकार से ४,३०० वर्गमील में जंगल ही जंगल हैं। इसी प्रकार से नैनीताल में भी काफी एरिया में जंगल हैं और अल्मोड़ा में भी काफी जंगल हैं और यह जंगल अलग-अलग किस्म के हैं। रिजर्व फारेस्ट हैं और भी कई प्रकार के जंगलात हैं वहां पर लोगों को हक है। जैसे गांव के ५ मील के एरिया में जंगल हैं वहां पर लोगों को मुफ्त मवेशी चराने का हक है। इसलिये अगर यह वहां लागू कर दिया जायगा तो गांव वालों को अपने मवेशी चराने का दुख हो जायगा।

मैं एक भावना सदन के सम्मुख रखना चाहता हूं और माननीय मंत्री जी को तो भलीभांति मालूम ही होगा कि वहां पर जंगलों का डेवलेपमेंट करने में इस जमाने में सरकार ने इतना कार्य नहीं किया है जितना कि ग्राम सभाओं ने तथा वहां के रहने वालों ने किया है, क्योंकि वह लोग समझते हैं कि जंगलों के द्वारा ही हमारा लाभ होगा, हमारे देश का लाभ होगा। हमारे जो फारेस्ट्स हैं, उनके आंकड़े तो मेरे पास नहीं हैं लेकिन उन्होंने फलों के वृक्ष लगाये हैं। वह चाहते हैं कि वहां की उत्पत्ति बढ़े, देश की उत्पत्ति बढ़े जिससे हमारे देश की शक्ति बढ़े। इसके अलावा जो बाई प्रोडक्ट्स हैं उस पर उनका अधिकार है और भविष्य में भी अधिकार रहना चाहिये।

वहां की जो आबाद भूमि है उसमें से बहुत थोड़ा सा कल्टीवेटेड एरिया है जहां लोग खेती कर सकते हैं, बाकी उनका निर्वाह जंगलों से भी होता है। लोगों के पास गाय, भैंस वगैरा काफी है उन सबका जंगलों से ही निर्वाह होता है। जैसा कि माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि यह पहाड़ी इलाकों में लागू नहीं होगा तो फिर इस अमेंडमेंट को मान लेने में क्या आपत्ति हो सकती है और उनको कोई विरोध नहीं होना चाहिये। लेकिन ऐसे अख्तियारात को लेकर आप चाहते हैं कि जब चाहेंगे तो आप इसको वहां पर लागू कर देंगे। वहां के लोग जो खुद दुखी हैं, गरीब हैं और मैं जानता हूं कि माननीय मंत्री महोदय भी जानते होंगे वहां के लोगों की हालत को। इस बिल के वहां लागू होने से यह होगा कि लोग कहीं जायेंगे तो जंगल में होकर जायेंगे, गंगा स्नान को जायेंगे तो जंगलों में होकर जायेंगे और जैसा कि रावत जी ने कहा है कि लोग गाय, बकरी, और भैंस वगैरा जानवरों को लेकर जायेंगे और उनको तरह तरह की परेशानियां होंगी। इस भावना से मैं कहता हूं कि आप इस गद्दी पर आसीन हैं तो वहां के लोगों की भावना को देखें और सदन के सभी सदस्यों ने इसका समर्थन किया है और यही बात समिति में कही गई है, इसलिये वह इसको मान लें।

मैं मंत्री महोदय से तथा सदन के माननीय सदस्यों से अपील करूंगा कि उत्तर प्रदेश में यूनीफाइड लेजिस्लेशन अवश्य होना चाहिये, क्योंकि प्रत्येक नागरिक के अधिकार बराबर हैं। लेकिन यह हमारा दुर्भाग्य या सौभाग्य है कि हमारे यहां की परिस्थिति भिन्न है, इसको हम बराबर

कहते हैं और इसको कहने में हमें हिचक नहीं होती है। वहां की परिस्थिति को देखते हुये अगर सचमुच यह कानून वहां लागू हो गया तो वहां के लोगों को बड़ा कष्ट होगा। इसका दृष्टांत मैं एक-एक, दो-दो घटना देकर वर्णन नहीं करना चाहता हूं लेकिन इससे सदन को मालूम हो गया होगा कि वहां की हालत क्या है। अगर माननीय मंत्री जी हां कह दें तो सब ठीक हो जायगा। शायद वह यह विचारतेहोंगे कि मैं पहाड़ का हूं इसलिये इस बात को मान लेना एक प्रकार का पक्षपात होगा। हम तो इस बात को जनता की यह भावना है यह समझ कर भवन के सामने रखते हैं। वैसे मौर्य जी का जो संशोधन है उसमें और मेरे संशोधन में कोई ज्यादा फर्क नहीं है क्योंकि मैंने "इट" का इस्तेमाल किया है और उन्होंने इसको और बढ़ा दिया है। यह चाहे मौर्य जी के संशोधन के रूप में रखा जाय या मेरे संशोधन के रूप में, दोनों एक ही चीज है, लेकिन मेरा कहना यह है कि इस संशोधन को मान लेना चाहिये और पहाड़ों पर जहां ऐसी परिस्थिति है आप इस कानून को जबरदस्ती लागू न कर दें। इतना कहते हुये मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि और इस सदन के सभी सदस्यों से भी अनुरोध करूंगा कि वहां के लोगों की भावना को देखते हुये, भले ही मेरे संशोधन को न मानें मौर्य जी के संशोधन को ही मानलें और इसके लिये वहां की जनता आपका बड़ा आभार मानेगी।

श्री जगमोहन सिंह नेगी—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने आपके भाषण को भी और अन्य सभी माननीय सदस्यों के भाषणों को बड़े ध्यानपूर्वक सुना और मैं यह कह देना अपना कर्त्तव्य समझता हूं कि यदि किसी इलाके के किसानों के लिये या कुमायूं के किसान भाइयों के लिये उनके किसी कष्ट के लिये आपके हृदय में भावना उठती है दुख की तो वही भावनायें स्वभावतः मेरे हृदय में भी उठती हैं और मैं यहां पर जो कोई बात कहता हूं वह इसलिये नहीं कि मेरा गवर्नमेंट में होने से कोई खास सख्त दृष्टिकोण होता है। ऐसी बात नहीं है। मैं मानता हूं कि आपका यह कहना ठीक है कि अगर मैं यहां पर न होता तो आपके विचारों की पुष्टि करता। मैं अब भी कहता हूं कि जिन विचारों को आप कहते हैं उन विचारों की मैं पुष्टि करता हूं, मगर फर्क इतना ही है कि मुझे सारी बातें मालूम हो रही हैं कि इससे उन पर कोई असर पड़ेगा या नहीं और आपको सिवाय एक्ट की बातों के, केवल अपने ही दृष्टिकोण से अर्थ लगाने के और कुछ नहीं मालूम पड़ता है और आप उन्हीं पर अपनी भावनायें बना कर अपने विचार यहां रख रहे हैं। निस्संदेह मैं आपके भावों पर कोई आक्षेप नहीं करता। आप बड़ी ईमानदारी से इस चीज को रख रहे हैं, लेकिन एक बात जरूर है कि बावजूद हजारों बार कहने के भी आप किस माननीय सदस्य ने इस पर फिर से पुनर्विचार नहीं किया कि इस विधेयक का संबंध लीज पट्टे वालों से है न कि स्वामियों से, जैसे कि कुमायूं के छोटे २ हिस्सेदार हैं और तर्क में एक बात रखने के बाद फिर अपने तर्क को स्वयं हर एक काटता जाता है जिससे साफ हो जाता है विधेयक को समझने में कुछ गलतफहमी की जा रही है। अब मैं आप से बता दूं कि इसमें पट्टे वालों से संबंध है, ओनर्स से यहां कोई संबंध है ही नहीं। पहाड़ों पर की बात अगर ली जाय तो उनके ओनर्स से कोई संबंध नहीं है। दूसरे भविष्य की बात है। मैं इस बात को आज कहता हूं और आप इसे नोट कर लीजिये कि नोटिफिकेशन करना गवर्नमेंट के हाथ में है और गवर्नमेंट इज आलवेज वन। मैं रहूं या न रहूं, कोई रहे, बात जो ठीक होगी उसी को सदैव माना जायगा। तो मैं बता दूं कि जहांतक मौजूदा तरीके के रूल्स कायम हैं उनको देखते हुये कुमायूं में फारेस्ट पंचायत रूल्स कायम हैं, तो वहां कभी भी किसी हालत में इसका नोटीफिकेशन नहीं होगा। यह इसलिये नहीं होगा कि वहां रूल्स आलरेडी हैं। इस सब का मतलब रूल्स के अन्दर उनकी मनाही करने के बाद अन्त में यह है कि लोगों को अनुचित कार्यवाही से यूं रोका जा रहा है कि उन्हें एक खास योजना के अन्तर्गत उन्हीं चीजों को करना है। ऐसी नीयत से उसको रोका जा रहा है। आगे अगर आप इसको पढ़ें तो उसमें लिखा हुआ है कि उसका प्रबन्ध जैसे होगा वह नोटीफिकेशन के द्वारा साफ हो जायगा कि 'इन दि मैनर स्पेसिफाइड' के अन्तर्गत रूल्स बनेंगे जिनके द्वारा उनके प्रबन्ध करने का आदेश होगा। चूंकि कुमायूं में आलरेडी रूल्स हैं इसलिये वहां पर यह लागू नहीं होगा। वहां पर इसके लागू होने का प्रश्न नहीं उठता। हां, एक बात का जरूर

[श्री गंगाधर मैठाणी]

संदेह है कि कभी अगर लागू होगा तो जमींदारी अबालीशन के बाद शायद इसकी अवश्यकता पड़ेगी। और वह किसी गांव सभा पर नहीं, गांव समाज पर नहीं बल्कि जो बड़ी-बड़ी स्टेट्स अंग्रेजों के जमाने में लोगों को दे दी गयी थीं उनके क्लेमेंट पर इसका असर पड़ेगा जिनके पास लाखों एकड़ जंगलवाली जमीन है। जैसे कि पौड़ी में एक जमींदार है उसके ऊपर इसका असर पड़ने वाला हो सकता है। क्योंकि वह जमींदारी अबालीशन के बाद गांव समाज की मिलकियत हो जायगी। उसको प्रोटेक्ट करने की जरूरत होगी तो तब यह अप्लाई हो सकता है। तब तक इसकी आवश्यकता नहीं होगी। तो जैसा कि मैंने बतलाया कि भविष्य में कुमायूं पर अगर यह अप्लाई किया गया तो यह जनसाधारण के हित में लागू किया जायगा। मुमकिन है व्यक्तिगत तौर पर मैं भी इसी राय से सहमत होऊं कि इसको कुमायूं में जमींदारी विनाश के बाद भी नहीं लगाना चाहिये और यदि यह लागू हो भी जाय तो मुझे व्यक्तिगत रूप से भी अधिक आपत्ति नहीं होगी क्योंकि जैसा कि उपाध्याय जी ने कहा कि मैं जमींदार हूं। अगर मैं जमींदार भी हूं तो इससे ज्यादा अन्तर नहीं पड़ता है, मान लीजिये कि थोड़ा सा जंगल मेरे पास है तो मुझे व्यक्तिगत तौर पर बहुत थोड़ा लाभ होगा और अगर आम जनता को तथा राष्ट्र को हमारी हानि की अपेक्षा अधिक लाभ होगा तो उससे भी हमें संतोष होगा, क्योंकि अगर जमींदारी अबालीशन कुमायूं में लगे तो फौरन जो बड़े-बड़े जंगल और बाग हैं उनको फौरन काटकर लोग खत्म कर देंगे जो गांव समाज के पास पहुंचने वाले हैं और फिर वह किसी के पास नहीं पहुंचेंगे। उस वक्त हम उसको एक्सेप्ट करने लगें तो वह काफी देर हो जायगी और एक उचित बात होगी। और फिर हम एक पुरानी गलती को रिपीट नहीं करेंगे। पहाड़ों के मामलों में यह चीज व्यक्ति के खिलाफ जायगी मगर आम जनता के हित की यह चीज है इसलिये मैं उसको कहना चाहता हूं।

अब रहा सवाल प्राइवेट फारेस्ट ऐक्ट का। वह आजकल ऐक्ट ऐसा है कि जिसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि एफेक्टिव नहीं हैं। जैसा कि उसमें गर्डलिंग वर्ड नहीं है जिसकी वजह से वह पूरी तरह से नहीं चला। जौनसार बावर में प्राइवेट फारेस्ट ऐक्ट के लागू होने से पहले करीब ६ हजार देवदार के पेड़ काट डाले गये थे और काटने वालों ने आमतौर पर कह दिया कि यह परसनल परपज के लिये काटा है। तो मैं यह कहना चाहता हूं कि इसमें बड़ी भारी दिक्कत है। जहां तक उसके दुख और कष्टों का सवाल है मैं मानता हूं जैसा कि चन्द्रसिंह जी रावत ने कहा कि कहीं-कहीं पर उनके खेत जंगलों से घिरे हुये हैं और वे एक तरह से कैद हैं जिससे उनको बहुत परेशानी होती है। मैं टेहरी की बात कहता हूं कि जो वहां पर पुराने मुनारे थे वे खेत तथा मकानों के कितने नजदीक रखे गये थे। वह खेती की जमीन के पास तक रखे गये थे। इसके बाद हमने नया डिमारकेशन शुरू किया तो हमने अब उनको १५० फीट पीछे हटा दिया है, क्योंकि इससे लोगों को बहुत तकलीफ थी। इससे स्पष्ट है कि हम लोगों के कष्टों को ध्यान में रखते हुये उनका हल निकालते रहते हैं। किसान भी बराबर मुनारों के पास तक खेती बढ़ाते रहते हैं और इस प्रकार की समस्या निरन्तर खड़ी होती रहती है। इन्क्रोचमेंट की आखिर कोई हद तो होनी चाहिये। उसे कहीं तो रुकना चाहिये। आप कहते हैं कि आपके कहने का कोई असर नहीं होता है। जो अच्छी बात होती है उसका असर अवश्य होता है। इस विधेयक को कल ही पास हो जाना चाहिये था मगर यह इतना लम्बा हो गया है, इसलिये मुझे कुछ कम बातें कहनी पड़ रही हैं आपने संशोधन में यह जोड़ा है कि यह तमाम उत्तर प्रदेश में लागू होगा सिवाय उस एरिया के जहां यू०पी० जमींदारी अबालीशन ऐक्ट एप्लाई नहीं होता है। तो यह इस प्रकार अर्बन एरियाज इन यू०पी०, कुछ गवर्नमेंट इस्टेट्स, जौनसार बावर, टेहरी-गढ़वाल, कुमायूं डिवीजन इत्यादि जमींदारी उन्मूलन तथा भूमि-प्रबन्धक ऐक्ट लागू नहीं है वहां पर जहां लागू नहीं होगा। अगर यह संशोधन मान भी लिया जाय तो हम अपने सारे करे-कराये पर रबर फेर देंगे। आप इस पोजीशन में नहीं हैं कि आप इस बात को या इसके असर को ठीक तरह से जज कर सकें। मैं माननीय सदस्यों की भावनाओं का आदर करता हूं लेकिन आपके संशोधन को मानने से सारा ऐक्ट ही इनफैक्टिव हो जाता है। मैंने बतलाया है कि अगर कल को उन स्थानों में भी जमींदारी अबालीशन हो गया तो क्या होगा, ऐसी सूरत में यह कभी भी वहां पर एक्सटैन्ड नहीं हो पायेगा।

चन्द्रसिंह रावत जी तथा अन्य सदस्यों की भावनाओं से तो सहमत हूं परन्तु संशोधन से नहीं, मुझे उम्मीद तो ऐसी है कि शायद इसे कुमायूं में कभी भी लगाने की आवश्यकता न पड़े।

श्री मदनमोहन उपाध्याय--रूल्स की बात आपने कही थी, उनके होते हुये यह क्यों नहीं लागू होगा ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--जैसे रिजर्ड फारेस्ट हैं। वे कुछ नियमों के अन्तर्गत शासित हैं। उनका हम नोटीफीकेशन नहीं करेंगे। अन्डर फारेस्ट पंचायत रूल्स फारेस्ट पंचायत गवर्न होती हैं।

श्री मदनमोहन उपाध्याय--अगर वैसे जंगल हों, जो गांववालों ने बनाये हों ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी--जितनी भी गांव सभायें हैं, हर गांव सिंगिल गांव सभा बन रही है, पंचायत राज ऐक्ट के अन्तर्गत। वे पंचायत राज्य ऐक्ट के अन्तर्गत आते हैं और उनका मैनेजमेंट उसके मुताबिक हो रहा है। इसलिये यह एप्लाई नहीं होगा। मुश्किल तो यह है कि एक धारणा सी बनाकर कुछ लोगों ने यहां कुछ पेश करना चाहा और कहना चाहा। यदि समझ-बूझ कर होता तो उसकी वर्डिंग को माननीय मैठाणी जी इस तरह से नहीं रखते। उन्होंने सारी बात खुद नहीं सोची। मैं ईमानदारी से इस बात को कह रहा हूं कि इससे कोई असर कुमायूं पर एडवर्स पड़ने वाला नहीं है। आप कहते हैं कि हम मान क्यों नहीं जाते हैं। मैं कहता हूं कि जमींदारी एबालीशन कुमायूं में नहीं हुआ मगर जमींदारी एबालीशन ऐक्ट एप्लाइज टू दी होल आफ उत्तर प्रदेश। उसमें शब्द यह हैं कि "It applies to the whole of U. P." मगर वह पहाड़ों में लागू नहीं है जैसे जमींदारी एबालीशन ऐक्ट में यह लिखा होते हुये वह पहाड़ों में लागू नहीं है वैसे ही यह भी हो सकता है कि यह भी वहां लागू न हो। इन शब्दों को सुनने के बाद मुझे आशा है कि माननीय मैठाणी जी मेरी बात को पूर्णतया समझ गये होंगे और अपने संशोधन को वापस लेंगे।

श्री गंगाधर मैठाणी--माननीय उपाध्यक्ष महोदय,मैं माननीय मंत्री जी की भावनाओं की कद्र कल परसों से करता जा रहा हूं आप कहते कि पंचायत राज ऐक्ट के अन्तर्गत जितने फारेस्ट उस गांव में चले जावेंगे लेकिन क्लेमेंट की परिभाषा के नीचे तो लिखा हुआ है कि....

श्री उपाध्यक्ष--मैं माननीय सदस्य को फिर भाषण का अवसर नहीं दूंगा। प्रश्न यह है कि खंड १ के उपखंड (२) के बाद नया उपखंड (३) निम्नरूप में रख दिया जाय:--

"The provisions of sections 38-A to 38-G will extend to the whole of Uttar Pradesh excepting the areas where the U. P. Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950 does not apply."

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड १ विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

शीर्षक व प्रस्तावना

इंडियन फारेस्ट (यू० पी० संशोधन) विधेयक, १९५५

कुछ प्रयोजनों के लिये इंडियन फारेस्ट ऐक्ट, १९२७, जहां तक वह उत्तर प्रदेश पर लागू होता है, को संशोधित करने का

विधेयक

कुछ प्रयोजनों के निमित्त इंडियन फारेस्ट (यू० पी० संशोधन) अध्यादेश, १९५५ प्रचारित किया गया था:

कुछ प्रयोजनों के निमित्त इंडियन फारेस्ट ऐक्ट, १९२७ में संशोधन करने के लिये राज्यपाल महोदय ने इंडियन फारेस्ट (यू० पी० संशोधन)

अध्यादेश १४, १९५५ प्रचारित किया था ; और उक्त अध्यादेश के स्थान पर विधान मंडल द्वारा अधिनियम की व्यवस्था करना आवश्यक है;

अतएव एतद्द्वारा भारतीय गणतंत्र के छठे वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री जगमोहनसिंह नेगी---उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि इंडियन फारेस्ट (यू० पी० संशोधन) विधेयक, १९५५, जैसा कि वह प्रवर समिति द्वारा संशोधित हुआ है, पारित किया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि इंडियन फारेस्ट (यू० पी० संशोधन) विधेयक, १९५५, जैसा कि वह प्रवर समिति तथा इस सदन द्वारा संशोधित हुआ है, पारित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

*उत्तर प्रदेश मुलैसेज कंट्रोल (संशोधन) विधेयक, १९५५

मादककर मंत्री (श्री गिरधारीलाल)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश मुलैसेज कंट्रोल (संशोधन) विधेयक, १९५५ पर विचार किया जाय ।

इस संशोधन विधेयक के सिलसिले में मुझे ज्यादा नहीं कहना है । मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि यह संशोधन हमारा मूल अधिनियम जो सन् १९४७ में पारित हुआ था, उसका संशोधन है । हमारे प्रान्त में काफी तादाद में जो पावर एलकोहल है उसके लिए एक बाई प्रोडक्ट मुलैसेज की आवश्यकता होती है, जिसके प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और कीमत पर कंट्रोल करना बहुत जरूरी था । इस ख्याल से सन् ४७ में वह अधिनियम पास किया गया था। उस वक्त से आज तक हमारा जो तजुर्बा है उससे हमें यह अनुभव हुआ कि कंट्रोल प्राइस के ऊपर मुलैसेज मुहैया करने में अड़चन होती है । साथ ही साथ हमारा जो संविधान पास हुआ है उसकी वजह से भी इस अधिनियम में कुछ असंगति पैदा हो गयी । इन बातों को देखते हुये यह संशोधन विधेयक इस सदन के सामने रखा गया है । इसके जरिये से उम्मीद है कि सारी दिक्कतें हम दूर कर पायेंगे । इसमें जो विशेष बातें हैं उनमें सबसे पहली बात यह है कि शीरे की जो परिभाषा थी उसको सरल और साफ कर दिया है जिससे कि बेकार बातों में न फंस कर हम आगे को काम सुचारु रूप से कर सकें । खंड ३, ४ और ५ में हमने सलाहकार मुलैसेज बोर्ड की व्यवस्था की है । इसमें ३ डिस्टिलरीज के नुमाइंदे होंगे, ३ शुगर फैक्ट्रीज के, और उसका अध्यक्ष एक्साइज कमिश्नर अथवा मुलैसेस कंट्रोलर (शीरा नियंत्रक) होगा ।

सेक्शन ९ में एक्साइज कमिश्नर को उन केसेज को कंपाउन्ड करने का अधिकार दिया गया है जो कि शुगर फैक्टरीज से मुलैसेज उठाते समय हो जाते थे और मुलैसेज के उठाने में दिक्कत होती थी । उसको सुलझाने के लिये एक्साइज कमिश्नर को यह अधिकार दिये जा रहे हैं ।

इन बातों के अलावा जहां तक इसके उद्देश्य और कारण का ताल्लुक है , उसके संबंध में दो-एक बात और कह देना चाहता हूं । डिस्टिलरी की जगह पर एक शब्द आया है "शराब बनाने वाले कारखाने" उससे हमारा मतलब पावर एल्कोहल के कारखानों से है ।

---

*१९ सितम्बर, १९५५ की कार्यवाही में छपा है ।

इसके अतिरिक्त एक और बात है वह यह कि इस विधेयक की छपाई में कुछ त्रुटियां हो गयी हैं उनको ठीक करने लिये मैं सदन की अनुमति चाहूंगा। खंड ३ (३) बी की दूसरी पंक्ति में रिप्रेजेन्टेटिव के स्थान पर शब्द रिप्रेजेन्टेटिव्ज होना चाहिये। खंड ४ की धारा 3—A.(a) की पहली पंक्ति में "गार्डनिंग" के स्थान पर शब्द "ग्रेडिंग" होना चाहिये। तथा दूसरी पंक्ति में "प्राइस" के स्थान पर "प्राइसेज" होना चाहिये। खंड ५ की धारा ५ (२) (एच) की अंतिम पंक्ति में "कंडीशन" के स्थान पर "कंडीशन्स" होना चाहिये।

ये चीज मैंने मोटे तौर पर बतायीं जो कि इस बिल में रक्खी गयी हैं। मैं समझता हूं कि इसमें कोई ज्यादा मतभेद की बात नहीं होनी चाहिये। इसलिये मैं आशा करता हूं कि सदन इसको बहुत जल्द ही पास करने की कृपा करेगा।

*श्री गंदासिंह (जिला देवरिया)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव करना चाहता हूं कि यह विधेयक प्रवर समिति को सुपुर्द कर दिया जाय।

उपाध्यक्ष महोदय, यह विधेयक बहुत छोटा सा है। कुछ माननीय सदस्यों को ऐसा लगता है कि प्रवर समिति में विधेयक भेजने की बात कहना हम लोगों की कुछ रस्म सी हो गयी है। उनसे यह निवेदन करना चाहता हूं, मैं उनसे यह कहने की गुस्ताखी तो नहीं करूंगा कि यदि उन्होंने इस विधेयक को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ा होता और ध्यान दिया होता तो शायद वे हमारी राय से सहमत होते और संभव है थोड़ी देर में विचार-विनिमय के बाद वे अपनी राय को बदल दें। मैं उम्मीद यह जरूर करता हूं कि हमारे आबकारी मंत्री जी हमारे लिये इन बातों पर रोशनी अवश्य डालेंगे, जिन दिक्कतों को सामने रख कर यह बिल लाया गया है। एक कानून सन् ४७ में बना था और उसी के मुताबिक हमारे सूबे की जितनी चीनी की मिलें हैं उनके शीरे की बिक्री और कंट्रोल होता था और सरकार उसका प्रबन्ध करती थी, लेकिन सरकार को उसमें कठिनाई प्रतीत हुई और उसको हल करने के लिए वह अब उस कानून में संशोधन करना चाहती है। ऐसी हालत में उसके लिए यह आवश्यक था कि वह उन कठिनाइयों को भी सदन के सामने रखे। लेकिन यह काम १६ आना माननीय आबकारी मंत्री जी ने हमारे ऊपर डाल दिया या उन माननीय सदस्यों के ऊपर डाल दिया जो इस बिल को पढ़ने से ही नफरत करते हैं। मैं ट्रेजरी बेंचेज के माननीय सदस्यों से दरख्वास्त करूंगा कि अगर वह हमारा ज्ञानवर्द्धन करा सकें कि सरकार इस बिल को लाने के लिए क्यों मजबूर हुई तो मैं उनका अनुग्रह मानूंगा। इस महकमा की ओर से हमारी ज्ञान-वृद्धि के लिए, हमारी जानकारी के लिए कोई चीज ऐसी नहीं दी गई जिस पर हम अपनी राय कायम कर सकें कि इस बिल को क्यों इतनी जल्दी हमें पास करना चाहिए। हम इस संबंध में उन कठिनाइयों को जानना चाहते हैं जो इस बिल को लाने का कारण हैं। यह तो निर्विवाद है कि जहां तक उसूल या सिद्धान्त का मामला है उससे मैं सहमत हूं कि सरकार को नियंत्रण का अधिकार इस सौदे पर होना चाहिये, अगर उसमें हमें कोई आपत्ति होती तो मैं इस बिल का विरोध करता, लेकिन वह हम नहीं कर रहे हैं बल्कि हम तो उसकी तफसील में कुछ सुधार चाहते हैं और वह क्या सुधार चाहते हैं और क्यों चाहते हैं वह मैं अभी निवेदन करूंगा और मैं अपने उन माननीय सदस्यों से थोड़े सब्र के साथ सुनने को कहूंगा कि जो अस्थिर बैठने के आदी हैं। हमारे सूबे की सब से बड़ी नहीं तो दूसरे नम्बर की जो इंडस्ट्रीज है वह चीनी की है। हम सारे देश में चीनी सस्ते दाम पर पहुंचाना चाहते हैं। हमारे प्रदेश की चीनी से अपने ही देश के कुछ हिस्से को ईर्ष्या भी होने लगी है, लेकिन वह शायद इस बात को नहीं सोचते हैं कि साढ़े ६ करोड़ आबादी के प्रदेश में भी अन्य सूबों का बनाया हुआ सामान इस्तेमाल होता है और काफी पैसा और धन उसके बदले में हम अन्य प्रदेशों को भेजते हैं। तो हमारे इस उद्योग से इस वक्त एक बड़ी होड़ सी चल रही है और उसमें यह बात कही जाती है कि इस सूबे की चीनी महंगी पड़ती है और भारतवर्ष की सरकार ने फैसला किया है कि आगे जो चीनी मिलें खुलें वह अधिकांश दूसरे प्रदेशों में खोली जायं और एक स्कूल ऐसा भी है जो यह कहने का साहस

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री गेंदासिंह]

करता है कि इस प्रदेश से कुछ कारखानें उठा कर कहीं दूसरी जगह चले जानें चाहिएं। उपाध्यक्ष महोदय, इस मसले पर मैं कुछ अधिक नहीं कहूंगा इस लिये कि वह प्रश्न हमारे सामने नहीं है। परन्तु इसको मैंने भूमिका के तौर पर इस लिये कह दिया कि हमारे सामने यह प्रश्न है कि हम चीनी सस्ती कीमत पर जो कि भारतवर्ष में कहीं भी मंहगी न पड़े कैसे पहुंचाये ? उसके तरीके और हो सकते हैं उससे हम सहमत नहीं हैं। कुछ लोगों का तरीका यह है कि गन्ने का दाम कम करके चीनी सस्ती कर दें। वह तरीका मुनासिब नहीं है क्योंकि जो कंज्यूमर किसान है उसकी क्रय शक्ति घट जाती है। तो फिर यह सारे उद्योग धरे के धरे रह जायेंगे।

श्री उपाध्यक्ष--माननीय सदस्य यह ध्यान में रखें कि यह विधेयक मोलैसेज के सम्बन्ध में है, शुगर से इसका सीधा सम्बन्ध नहीं है।

श्री गेंदासिंह---शीरा, शकर और बताशे इन तीनों का घनिष्ठ संबंध है, ये भाई बहिन से है। मैंने तो पहले ही कह दिया था कि हमारे सामने आज यह प्रश्न नहीं है। मैं तो यही कह रहा था कि हम देश के बड़े बड़े वैज्ञानिकों का मत है कि अगर हम चीनी सस्ती कर सकते हैं तो यों कर सकते हैं कि जो चीजें हम चीनी मिलों से तैयार करें और वेस्ट कर दें वह न किया करें, उसको बरबाद न करें, उनसे कोई ऐसी उपयोगी चीज बनावें जिसे हम बेंच सकें और देश की जरूरतों को रफा कर सकें। जो मोलैसेज कंट्रोल विधेयक है बिलकुल इसी उद्देश्य से हमारे सामने आया है। मोलैसेज हमारे देश में पहले भी पैदा होता था। उसका क्या उपयोग होता था। उसका उपयोग तो कुछ हम ग्रेट ब्रिटेन को एक्सपोर्ट करते थे। वह वहां जाकर उसका पावर अल्कोहल बनता था, लेकिन हमारे मुल्क में पावर अल्कोहल नहीं बनता था।

श्री चन्द्रसिंह रावत (जिला गढ़वाल)---उसकी बोतलें बनती थीं।

श्री गेंदासिंह---मैं नहीं जानता कि किन-किन सामानों की आवश्यकता बोतलों में होती थी, इसका मुझे कतई ज्ञान नहीं है, लेकिन सन् १९३८ में यू० पी० और बिहार दोनों की सरकारों ने कमेटी बैठाई कि इन दोनों प्रदेशों में जो कई लाख टन मोलैसेज पैदा होता है उसका उपयोग किस तरह से पावर अल्कोहल बनाने में करें। उस कमेटी ने यह सिफारिश की कि हमारे देश में पेट्रोल बाहर के देशों से आता है और उसमें यह कठिनाई पड़ सकती है कि जब लड़ाई हो जाय तो उस वक्त वह नि मिल सके। तो पेट्रोल का स्थान ग्रहण करने के लिये मोलैसेज से पावर अल्कोहल बनाने का सवाल हुआ। उसी के अनुसार इस देश के शुगर मिल मालिकों ने सरकारों से कहा था कि हमें पावर अल्कोहल की फैक्टरी बनाने की इजाजत दे दें। उस जमाने में जो हुकूमतें थीं उन्होंने उस वक्त ध्यान तो नहीं दिया। लेकिन उस बीच में ब्रिटिश इंडिया में तो नहीं मैसूर में एक कारखाना पावर अल्कोहल का खुला। जमाना बदला, सन् ३८ में यहां और बिहार में भी कांग्रेस गवर्नमेंट आ चुकी थीं और उन्होंने इस बात पर विचार किया कि यह काम हमें भी करना चाहिये। सन् ४०-४१ के करीब एक फैक्टरी मेरठ में खुली और धीरे-धीरे सन् १९४० में ही हमारे यहां पावर अल्कोहल ऐक्ट को भी पास किया गया। उस पर एक पाबन्दी कर दी गई है कि कुछ इलाकों में पेट्रोल और पावर अल्कोहल मिला कर खर्च किया जाय। लिहाजा अब जरूरत इस बात की है अपने मुल्क में कि हम पावर अल्कोहल पैदा करें। चूंकि सबसे ज्यादा हिन्दुस्तान में मोलैसेस उत्तर प्रदेश पैदा करता था, बिहार पैदा करता था इसलिये इस इंडस्ट्री के लिये जरूरी था कि वे यहां बनाई जायं और इसके अनुसार १२ ऐसे कारखाने मौजूद हैं, लेकिन इन १२ कारखानों में जितनी पैदावार होनी चाहिये वह पैदावार उतनी नहीं होती। अगर पूरी पैदावार हो जाय तो इसको स्वयं माननीय मंत्री जी स्वीकार करेंगे कि हमारे सूबे में पावर एल्कोहल का एक बड़ा खजाना हो जायगा लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है।

मैं समझता हूं कि सब से बड़ी कठिनाई जो माननीय मंत्री जी को होगी वह यही होगी कि किस प्रकार हम इन १२ फैक्टरीज को मुलैसेज सप्लाई कर पायें ? मैं इस बात को आपके सामने रखना चाहता हूं, क्यों नहीं पैदा होता है यह पावर अल्कोहल जब कि १२ फैक्टरीज चल रही हैं ? इन १२ फैक्टरीज में कुछ वह माल तैयार किया जाता है जैसा कि चन्द्रसिंह रावत ने कहा और बाकी पावर अल्कोहल पैदा किया जाता है । मैं यह कह रहा था कि आखिर इन पावर अल्कोहल फैक्टरीज को पूरी मिकदार से मुलैसेज जो उसके लिये रा मेटीरियल है क्यों नहीं मिल पाता ? इसलिये नहीं मिल पाता कि उसमें कुछ कोर सरकार की दबी हुई है । जहां गवर्नमेंट ने मुलैसेज को इस काम के लिये लेने की कोशिश की वहां गवर्नमेंट ने एक भूल की कि एक दूसरे काम के लिये उसे पूरे मुलैसेस को अपने अख्तियार में लेने का भी अधिकार था । लिहाजा सरकार पावर अल्कोहल बनाने वाली डिस्टलरीज को पूरा मुलैसेज पहुंचाने में नाकामयाब रहती है और पिछले ८ वर्ष में यही होता आया है ।

(इस समय ४ बजकर १८ मिनट पर श्री उपाध्यक्ष चले गये और अधिष्ठाता, श्री मलखानसिंह पीठासीन हुए ।)

उसका परिणाम है कि जितनी इंस्टाल्ड कैपेसिटी है हमारी पावर अल्कोहल फैक्टरीज की उससे बहुत कम पैदावार हो पाई । मैं जानना चाहूंगा अपने उन माननीय सदस्यों से--हालांकि मुझे ज्ञान नहीं है कि इंस्टालल्ड कैपेसिटी क्या है, फिर भी इतना मैं जानता हूं कि इंस्टाल्ड कैपेसिटी ज्यादा है सारी डिस्टलरीज की--क्या वे पैदा कर पाती हैं पूरी मिकदार में ? अब अगर नहीं पैदा कर पाती हैं और इसका कारण पूछा जाय तो डिस्टलरीज बतलाती हैं कि मुलैसेज नहीं मिलता । मुलैसेज क्यों नहीं मिलता ? हमारे सूबे की पैदावार जो है, अधिष्ठाता महोदय, वह इतनी बड़ी है मुलैसेज की कि हमारे सूबे की इन डिस्टलरीज का काम चल सकता है । जितनी पैदावार सारे भारतवर्ष में होती है उस पैदावार का आधा हमारे प्रदेश में होता है । हमारे देश में सन् १९५१-५२ में ५ लाख ९७ हजार ४ सौ टन मुलैसेज पैदा हुआ था । जिसमें ३ लाख ३४ हजार ३ सौ टन उत्तर प्रदेश में । १९५२-५३ में ५ लाख ७ हजार टन सारे देश में पैदा हुआ जिसमें २ लाख ७४ हजार १ सौ टन उत्तर प्रदेश में पैदा हुआ । १९५३-५४ में सारे देश में ३ लाख ४५ हजार पैदा हुआ, जिसमें १ लाख ४६ हजार २ सौ टन उत्तर प्रदेश में पैदा हुआ । १९५४-५५ के आंकड़े मुझे पूरे तौर से मालूम नहीं हैं । लेकिन अधिष्ठाता महोदय, एक अनुमान से कह सकता हूं कि एक करोड़ मन के करीब पिछले वर्ष पैदा हुआ होगा । वैज्ञानिकों का मत है कि एक मन मुलैसेज में २.१ गैलन अल्कोहल बनना चाहिए और हमारे यहां १.३ या इससे कुछ ज्यादा थोड़ा यह हमारे यहां मोलैसेज से पावर अल्कोहल बन पाता है । यह उनकी टेक्निकल दशा है या किस तरह का उनको मुलैसेज उनको मिलता है, यह बात है । लेकिन इतना मुलैसेज पैदा होने के बाद भी हमारी कोई फैक्टरी ऐसी नहीं है जो ३६५ दिन चलती हो, सफाई के दिनों को छोड़ कर पूरे दिन नहीं चल पाती, जो कि उन डिस्टिलरीज को चलना चाहिए । लेकिन हमारे सूबे का जो आंकड़ा है वह यह बतलाता है कि १८८ दिन लेकर २५८ दिन तक यह फैक्टरियां चल पायी हैं । मैं इंडियन शुगर टैरिफ बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार किसी खास वर्ष के आंकड़े बता रहा हूं और जो उनके चलने का सीजन है, १९४५-४६ में एक पैनल बैठा था उसका कहना है २४६ दिन उत्तर प्रदेश में है । अब यह २४६ दिन केवल जो चल पाती हैं हमारी फैक्ट्रियां, डिस्टिलरीज, इनको हम कम से कम ३२० दिन चलाना चाहते हैं । लेकिन केवल २४६ दिन चलती हैं । अब २४६ दिन चलने का कारण क्या है ? जितनी हमारी इन्स्टाल्ड कैपेसिटी थी उसके मुताबिक हम क्यों नहीं पैदावार कर पाते ? हमारी इंस्टाल्ड कैपेसिटी सन् ४८ में सारे भारतवर्ष में जितनी थी उसके मुताबिक हम नहीं कर पाये और आज भी नहीं कर पा रहे हैं । सन् १९४८ में जितना मुलैसेज पैदा हो रहा था उसमें से केवल २२ लाख ७६ हजार मन मुलैसेज हम इस्तेमाल कर पाये । उसी तरह से आज भी हमको मुलैसेज को इस्तेमाल करने में दिक्कत होती है और सारे का सारा मुलैसेज जो है वह हम उस काम में नहीं ले जा पाते । उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से यह जो १९५३-५४ में आबकारी विभाग की

[श्री गेंदासिंह]

तरफ से एक पुस्तिका बंटी थी इसका नाम है 'उत्तर प्रदेश में आबकारी निषेध तथा समाज सुधार १९५३-५४।' इसमें यह बताया गया है कि १९५३-५४ में कुल उत्पादन ४३,१०,२०९ मन शीरे का हुआ। मैं ऐसा समझता हूं कि यह कुछ गलत अंक है। इनको दुरुस्त कर लेना चाहिए, क्योंकि इसमें यह लिखा हुआ है, इससे अन्तर पड़ता है। हमने देखा कि एक बड़ा आधिकारिक पब्लिकेशन है इंडियन शुगर मिल्स का, उसमें उन्होंने यह बताया है कि यह पैदा जो हुआ शीरा उसी वर्ष में वह हुआ। १ लाख ८२ हजार २ सौ टन जिसका होता है ४८ लाख २७ हजार ४ सौ मन, इसमें सिर्फ ४३ लाख लिखा हुआ है। ५ लाख मन की कुछ कमी मालूम होती है। इसलिये कुछ हमको शुबहा होता है कि १९५३-५४ में ४३ लाख १० हजार २०९ मन शीरे का उत्पादन हुआ और उसके हिसाब में लिखा है कि ५३ लाख ५५ हजार ९६७ मन शीरा पावर अल्कोहल बनाने वाली तथा अन्य पीने की शराब बनाने वाली डिस्टिलरियों को दिया गया, जिसमें से पावर अल्कोहल की डिस्टिलरियों ने ४६,३१,५७० मन शीरे का उपयोग किया। तो यह कुछ ऐसा लगता है कि हिसाब गलत है। मैं इसको ज्यादा सीरियस मामला इसलिए नहीं समझता हूं कि आबकारी विभाग का है यह। जिस वक्त यह लिखा गया होगा उस वक्त जिस भाई ने लिखा होगा उनको आबकारी का कुछ न कुछ मालूम होता है कुछ भ्रम हो गया होगा इसलिए इस तरह की फीगर्स दे दी होंगी। लेकिन मैं ऐसा सोचता हूं कि ५ लाख मन का गोलमाल बड़ा भारी गोलमाल है।

एक सदस्य---पिछले साल की बचत हो सकती है।

श्री गेंदासिंह---अब वह आप पता लगाइयेगा। बहरहाल, मैं यह कह रहा था कि शीरा जितना हमारे यहां उत्पन्न होता है वह शीरा डिस्टिलरीज को नहीं पहुंच पाता है, यह माननीय मंत्री जी स्वयं स्वीकार करेंगे। अब इसका क्या कारण है कि नहीं पहुंच पाता है। एक कारण है, उस कारण पर मैं बहुत कम रोशनी डालना चाहता हूं। जितना भी कम रोशनी डालूं उतना ही अच्छा होगा। मुझे खुद ही शर्म आती है उस पर ज्यादा रोशनी डालते हुए और कुछ पुरानी भी बात पड़ गई है। लेकिन अब आइन्दा में जरूर सोचता हूं कि इस तरह की हरकतें आगे न होने पायें। अब हरकतें हमसे सुनना चाहते हैं माननीय राणा साहब। मैं नहीं कह सकता कि राणा साहब को उनकी कम जानकारी है हमसे। लेकिन वह सिर्फ हमसे सुनना चाहते हैं। वह समझते हैं कि वह हमसे सुनेंगे तो दूसरे लोग भी सुनेंगे। लेकिन मैं सोचता यही हूं कि उसको जितना कम मैं सुना सकूं उतना ही अच्छा है।

श्री रामकुमार शास्त्री (जिला बस्ती)---उसकी अहमियत बढ़ती जा रही है, बतला दीजिये।

श्री गेंदासिंह---मैं केवल इतनी बात कहूंगा कि जो विधेयक में "अदर परपजेज" लिखा गया है और उसके सम्बन्ध में मैंने संशोधन दिया है कि ये "अदर परपजेज" शब्द निकाल दिये जायं, मैं यही चाहता हूं। हमारे सहारनपुर के शास्त्री जी कहते हैं कि तम्बाकू में कैसे काम चलेगा? तम्बाकू के लिए जब कि कंट्रोल नहीं था तब भी तो कहीं से शीरा मिलता ही था और लोग तब भी तम्बाकू पीते थे, तब भी मिल जाता था। उसके लिए पहले ऐक्ट में गुंजाइश थी कि हम अपने मुलैसेज को बेंच सकते थे कहीं भी। कंट्रोल तो यह हुआ कि हम उसका ठीक-ठीक इस्तेमाल कर सकें। और पहले तो शीरे की बड़ी दुर्गति थी, फेंक भी देना पड़ता था, बहा भी देना पड़ता था। यह तो लड़ाई के जमाने में आ करके उसकी कीमत इतनी ऊंची चढ़ी, क्योंकि वह डिस्टिलरीज में जाकर "अदर परपजेज" में ज्यादा जाने लगा। मैं यह नहीं कहता हूं कि अंकों में "अदर परपजेज" ज्यादा हो गया। हमारा उत्तर-प्रदेश तो इतना फैला हुआ प्रदेश है कि देहरादून में जो बात होती है वह देवरिया में मालूम नहीं होती और देवरिया की बात देहरादून को नहीं मालूम होती। लेकिन बिहार

छोटा सा सूबा है। बिहार में यह हालत हुई कि छोवा कांड पर किताब लिखी जाने लगी अध्यक्ष महोदय, और मालूम नहीं कितने लोगों को धब्बा लगा जिसको छुड़ाने के लिए कोई दिल्ली गया, कोई किसी तरफ गया और आज तक वह धब्बा नहीं छूट सका। हमारे यहां भी मोलैसेज स्कैंडल हुए हैं, काफी हुए हैं। नाम मैं कोई नहीं रखूंगा। मैं मानता हूं कि इस वक्त कम हुए, लेकिन काफी हुए हैं और वह "अदर परपजेज" लिखे जाने की वजह से हुए। अगर ये शब्द न लिखे जाते तो ऐसे स्कैंडल न होते।

अब मैं आपसे निवेदन करूंगा कि हर फैक्टरी वाला जो शीरा बेचना चाहता है तो वही उसकी रोजी है। लड़ाई के जमाने में वह जमाना था जब कि १५ रुपया मन शीरा बिका और पाकिस्तान १५ रुपया मन उसको खरीदना चाहता था जब कि शीरे की कंट्रोल प्राइस साढ़े चार आने मन है। कैसे साढ़े चार आने मन पर बिकेगा और कैसे वह डिस्टिलरीज को देगा? शुगर फैक्टरी वाले यह करते हैं कि किसी न किसी ऐसी जगह पर रखेंगे, खराब खत्ते में रखेंगे, किसी तरह उसमें पानी ले आने की कोशिश करेंगे ताकि वह कम से कम एक्साइज कमिश्नर से यह लाइसेंस पा जायं, इजाजत पा जायं कि यह मोलैसेज पावर अल्कोहल नहीं बन सकता। फिर इसमें वह अपनी दौड़-धूप करते हैं। एक्साइज कमिश्नर का दफ्तर कितना बदबू करने लग गया होगा अधिष्ठाता महोदय, आप स्वयं जानते होंगे क्या चर्चा करूं। एक एक्साइज कमिश्नर ने लात मार दी सरकारी नौकरी पर और कहा कि हम इस गवर्नमेंट से भी लड़ कर तमाशा दिखा देंगे। उन्होंने लाखों रुपया इकट्ठा कर लिया, उन्हें नौकरी की जरूरत नहीं रह गयी। उन्होंने ऐसा व्यवहार किया कि सरकारी नौकरी में रहने की नौबत न आवे। खैर, यह पुरानी बात हो गयी है। अब इस वक्त हमारे सामने जो विधेयक आया हुआ है उसके अनुसार हम इन सारी चीजों को रोकना चाहते हैं और चाहते हैं कि इस विधेयक में इस बात की गुंजाइश होनी चाहिये कि यह जो चीजें मुलैसेज में गुजरी हैं—छोवाकांड और अपने यहां के शीरे के स्कैंडल—वह न होने पावें। मंत्रियों के ऊपर बड़ा दबाव पड़ता है, परमिट चाहिये, किस नाम पर, स्कूल के नाम पर या किसी सार्वजनिक कार्य के नाम पर? वह परमिट जब मिलता है तो उसके अनुसार फैक्टरी वाले से कहते हैं कि कंट्रोल्ड प्राइस पर यह शीरा हमें दो। लेकिन परमिट के बाद भी फैक्टरी वाले प्रीमियम वसूल करते हैं। ८ आने मन के हिसाब से है तो १ पैसा या २ पैसा मन के हिसाब से कहते हैं कि प्रीमियम जमा करो। और वह प्रीमियम जमा होकर कहीं जाता नहीं है, वह उन्हीं फैक्टरी वालों के पास रहता है। दूसरी तरफ यह भी है कि परमिट में दो रुपये मन भी दे दिया तो वह ४ रुपये मन पर बिकने वाली है। अगर ५ हजार मन की परमिट मिली और दो रुपये मन भी बचा तो १० हजार रुपये बच गये। अब वह परमिट चाहे जिस तरह से मिले, सरकार की खुशामद करने से मिले, एक्साइज कमिश्नर की खुशामद करने से मिले, किसी तरह से मिले, लेकिन १० हजार रुपये मिल गये! तो यह अवस्था बहुत बुरी अवस्था है। इसलिये मैं कहता हूं कि इस पर हमको विचार करना चाहिये कि अगर डिस्टिलरीज को हमें शीरा दिलाना है और देश में कुछ पवित्रता के साथ काम भी करना है तो "other purposes" निकाले। फिर, परमिट के अलावा एक और सौदा करते हैं। वह इस तरह से कि भाई, हमारा रेलीज करा दो हम बिना प्रीमियम लिये तुमको शीरा दे देंगे। अब जो परमिट पाता है वह यहां से लेकर इलाहाबाद तक बड़ी दौड़-धूप करता है। जो कुछ भी रिलीज हो जाय, लाख मन, ५० हजार मन और सब रिलीज हो जाय तो बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात और है। यहां से हुक्म होता है कि फलां फैक्टरी का शीरा फलां डिस्टिलरी को जायगा। लेकिन हजार बार कोशिश करने के बाद भी वह वहां नहीं जाता। कभी कहेंगे तौलने वाला नहीं है, कभी कहेंगे कि मजदूर नहीं हैं जो उस खत्ते में से शीरे को निकालें, दुनिया भर के जितने बहाने हो सकते हैं वे सारे बहाने वे करेंगे। डिस्टिलरी वाले सोचते हैं क्या

[श्री गेंदासिंह]

उपाय करें ? अब वे प्रीमियम देने के लिये तैयार हो जाते हैं। तो ये सबसे बड़ी कठिनाइयां जिनकी वजह से शीरा डिस्टिलरियों को नहीं मिल पाता है। शुगर इंडस्ट्री और डिस्टिलरीज, दोनों के परस्पर विरुद्ध स्वार्थ हैं।

दूसरा कारण ट्रांसपोर्ट का है। यह एक ऐसा कारण है जो हमारे जुरिस्डिक्शन में नहीं है, दिल्ली के जुरिस्डिक्शन में है, इसलिये मैं इसकी चर्चा क्या करूं। लेकिन इस कारण को आदमी ही बना लेता है। वे करते यह हैं कि किसी तरह से वैगन न मिलने पायें और अगर वैगन मिल जायें तो माल न लदने पाये, डिमरेज पड़े ताकि डिस्टिलरी वाले झक मार कर उस कारखाने से अपना सम्बन्ध तोड़ें। तो इन वजहों से डिस्टिलरीज को मुलैसेज नहीं मिल पाता। इस विधेयक में इस बात की गुंजाइश करनी होगी कि हम उसको जरूर दिलायें। इस सिलसिले में मैंने अदर परपजेज का जिक्र किया कि मैं चाहता हूं कि इसे निकाल दिया जाय। दूसरा परपज डिस्टिलरीज को छोड़ कर सरकार ने बतलाया नहीं, अगर वह सामने होते तो हम उन पर विचार करते। दूसरा परमिट वाला हो सकता है, जिसके लिये मैं चाहता हूं कि इसकी विधेयक में गुंजाइश नहीं होनी चाहिये और इसके अलावा और कोई परपज हमारे दिमाग में नहीं है। ऊसर खेतों को उपजाऊ बनाये जाने का काम इससे किया जा सकता है, लेकिन इस ओर हमारी सरकार का ध्यान नहीं है।

इसके अतिरिक्त इससे फूड यीस्ट भी तैयार किया जा सकता है, जिसके सम्बन्ध में पिछले वर्ष कुछ पैसा इकट्ठा भी हुआ था और कुछ रुपया कानपुर शुगर टेक्नोलोजी को दिया गया था कि वह रिसर्च करें और बतलायें कि हमारे यहां यू० पी० में फूड यीस्ट किस तरह से पैदा की जा सकती है ? अधिष्ठाता महोदय, वैज्ञानिकों का मत है और मैं आदरणीय सदन के माननीय सदस्यों से कहना चाहता हूं कि जो प्योर वेजीटेरियन हैं वह शीरे को इज्जत की निगाह से देखें। आधा औंस फूड यीस्ट तैयार होगा वह मुर्गी के दो अंडों के बराबर ताकत देने वाला होगा। शिवनारायण जी को बड़ी प्रसन्नता होगी कि मैं और वह दोनों अंडे नहीं खाते हैं। मैं कहूंगा कि सरकार का ध्यान इधर नहीं है।

अधिष्ठाता महोदय, फिर समझ में नहीं आता है कि "अदर परपजेज" किसलिये है। सिर्फ कानून में गुंजाइश कर दें कि जितने मुलैसेज की जरूरत है उसको हम पूल कर लें कागज पर और उसका उचित बटवारा कर दें डिस्टिलरीज को और यह ध्यान रखें कि कम से कम ट्रांसपोर्ट की जरूरत पड़े, ढोना न पड़े। यह ठीक है कि पूर्व की तरफ ज्यादा फैक्टरीज हैं और पिछले दो-तीन साल से पश्चिम में यह ज्यादा तैयार हुआ है तो इसमें दिक्कत होती है। जो फैक्टरीज करीब पड़ती हैं उनका समूचा शीरा डिस्टिलरीज को एलाट कर देते हैं और कुछ फैक्टरीज ऐसी रहती हैं जिसको हम परमिट के लिये या और काम के लिये छोड़ देते हैं।

अधिष्ठाता महोदय, मैंने आपका इतना समय लिया और समझाने की कोशिश की कि जो शीरा परमिट के लिये जाता है उससे ज्यादा लाभ होता है, शुगर इंडस्ट्रीज की बनिस्बत डिस्टिलरीज को भेजने के। क्योंकि बगैर प्रीमियम लिये वह देते नहीं हैं। जिनके साथ खास मुआहिदे देते हैं उनको सरकारी कीमत पर देते हैं। इसका यह उपाय किया जाय कि जितनी कम फासले पर फैक्टरीज हैं उनका सीरा डिस्टिलरीज को दे दें और बाकी का शीरा जो है उसके लिये मैं इस राय का हूं कि उसे खुले बाजार में बेंचने के लिये छोड़ दिया जाय और परमिट की कोई जरूरत नहीं है। ढंग से बाजार में बिके और हमारे सामने मशीनरी ऐसी होनी चाहिये जो मार्केट प्राइस को बतलाये कि आज की तारीख में शीरा किस भाव बिका और उसके

हिसाब से सारे शीरे का हिसाब लगाया जाय कि इतना शीरा पैदा होता है और इसका कागज तैयार होता है, और हर फैक्टरी में इंस्पेक्टर रहते हैं वह हिसाब लगा कर के उस सारे रुपये को जितना कि सरकार मुनासिब समझती है सारे देश में जो कंट्रोल प्राइस उसने लगा रखी है वह कंट्रोल प्राइस सरकार उस फैक्टरी को दे दे और बाकी पैसा जो बचता है उसमें से एक मद और रह जाती है मजदूरों के घर बनाने की। उस मुनाफे के रुपये से सरकार मजदूरों के घर बनवाना चाहती है, एक-दो साल बने भी थे, अब बनते हैं या नहीं यह माननीय मंत्री जी बतलायेंगे। मैं जरूर यह चाहता हूं कि जो रकम इससे प्राप्त हो उस रकम को सारी फैक्टरियों पर इस तरह से हिसाब लगाया जाय कि सारी डिस्टिलरीज का एक अनुपात फैक्टरीज से बन जाय कि जितने में सारी डिस्टिलरीज चल सकें और जो फैक्टरियां बाकी रह जायं उनमें से सभी फैक्ट्रियों को उतने के मुताबिक हिस्सा मिल जाय। तो उनकी समझ में ऐसी बात आ जाय कि कोई फैक्ट्री उस बात से इन्कार न करे कि हम डिस्टिलरी को नहीं देंगे। तो इससे यह दिक्कत कि डिस्टिलरी दूर पर है इसलिये वह लेंगे नहीं, यह भी दूर हो जायगी और जो फैक्ट्री वाले बहाना ढूंढ़ते हैं, वह भी बच जायगा। तो यह दो चीजें मैंने खास तौर से आपके सामने सुझाव के तौर पर रखीं इस बात को सोच कर हम इस विधेयक में इस बात को रखें ताकि वह कामयाब हो सके।

विधेयक को, अधिष्ठाता महोदय, मैंने गौर से पढ़ा है और मैंने सोचा है कि कुछ ऐसा सुधार इसमें किया जाय जिससे कि सरकार का मंशा पूरा हो। सरकार का मंशा अगर इतना ही है कि डिस्टिलरीज ठीक से चल पायें तो वह हम भी पूरा करना चाहते हैं। लेकिन दूसरा मंशा जो "अदर परपजेज" में आता है, वह पूरा नहीं कर पायेंगे। एक बात मैं और इस सिलसिले में निवेदन कर दूं कि हम सिवाय शुगर मिल्स के इस झंझट में खांडसारी वगैरह को नहीं डालना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमार देश में छोटे-छोटे गृह-उद्योग पनपें, बढ़ें। यह सही है कि खांडसारी से शीरा इन बड़ी-बड़ी फैक्ट्रियों से ज्यादा पैदा होता है लेकिन एक कठिनाई उनकी यह भी है कि चीनी की रिकवरी उनकी कम हो पाती है। तो हम यह चाहते हैं कि यह उद्योग पनपे। हम उनके हामी इसलिये भी हैं कि जब मिल वाले हम पर हमला करते हैं तो हमें उन्हीं के पास जाकर हिफाजत मिलती है। एक जमाने में खांडसारी वालों ने हमें मिल वालों से ज्यादा दाम भी दिया। तो इसलिये हम खांडसारी वालों को बढ़ाना चाहते हैं और चाहते हैं कि एक फेयर कंपिटीशन हो। यह ठीक है कि यह लोग फैक्ट्रीज के कंपिटीशन में क्या टिकेंगे, लेकिन फिर भी एक छोटा उद्योग है और इसलिये हम इसको बचाना चाहते हैं। मैं यह निवेदन करूंगा कि सरकार किसी भी हालत में इस विधेयक को जो कुछ भी कंट्रोल करने की बात सोचती है वह सिवाय बड़ी-बड़ी फैक्ट्रीज को छोड़ कर खांडसारी वालों पर न लागू करे। मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी भी इस मामले में हमसे सहमत हैं इसलिये मुझे ज्यादा कठिनाई इस सम्बन्ध में न होगी। एक प्रयत्न किया गया है कि एक मोलैसेज बोर्ड बनाया जाय लेकिन बोर्ड जो बने वह ऐसा हो जो शानदार हो। उसमें कुछ जान न हो ऐसा बोर्ड न बनाया जाय। इसलिये मैं सोचता हूं कि यहां सिद्धान्त के तौर पर इस वक्त मैं यह कह दूं कि मैं बोर्ड के बनने का हिमायती हूं। लेकिन बोर्ड का विधान किस तरह से हो, इसको मैं जरूर सोचता हूं कि उस बोर्ड को ताकत मिलनी चाहिये कि वह बोर्ड पूरा काम करने में पूरी ताकत का इस्तेमाल करे। बोर्ड जो है उसमें लिखा हुआ है कि उसका कंट्रोलर चेयरमैन होगा। कौन होगा? यह उसमें नहीं लिखा हुआ है। लेकिन मैं इसको भांपता हूं। शायद उसका कंट्रोलर एक्साइज कमिश्नर होगा। मैं एक्साइज कमिश्नर को बनाने के पक्ष में नहीं हूं और मैं समझता हूं कि हमारे साथी भी नहीं होंगे। वह इसलिये कि पुराने एक्साइज कमिश्नरों से यह अनुभव प्राप्त किया है, मैंने बहुत पता लगाया कि इस वक्त कौन एक्साइज कमिश्नर है? जिस आदमी का नाम मैंने सुना उस आदमी पर मुझे शक करने की गुंजाइश है। मेरा मन नहीं चाहता है कि मैं

[श्री गेंदासिंह]

शक करूं लेकिन फिर भी वह आदमी है और आदमी की तरह से हम उसको समझते हैं। वह देवता नहीं है। इसलिये मैं सोचता हूं कि कंट्रोलर जो हो वह इंडियन शुगर टैक्नोलोजी का जो डाइरेक्टर है उसको बना दिया जाय। वह समझता है कि मुलैसेज का बाइप्रोडक्ट क्या हो सकता है? जब "अदर परपजेज" नहीं रखते हैं तो डाइरेक्टर को सारा काम अन्जाम देने में कोई दिक्कत नहीं होगी। "अदर परपजेज" रखें तो हमारे इस सुझाव को गवर्नमेंट न माने क्योंकि आगे डाइरेक्टर का अपने तरीके पर फैसला होगा और उस तरह से परमिट देने के लिये वह कभी कायल नहीं होगा कि इस तरह से परमिट दी जाय। इसलिये मैं यह सोचता हूं कि उस व्यक्ति को हम इस बोर्ड का चेयरमैन बना दें और फिर चाहे वह फूड यीस्ट के लिये जरूरत हो किन्तु इसमें यह है कि हम किसी तरह से भी माननीय मंत्री जी को मना नहीं करते, सारी चीजें इस बोर्ड को दे रहे हैं और सारी चीजें हम देने के लिये तैयार हैं। फिर उस आदमी को नियुक्त करने का अधिकार होना चाहिये। और भी तफसील की बात है जैसा कि आबकारी मंत्री ने कहा कि इसके केसेज को कम्पाउन्ड करने का अख्तियार दिया जाय। यह अख्तियार देने की बात मुझे खतरनाक मालूम होती है। उसमें लिखा हुआ है कि

"Power of Controller to compound offences."

तो इसमें यह लिखा हुआ है कि कितने रुपये तक वह लेगा। आगे इसमें यह लिखा हुआ है कि--

"The Controller may accept from any person who is reasonably suspected of having committed an offence punishable under section 9, a sum of money not exceeding five thousand rupees, by way of composition for the offence which may have been committed."

उसमें चाहे कितने रुपये की गड़बड़ हो लेकिन उससे ५ हजार रुपये से ज्यादा नहीं लिया जायगा। मैंने उस अमेंडमेंट को देखा है तो मैं यह चाहता हूं कि कंट्रोलर के लिये यह न रखा जाय। जब मुलैसेज बोर्ड रहता है तो वह इस तरह की चीजों को रखेगा। अगर ५ हजार रुपये के शब्द को हटा दिया जाय तो कम्पाउन्ड करने का अधिकार मुलैसेज बोर्ड को होना चाहिये। किस आदमी पर वह मुकदमा चलाना चाहता है यह पावर उस बोर्ड के हाथ में रहनी चाहिये। इन बातों को कहते हुये मैं समझता हूं कि यह उत्तर प्रदेश के लिये यह कारखाने डिस्टिलरी के जो हैं यह बहुत महत्व के हैं। यह दूसरे मुल्कों में सन् १९२५ में ही शुरू हो गये थे। यूरोप में दूसरे मुल्कों से मुलैसेज मंगा कर डिस्टिलरी को दिया गया। वह इसलिये दिया गया कि उनके विभाग में यह बात थी कि कोई जमाना आ सकता है कि जब दूसरे देशों के साथ झगड़ा हो सकता है जहां से कि पेट्रोल मिलता है। उस पेट्रोल की कमी को पूरा करने के लिये हम इस चीज का उपयोग कर सकते हैं। हमारे देश में चूंकि ऐसा राज्य था जिसमें हम इस चीज को कर नहीं सकते थे और उस सरकार का स्वार्थ था अपने नेटिव देश या बसने वाले देश से। ब्रिटेन खुद ही इम्पोर्ट करता था और हिन्दुस्तान से एक्सपोर्ट किया जाता था, इसलिये डिस्टिलरीज को एनकरेज नहीं किया जाता था और इसलिये मैसूर में बनी। इसमें दो स्वार्थ हैं। एक तो बाईप्रोडक्ट का उपयोग हम कर सकें और दूसरे विदेशों में पैसा जाने से बचा सकें। इन दो स्वार्थों के आगे नहीं मालूम कितने और स्वार्थ भी हो सकते हैं। तो इस राष्ट्रीय सम्पत्ति को दृष्टिकोण में रखते हुये हमें ऐसा कानून बनाना चाहिये जिससे डिस्टिलरीज को हम ठीक तरह से चलवा सकें।

डिस्टलरीज के बारे में भी कुछ ऐसी बात है कि वह मुलैसेज को ले जाकर भी पावर एलकोहाल नहीं बनाना चाहते हैं और उसे खराब श्रेणी में दिखा कर कुछ और ही बनाना चाहते हैं। लेकिन चूंकि वह इस बिल के दायरे के अन्दर नहीं है इसलिये

में उस पर अधिक नहीं कहूंगा। माननीय आबकारी मंत्री को यह भी बन्दोबस्त करना चाहिये कि यह दुरुपयोग न हो सके। इन बातों को देखते हुये मैं चाहता हूं कि इस विधेयक पर ठंडे दिल से गौर किया जाय। तफसील की बातों का मैंने जिक्र नहीं किया है और मैं समझता हूं कि इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती हैं। मुलैसेज के कंट्रोल का जहां तक सम्बन्ध है, जितनी भी सफलता से हमारे कारखाने काम कर सकें उतना होना चाहिये। यह विधेयक अगर सेलेक्ट कमेटी में जाय तो वहां हम इन तमाम बातों को अच्छी तरह से देख सकते हैं। हो सकता है कि मैंने जो दिक्कतें बतलाई हैं उनके अलावा भी कुछ दिक्कतें माननीय मंत्री जी की जानकारी में हों, तो सेलेक्ट कमेटी में उन सारी दिक्कतों का इलाज कर लिया जाय।

श्री शिवनाथ काटजू (जिला इलाहाबाद)—श्रीमन्, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अगर मैं अपनी पार्टी के चाबुक से बंधा न होता तो मैं संभवतः माननीय गेंदासिंह जी के संशोधन का, कि यह बिल सेलेक्ट कमेटी में भेजा जाय, समर्थन करता। लेकिन इस वक्त ....

श्री राजनारायण (जिला बनारस)—प्वाइन्ट आफ आर्डर सर, श्रीमन्, इस सदन में जितने सदस्य हैं वह स्वतंत्र हैं। तो कोई सदस्य यह कह सकता है कि अगर हम पार्टी के अनुशासन के चाबुक में न बंधे होते तो माननीय गेंदा सिंह जी के संशोधन का समर्थन करते ?

अधिष्ठाता—बैठ जाइये, यह कोई प्वाइन्ट आफ आर्डर नहीं है।

श्री शिवनाथ काटजू—सदन इसको स्वीकार करेगा कि यह विधेयक बहुत ही महत्व का है और इसमें ऐसी समस्यायें हैं जिन पर काफी गौर करने की जरूरत है और मेरा ख्याल है कि जब कल इस पर बहस होगी तो उन बातों पर गौर किया जायगा। माननीय गेंदासिंह जी ने जिस दृष्टिकोण से इस विधेयक पर विचार किया उस उद्देश्य से उन्होंने सबसे पहली चीज यह कही कि शीरे का उपयोग ठीक तरह से हो जिससे कि चीनी के दाम कम हो सकें। उसके साथ ही साथ मैं यह भी निवेदन करूंगा कि जहां शीरे को पावर एलकोहल के बनाने में इस्तेमाल किया जाता है वहां उसको काफी मिकदार में आबकारी के मुहकमे द्वारा शराब बनाने में भी इस्तेमाल किया जाता है। इस पर भी विचार करना होगा कि इस बारे में सरकार की नीति कहां तक उचित और लाभदायक है। शीरे का उपयोग जैसे मैंने निवेदन किया पावर अल्कोहल और शराब बनाने में किया जाता है। इसके अलावा तम्बाकू में भी इसका उपयोग होता है तथा कुछ बाईप्रोडक्ट्स में भी इसका उपयोग किया जाता है। लेकिन मुख्यतः इन्हीं दो चीजों के लिये यह इस्तेमाल होता है।

जहां तक कि देशी शराब का ताल्लुक है आंकड़ों से पता चलता है कि सन् ५३–५४ में ७९४,९२२ गैलन शराब बनी और इसके लिये काफी मात्रा में शीरे का उपयोग हुआ जब कि ५३–५४ में ४३ लाख मन शीरे का उत्पादन हुआ।

(इसके बाद सदन ५ बजे अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया)

मिट्ठन लाल,
सचिव, विधान मंडल,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ;
२० दिसम्बर, १९५५।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न ५ का उत्तर पीछे पृष्ठ ९७ पर)

म्युनिसिपल बोर्ड, बुलन्दशहर को दी गई सरकारी सहायता की सूची

१९५३–५४

	रु०
१—बेसिक शिक्षा	१३५
२—अनुसूचित तथा पिछड़ी जाति के लड़कों को छात्र-वृत्ति, किताबें तथा लेखन सामग्री के लिये	३४४
३—जूनियर हाई स्कूल के लिये	५६७
४—प्रारम्भिक अनिवार्य शिक्षा के लिये	२४,८४६
५—मेटरनिटी सेंटर के लिये	३००
६—सैनिकों के लड़कों को छात्रवृत्ति के लिये.. ..	१४
कुल ..	२६,२०६

१९५४–५५

१—बेसिक शिक्षा के लिये	१३५
२—अनुसूचित तथा पिछड़ी जाति के लड़कों को छात्रवृति, किताबें तथा लेखन सामग्री के लिये	१८१
३—प्रारम्भिक अनिवार्य शिक्षा के लिये	३२,१४४
४—जूनियर हाई स्कूल के लिये	६४८
५—सड़कों के निर्माण के लिये	१९,१००
६—मेटरनिटी ग्रांट	२००
कुल ..	५२,४०८

म्युनिसिपल बोर्ड, खुरजा को दी गई सरकारी सहायता की सूची

१९५३–५४

	रु०
१—प्रारम्भिक अनिवार्य शिक्षा के लिये	३२,११८
२—प्राइमरी स्कूलों के प्रासंगिक व्यय, शरणार्थी बालकों को छात्रवृत्ति, तथा अनुसूचित और पिछड़ी जाति के बालकों को छात्रवृत्ति, किताबों तथा लेखन सामग्री के लिये	६६८–८
कुल ..	३२,७८६–८

१९५४–५५

	रु०
१—प्रारम्भिक अनिवार्य शिक्षा के लिये	३०,५८७
२—प्राइमरी स्कूलों के प्रासंगिक व्यय, अनुसूचित तथा पिछड़ी जाति के बालकों को छात्रवृत्ति, किताबों और लेखन सामग्री के लिये ..	३७२
३—हरिजनों के क्वार्टरों के निर्माण के लिये ..	१०,०००
४—सड़कों के निर्माण के लिये	२१,३००
कुल	६२,२५९

उत्तर प्रदेश विधान सभा

म्युनिसिपल बोर्ड, सिकन्दराबाद को दी गई सरकारी सहायता की सूची

१९५३-५४

	रु०
१—प्रारम्भिक अनिवार्य शिक्षा के लिये	२१,३८६
२—बेसिक प्राइमरी स्कूलों के प्रासंगिक व्यय तथा अनुसूचित और पिछड़ी जाति के बालकों को पढ़ाई के लिये	५९१
कुल ..	२१,९७७

१९५४-५५

१—बेसिक प्राइमरी स्कूलों के प्रासंगिक व्यय तथा अनुसूचित और पिछड़ी जाति के बालकों को पढ़ाई के लिये	५९१
२—प्रारम्भिक अनिवार्य शिक्षा के लिये	२१९६९
३—सड़कों के निर्माण के लिये	१३,८००
कुल ..	३६,३६०

म्युनिसिपल बोर्ड, अनूपशहर को दी गई सरकारी सहायता की सूची

१९५३-५४

१—महंगाई भत्ता के हेतु राजकीय सहायता ..	५,२३६
कुल ..	५,२३६

१९५४-५५

१—महंगाई भत्ता के हेतु राजकीय सहायता ..	५,३८८
२—सड़कों के निर्माण के लिये	७,५००
कुल ..	१२,८८८

म्युनिसिपल बोर्ड, दिबाई को दी गई सरकारी सहायता की सूची

	१९५३-५४	१९५४-५५
	रु०	रु०
१—सड़कों के निर्माण के लिये सहायता	२५,०००	७,५००

पी० एस० यू० पी० ए० पी० १७७ एल० ए—१९५६-७९६ ।